नगर पालिका परिषद, नालागढ़ जिला सो-
के अवधि 4/90 से 3/98 तक के लेखों का अंकेक्षण
एवम् निरीक्षण व प्रतिवेदन

अवधि 4/90 से 3/98

भाग - प्रथम

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन : नगर पालिका परिषद द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर जो कार्यवाही की गई थी उस पर निम्न-लिखित टिप्पणियां अपेक्षित हैं :

(क) अवधि 31 मार्च 1987 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन : इस अवधि तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद नालागढ़ को अधियाचना सं० 66 दिनांक 28.5.99 रिमाइंडर संख्या नं० 163 दिनांक 4.12.99 द्वारा इसे प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था और अंत में पत्र संख्या शून्य दिनांक 13.12.99 द्वारा सूचित किया गया था कि अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषद को सचिवालय द्वारा भेजे ही नहीं गया जो की सन्तोषजनक नहीं था। आवश्यक कार्यवाही अमल करके अंकेक्षण प्रतिवेदन आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अवधि 4/87 से 3/90 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन

पैरा नं. 4 : निर्णीत : अंकेक्षण शुल्क मु० 4950.00 रु को चालान संख्या 53 दिनांक 11.3.91 द्वारा नालागढ़ उप-कोषखजाने में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया गया था।

36 पैरा 5 बी :- अनिर्णीत : अनुदान की शेष राशि मु० 1166.54 को अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया इसे शीघ्र जमा करवा कर तदानुसार सूचित किया जाए।

पैरा 5 सी : अनिर्णीत : अनुदान की शेष राशि मु० 578.00 को अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया था इसे शीघ्र जमा करवा कर आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

Pg-36 Settled Pg-45

पैरा 5 डी : अनिर्णीत : अनुदान की शेष राशि रू० 5185.00 रू० को अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया था इसे शीघ्र जमा करवा कर तदानुसार सूचित किया जाए।

पैरा 5 ई : अनिर्णीत - अनुदान की शेष राशि रू० 3050.00 रू० को केवल बलाक का निर्माण करने हेतु प्रयोग कर लिया गया था परंतु अनुदान की राशि का उपयोग करने हेतु सरकार से समय बढौतरी की स्वीकृति नहीं दिखाई गई थी जिसे अब प्राप्त कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 5 एफ : - अनिर्णीत : अनुदान की शेष राशि रू० 2704.00 रू० को नाले का निर्माण करने हेतु प्रयोग कर लिया गया था परन्तु अनुदान की राशि का उपयोग करने हेतु सरकार से समय बढौतरी की स्वीकृति नहीं दिखाई गई थी जिसे अब प्राप्त कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 5 जी : अनिर्णीत

पैरा 5 एच : - निर्णीत : अनुदान की शेष राशियाँ रू० 451.00 रू० और 274.00 रू० को सरकारी खजाने में क्रमशः चालान संख्या 47 और 46 द्वारा दिनांक 1.7.91 को जमा करवा दिए गए थे।

पैरा 5 आई : अनिर्णीत : अनुदान की शेष राशि रू० 3826.00 रू० को अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया था जिसे शीघ्र जमा करवा कर आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

अनुदान की शेष राशि रू० 3965.00 रू० को खेल के मैदान की दीवार बनाने हेतु प्रयोग कर लिया गया था परन्तु अनुदान की राशि का उपयोग करने हेतु सरकार से समय बढौतरी की स्वीकृति नहीं दिखाई गई थी जिसे अब प्राप्त कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 5 से : अनियमित : अनुदान की शेष राशियां जो क्रमश:
3 पर कु० 10,000 रु० 4 पर कु० 3500.00 रु० 6 पर कु० 14086.00रु० 7 पर कु० 8432.00 रु० 9 पर कु० 38701.00 रु० 10 पर कु० 8000.00 रु० को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर प्रयोग कर लिया गया था परन्तु अनुदान की राशियों का प्रयोग करने हेतु सरकार से समय बढ़ोतरी की स्वीकृति नहीं दिखाई गई थी जिसे अब प्राप्त कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 5 के निर्णीत : अनुदान की राशियां जो पूंजी समाप्त होने के पश्चात में प्राप्त की गई थी उनका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था।

पैरा 6 निर्णीत : महंगाई भत्ते की पुनरावृति 3919.80 रु० की अधिक अदायगी कर्मचारियों को की गई थी इस की वसूली निम्न रसीदों द्वारा कर ली गई है :

रसीद नं०	दिनांक	राशि रु०
जी-8 17-42/5	30-4-91	2983.00
जी 8 43-46/5	1-5-91	184.00
जी 8 36/36	3-12-90	92.50
जी 8 57/7	7-5-91	384.00
" 8/7	10-5-91	150.00
" 6/23	16-5-91	104.00
" 19/23	27-5-91	16.00
" 20/23	27-5-91	106.00
	योग	391980

पैरा 7 ख : आंशिक निर्णीत : कुल वसूल योग्य राशि कु० 54,786.72 रु० बाबत किराया दुकानों व प्लाटों के शेष थे। इस राशि में से 15375.00 रु० बट्टे खाते में डाल दिए गए और शेष राशि 46118.00 रु० की वसूली की जा चुकी है इस प्रकार कु० 8267.72 रु० राशि अभी शेष है। इस की वसूली कर के अगले अंकेक्षण

में दिखाया गया विसूली का विवरण नीचे दर्शाया गया

नाम	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली राशि रु०
श्री [illegible]लाल	जी.इ.फा. 34/12	29.6.91	2268.00
" मगत राम	" 26/45	25.2.92	200.00
मैसर्स हिमाचल परिवहन निगम नालागढ़	" 41/6	10.4.90	768.00
श्री जोगिन्द्र सिंह	" 28/7	31.5.91	4700
	" 37/21	30.8.91	4700
	" 8/34	2.12.91	1620
श्री ओमि[illegible] सिंह	" 29/7	31.5.91	5200
	" 46/21	3.9.91	5300
	" 14/34	2.12.91	2400
श्री प्रकाश [illegible]	" 15/17	30.7.91	887.00
	" 25/28	14.10.91	1500.00
	" 48/33	22.11.91	800.00
	" 14/41	15.1.92	300.00
श्री राम किशन	" 30/6	10.4.90	175.00
श्री अनिल कुमार	" 34/13	19.5.90	5100.00
	" 18/25	30.8.90	5100.00
	" 26/49	19.3.91	800.00

ग) उपायुक्त सोलन के पत्र संख्या ज० लेखा। एल। एफ।-23-72 दिनांक 19.7.93 द्वारा कु० 15375.0 रु० की राशि जो श्री [illegible] कुमार से बाबत किराया टैक्स [illegible] को बट्टे खाते में डाल दिया गया था।

घ) कु० 8267.75 रु० की राशि जो [illegible] [illegible] [illegible] बाबत किराया के बकाया था इस [illegible] की अभी वसूली नहीं की गई थी। इसे शीघ्र वसूल किया जाए और तदानुसार सूचित करें।

[illegible] 500.00

-5-

पैरा 7 बी : आंशिक निर्गीत : मु० किरा० 28332.00 रू०

कुल वसूली योग्य राशि बाबत निर्मित दुकानों व फ्लैटों की बकाया थी इस राशि में से 15150.00 रू० की वसूली की जा चुकी है जिसका विवरण निम्न है। और कुल अवशेष 13183.00 रू० शेष रहे जिसकी वसूली शीघ्र की जाए और आपत्ति [illegible] में दिखाई जाए।

नाम	रसीद नं०	दिनांक	राशि
श्री अरविन्द कुमार	बी 8 18/17	11.6.90	150.00
	" 19/31	17.7.90	150.00
	" 21/25	3.9.90	150.00
श्री [illegible]	" 36/38	12.12.90	300
	" 41/95	28.1.93	550
श्री केशव लाल	" 38/36	10.12.91	850.00
श्री अनिल कुमार	" 36/37	15.8.92	2000.00
	" 38/36	17.10.92	500.00
	" 36/95	23.1.93	500.00
	" 55/106	17.3.93	500.00
	" 71/107	7.5.93	500.00
	" 73/111	25.6.93	500.00
	" 36/115	6.8.93	500.00
	" 73/177	18.9.93	500
	" 1/126	1.2.94	500
	" 4/130	1.3.94	500
	" 67/162	16.6.94	500
	" [illegible]/168	23.8.94	500
	" 63/173	8.11.94	500
	" 36/188	5.2.95	500
	" 1/200	3.5.95	500
	" 142/[illegible]	17.9.95	500

37/1053	4.2.52	500.0
2/1054	31.3.53	500.0
22/1030	4.6.53	500.0
4/1058	16.6.52	500.0
22/1060	6.11.52	500.0
34/1062	16.11.52	500.0

कुल रु. 13183.00 का अन्तर जिसको जमा रुपये सं मुताबिक चेट और जमा रुपये में अन्तर रु. 4358.00 और 5225.00 की बकाया के लिये रु. वसूल कर के तदानुसार सूचित करे।

मैरा 7 सी — आडिट निर्देश — कुल वसूली योग्य राशि मुबलिग 3090.00 रु. बाबत पूर्तिकर के बकाया में से अर्थ अर्से में से मुबलिग 2061.50 रु. की वसूली कर ली गई है और शेष मुबलिग 958.24 रु. से वसूली की सूचना किया [illegible] जाये। शेष राशि की वसूली किया जाये।

अनुपालन — [illegible] [illegible] — राशि

[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] 69/115	1.1.53	2061.0
[illegible] [illegible]	15/116	15.10.52	0.50
			2061.50

मैरा 8 — अनुपालन — कोई अनुपालन नहीं दिया।

मैरा 9 ए — निर्देश — मुबलिग 13.00 रु. की वसूली की [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 3.1.53 [illegible] कर ली [illegible] [illegible] [illegible] निर्देश — वसूली की राशि मुबलिग [illegible] [illegible] [illegible] वसूली कर ली [illegible] आडिट निरस्त है।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] राशि

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 23/[illegible] 31.1.53 13.00

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

पैरा 9 डी : निर्णीत : वसूली योग्य राशि मु0 17.0 रू0 की वसूली जी-8 संख्या 25/30 दिनांक 20-11-91 द्वारा कर ली गई थी।

पैरा 9 ई : निर्णीत : वसूली योग्य राशि मु0 170.0 रू0 की वसूली कर ली गई थी जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

रसीद संख्या न0		दिनांक	राशि रू0
जी-8	18/31	28-7-90	10.0
"	14/25	24-8-90	10.0
"	28/32	6-11-90	20.0
"	10/33	8-11-90	40.0
"	46/38	17-12-90	10.0
"	8/40	11-1-91	80.0
			170.0

पैरा 10 क : आंशिक निर्णीत : वसूली योग्य राशि मुबलिग 142.0 रू0 थी जिसका ब्योरा पैरा में दर्शाया गया है इसमें से मुबलिग 71.0 रू0 जी-8 रसीद संख्या 46/54 दिनांक 3-5-93 द्वारा वसूल कर लिए गए थे। शेष 71.0 रू0 जिसे अब वसूल किया जाए और तदानुसार सूचित करें।

पैरा 10 बी : अनिर्णीत : : अधिकृत टेलीफोन रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसे अगले ऑडिट में दिखाया जाए।

पैरा 11 क :- निर्णीत : मुबलिग 100.0 रू0 की जो लोधक कटौती की गई थी उस की वसूली रसीद संख्या जी-8 28/32 दिनांक 31-1-91 द्वारा कर ली गई थी।

पैरा 11 बी : निर्णीत : मुबलिग 650 रू0 बाबत कीमत चूना 5 किलोग्राम की जो अधिक अदायगी की गई थी उस की वसूली रसीद संख्या 7/1185 दिनांक 18-11-91 द्वारा कर ली गई थी।

पैरा 11 सी : अनियमित मुबलिग 130.80 रु० की अधिक अदायगी बाबत सरकारी बिजली के बिलो पर सरचार्ज के कारण बिल जमा करवाने के कारण अदा किया गया था इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी / कर्मचारियों से कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 11 डी अनियमित : मुबलिग 550 रु० जिसका विवरण पैरा में दर्शाया गया था की न ही वसूली की गई थी और न ही समायोजन लेखे प्राप्त किए गए थे। सम्बन्धित कर्मचारी से समायोजन लेखे शीघ्र ही अब प्राप्त कर के जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए अन्यथा राशी की वसूली कर के शीघ्र ही जमा करवाया जाए।

पैरा 11 ई अनियमित : मुबलिग 1500/- रु० की राशी जोकि अग्रिम रूप में दी गई थी जिस का विवरण पैरे में दर्शाया गया है की न ही वसूली की गई और न ही समायोजन लेखे प्राप्त किए गए थे। सम्बन्धित कर्मचारी से समायोजन लेखे शीघ्र ही अब प्राप्त कर के जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए अन्यथा राशी की वसूली कर के शीघ्र ही जमा करवाया जाए।

पैरा 11 एफ अनियमित : बिजली के सामान को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए दर संविदा के आधार पर क्रय नहीं कर के फर्म को मु० 3445.30 रु० की जो अधिक अदायगी की गई थी की वसूली नहीं की गई जिसे अब शीघ्र करके राशी को परिषद निधि में जमा करवाया जाए और तदानुसार सूचित किया जाए।

पैरा 11 जी अनियमित मुबलिग 4500/- रु० की राशी परिषद द्वारा जो व्यय की गई थी परिषद निधि पर जो उचित व्यय नहीं था जिसे शीघ्र ही वसूल करके जमा करवाया जाए अन्यथा सरकार से स्वीकृति ले कर शीघ्र ही नियमित करवाया जाए।

पैरा 11 प्रथम : अनिर्णीत परिषद द्वारा हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए दर संविदा वाली फर्मों से सामान क्रय नहीं किया जाता रहा और न ही अनुमोदित फर्मों से जो अनुमोदन या माल/सामान उपलब्ध नहीं रहा के प्रमाण पत्र अंकेक्षण में दिखाए गए थे। सामान का क्रय दर संविदा के आधार पर न किए जाने का औचित्य भी अगली निरीक्षण में स्पष्ट किया जाए।

पैरा 11 आदि (ए) अनिर्णीत : श्री आर. सी. [illegible] को रु० 44.0 का टैक्सी यात्रा भत्ता बिल की अदायगी की गई थी किन्तु उस की नियम 184 हिमाचल प्रदेश [illegible] कोड 1975 के अंतर्गत कमेटी की स्वीकृति [illegible] भी प्राप्त नहीं की और न ही इसकी वसूली की गई थी। इस राशि की वसूली की जाए और अंकेक्षण के समक्ष निरीक्षार्थ [illegible]

पैरा 11 आदि (बी) निर्णीत : मुबलिग 25 + 30 रु (55.00) [illegible] की यात्रा भत्ता के अधिक दिए गए थे इस की वसूली कर्मचारी से रसीद संख्या [illegible] नं० [illegible] दिनांक 3.5.92 द्वारा कर ली गई थी।

पैरा 11 आदि (सी) और (डी) अनिर्णीत : प्रधान नगर परिषद [illegible] द्वारा जो दिनांक 4.6.88 से 5.6.88 को दिल्ली यात्रा की थी उसकी स्वीकृति [illegible] अधिकारी से नियम 182 (4) (a) [illegible] [illegible] कोड के अंतर्गत प्राप्त नहीं की गई थी और [illegible] भत्ता रु० 26.50 रु० जो [illegible] [illegible] किया जाता रहा इसकी वसूली की गई थी [illegible] वसूल कर के जमा करवाया जाए [illegible] सरकार से स्वीकृति ले कर शीघ्र ही [illegible] करवाया जाए।

पैरा 11 के अनिर्णीत : [illegible] रजिस्टर में अभी तक [illegible] का [illegible] नहीं दिखाया गया था जिसे उचित रजिस्टर में दर्ज कर के अगले अंकेक्षण [illegible] [illegible]

पैरा 12 ए अनियमित – मु॰ 822.90 रु॰ जिसकी अधिक अदायगी ठेकेदार श्री रामलोक को की गई थी जिसका विवरण पैरा में दर्शाया गया था अभी तक नहीं की गई थी इसे अब शीघ्र वसूल कर के परिषद के खाते में जमा करवाया जाए।

पैरा 12 बी अनियमित : मुबलिग 1657.00 रु॰ की अधिक अदायगी श्री अविनाश भाटिया ठेकेदार को की गई थी जिसका विवरण पैरा में दर्शाया गया था की अदायगी को नियमित नहीं ठहराया गया अब इस अदायगी को नियमित किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली की जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 12 सी अनियमित : मस्टरोलों में भाग-3 पर अभी तक भी जो कार्य किया गया था उसकी पैमाइश दर्ज नहीं दिखाई गई। अत: मस्टरोलों पर जिनका विवरण पैरा में दर्शाया गया है पर शीघ्र ही पैमाइश दर्ज की जाए और इसकी अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।

पैरा 13 ए नियमित : वेतन बिलों के साथ अब फार्म जी-17 को (अनुपस्थिति विवरणिका) लगाया जा रहा था।

पैरा 13 बी नियमित : मुबलिग 134.00 रु॰ की अधिक अदायगी बाबत हाउस रेंट की जो कर्मचारियों को की गई थी उसकी वसूली कर ली गई थी जिसका विवरण निम्न है।

रसीद संख्या		दिनांक	राशि रु॰
जी-8	45/30	5-12-91	60.00
"	20/35	1-1-92	71.00
"	38/5	30-6-91	3.00
		योग	134.00

पैरा 14 ए और बी : अनिर्णीत : गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री हीरा लाल दरोगा और सतपाल सफाई कर्मचारी को भत्तों की अधिक अदायगी की गई थी जिसका विवरण पैरा में दर्शाया गया था इसकी वसूली अभी नहीं की गई थी जिसे अब वसूल किया जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 14 सी और डी : निर्णीत : श्री कांशीराम अड्डा मुहर्रर और श्री गिरधारी लाल सफाई कर्मचारी से विशेष वेतन की जो अधिक अदायगी की गई थी जिसका विवरण पैरा में दर्शाया गया था इसकी वसूली वेतन पुन: निर्धारण करके वाउचर सं० 40 मास 4/91 द्वारा कर ली गई थी।

पैरा 15 ए अनिर्णीत : श्री शर्मा कलसेरा जिसकी नियुक्ति दिनांक 31.8.88 को सचिव, नालागढ़ कमेटी द्वारा की गई थी उसकी स्वीकृति म्युनिसिपल ऐक्ट 1968 की धारा 37 के अन्तर्गत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं की गई थी। जिसे अब प्राप्त किया जाए अन्यथा जो सचिव के पद पर अधिक वेतन निर्धारण के कारण अधिक अदायगी की गई थी उसकी वसूली की जाए और इस की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

पैरा 15 बी निर्णीत : श्री विजय कुमार वरिष्ठ लिपिक के कार्यालय आदेश नं० 1669 तं० दिनांक 1.9.88 नगर पालिका नालागढ़ के प्रस्तुत कर दिए थे।

पैरा 16 ए 1 से 8 अनिर्णीत : प्रोविडेंट फंड के लेजर जो पैरा में वर्णित थे अभी तक नहीं बनाए गए थे। इन्हें अब शीघ्र बनाया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में

पैरा 16 बी :- अनिर्णीत :- श्री गुरुदास देवक कनिष्ठ नगरपालिका समालखा को मु० 10466 रु० की अग्रिम बावत प्रोविडेंट फंड की कटौती की गई थी परन्तु उसका निपटारा नहीं किया गया था अत केस की सम्पूर्णता आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

पैरा 16 सी और डी :- अनिर्णीत :- श्री प्रेम चंद मुहर्रर के वेतन से दो कटौती मास 4.88 और 7.88 में मु० 69 रु० और 76 रु० बावत प्रोविडेंट फंड की कटौती इस आधार को परिषद् के अंश के सहित अभी फंड में जमा नहीं करवाया गया था जिसे शीघ्र जमा करवा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए

पैरा 16 ई :- निर्णीत आकस्मिक शेष दिनांक 1.4.83 को ठीक मु० 6555.98 कर दिया गया था।

पैरा 16 एफ :- अनिर्णीत :- जो आरोपों श्री सतपाल और श्री मति विमला के वेतन मास 10.88 में बावत कटौती प्रोविडेंट फंड जिसका विवरण पैरा में है को अभी तक प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं करवाया गया था इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 16 जी निर्णीत :- प्रोविडेंट फंड की कटौती को सब फंड के खाते में नियमानुसार जमा करवाया गया था

पैरा 16 एच अनिर्णीत :- प्रोविडेंट फंड के नियमानुसार के विरुद्ध जो ... आरोपों की ओर थी जिसका विवरण पैरा में दर्शाया गया था उनका ... अंकेक्षण को फिर नहीं बताया गया जिसका पूरी ... आगामी अंकेक्षण में दिया जाए।

पैरा 17 ए अनिर्णीत :- 12 लीटर डीजल की कीमत मु० 45.36 रु० को ... की लोग बुक में दिनांक 30.12.87 को नहीं किया गया था इस प्रकार मु० 45.36 रु० की हानि ... वसूली नहीं की गई थी इसे सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर के तदानुसार सूचित करें।

पैरा 17 की I और II निर्णीत : मुबलिग 7.90 रु० व 8 रु० और रु० 11.83 रु० व 12.00 रु० कुल 20/- की वसूली जी-8 न० 12/1186 दिनांक 19.11.98 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारि से कर ली गई थी।

पैरा 17 की III, IV, V : अनिर्णीत : पैरो में दिखाई गई डीजल की अधिकतम खपत को न्यायोचित नहीं किया गया अत: जो डीजल की अधिक खपत की गई थी उस की वसूलियां की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

पैरा न० 18 : नियम 179 म्युनिसिपल एकाउंट कोड अनिर्णीत के अन्तर्गत डेसोलेकलिसमेंट स्टॉक रजिस्टर अभी तक नहीं बनाया गया था इस रजिस्टर को अब तैयार कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

पैरा 19 : निर्णीत – आय वर्गीकृत और व्यय वर्गीकृत रजिस्टर वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के तैयार कर दिए गये और उसकी पड़ताल भी कर ली गई थी

पैरा 20 ए अनिर्णीत : विभिन्न डेयरो हेतु कर्मचारियो को भुगतान की गई अग्रिम राशियों की वसूली की जॉच हेतु रजिस्टर व लेजर रैफर नहीं बनाया गया था जिसे अब शीघ्र ही बनाया जाए

पैरा 20 बी : अनिर्णीत :- डिपाजीट रजिस्टर फार्म न० जी-35 अभी तक नहीं बनाया गया था जिसे अब शीघ्र बनाया जाए।

पैरा 20 सी निर्णीत : इन्वेस्टीगेशन आफ ओफेन्सिस रजिस्टर मास जनवरि, 1991 से बना दिया गया था.

पैरा 20 डी अनिर्णीत : आडीट 40.00 रुपये विलम्ब कम्पाउन्डेशन फीस कम वसूल की गई थी इस की वसूली नहीं की गई जिसे शीघ्र वसूल किया जाए।

पैरा 20 ई : आपत्ति : स्टाक रजिस्टर 25 के पृष्ठ 57 पर 70 मीटर वूलन मर्ज का इन्द्राज था यह मर्ज कर्मचारियों को वर्दियां देने हेतु खरीदी गई थी। इस में से 60.80 मीटर वूलन मर्ज वर्दियां बनाने हेतु श्री सुरिन्द्र सिंह टेलर मास्टर को जारी कर दिया था अतः शेष 9.20 मीटर वूलन मर्ज था। स्टाक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया कि स्टाक रजिस्टर से 7.50 मीटर वूलन मर्ज कार्यालय में मेजपोश बनाने हेतु जारी कर दिया था जो की नियमानुसार अनुचित था जिसका स्पष्टीकरण दिया जाए अन्यथा 7.50 मीटर वूलन मर्ज का मूल्य 93.99 रु० प्रति मीटर की दर से मुबलिग 697.40 रु० परिषद फंड में जमा करवाए जाएं तथा तदानुसार सूचित किया जाए।

पैरा 20 एफ आपत्ति : नगर पालिका परिषद द्वारा जो 6 स्टाल अनियमित ढंग से अलॉट किए गए थे उनको सरकार की स्वीकृति से अभी तक नियमित नहीं करवाया गया था अतः इस की अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।

पैरा 20 जी आपत्ति : म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 190 के अनुसार रोकड़ बही की जांच नहीं की जाती अतः इसकी पालना की जाए।

24) लघु आपत्ति निवारिका : लघु आपत्ति निवारिका की निम्न कंडिका अभी आपत्ति में जिन्हें शीघ्र ही निपटाया जाए और अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए

अवधि	पैरा नं०
1/74 से 3/79	4 और 11
1/79 से 3/80	5 और 8
1/80 से 3/82	परिपालन नहीं की गई
4/87 से 3/90	4, 6 और 7

भाग - द्वितीय

2. वर्तमान अंकेक्षण : नगर पालिका परिषद नालागढ़ के अवधि 4/90 से 3/98 तक के लेखों का अंकेक्षण बजट निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाहित किए गए हैं, श्री धनी राम कौशल, सहायक नियंत्रक (ले० प०) द्वारा दिनांक 6.1.99 से 14.12.99 तक (अवकाश के अतिरिक्त) नगर पालिका परिषद कार्यालय, नालागढ़ में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जाँच हेतु मास 6/90, 7/90, 10/90, 3/91, 5/91, 9/91, 11/91, 3/92, 4/92, 7/92, 12/92, 3/93, 5/93, 8/93, 11/93, 3/94, 4/94, 9/94, 12/94, 3/95, 6/95, 7/95, 12/95, 3/96, 5/96, 7/96, 10/96, 3/97, 6/97, 9/97, 12/97 और 3/98 के लेखों का चयन किया गया तथा निम्नलिखित अभिलेखों के अतिरिक्त सभी अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में विधिवत प्रस्तुत किए गए।

3. वित्तीय स्थिति :

क) परिषद के अवधि 4/90 से 3/98 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

	1990-91	1991-92	1992-93
गत शेष	8,31,186.19	11,11,021.07	11,39,244.37
आय	17,27,935.18	19,78,795.33	28,57,514.69
योग	25,59,121.37	30,89,816.40	39,96,759.06
व्यय	14,48,100.30	19,50,572.03	19,23,080.52
शेष	11,11,021.07	11,39,244.37	20,73,678.54

	1993-94	1994-95	1995-96
गत शेष	20,73,678.54	23,96,017.55	25,92,157.23
आय	31,79,524.21	31,67,406.33	39,20,754.86
योग	52,53,202.75	55,63,423.88	65,12,912.09
व्यय	28,57,185.20	29,71,266.65	31,54,074.03
शेष	23,96,017.55	25,92,157.23	33,58,838.06

	1996-97	1997-98
गत शेष	33,58,838.06	38,35,088.94
आय	38,56,608.09	62,02,744.25
योग	72,15,446.15	1,00,37,833.19
व्यय	33,80,357.21	42,02,802.00
शेष	38,35,088.94	58,35,031.19

दिनांक 31.3.1998 को बकाया राशि का ब्यौरा निम्न दिया गया है :-

	रु0
पी० एल० ए० ट्रेजरी नालागढ़	7,89,472.49
खाता नं० 63845 स्टेट बैंक पटियाला	7,37,936.58
खाता नं० 13064 पंजाब नैशनल बैंक	49,204.73
खाता नं० 1382566 S/B डाकघर नालागढ़	1,13,071.39
मियादी जमा राशि	43,42,360.00
योग	60,32,045.19

रोकड़ बही के अनुसार बकाया दिनांक 31.3.98	58,35,031.19
कम दिनांक 31.3.98 की आय (-)	3839.00
	58,31,192.19
(जमा) न भुनाए चैक (+)	2,12,729.00
योग	60,43,921.19
(कम) चैक नं० 11392 दिनांक 23.3.98 जो जमा नहीं हुआ (-)	11,876.00
बकाया	60,32,045.19

6,90,192.00 रु0 बकाया है।

निवेश :- नगर पालिका परिषद नालागढ़ के दिनांक 31.3.1998 को मुबलिग 43,42,360 रु० सावधिक निक्षेप में जमा थे जिसका विवरण निम्न था :-

क्र० सं०	बैंक का नाम जहां सावधि जमा रखी	नं०	निवेश राशि	परिपक्वता की तिथि
९७	स्टेट बैंक पटियाला नालागढ़	98116	5,50,000	3.5.98
९७	यथोपरि –	98117	14,278	3.5.98
९७	यथोपरि —	98118	50,000	3.5.98
९२	यथोपरि —	98119	2,00,000	3.5.98
९१	यथोपरि —	98120	1,83000	3.5.98
९८	यथोपरि- सी डी नेगोशियेबल		15,19,119	28.4.98
९८	सैन्ट्रल बैंक इंडिया	418707	4,85,073	3.4.98
९८	को-ऑ० बैंक –	2802	5,16,292	13.4.98
८	यथोपरि –	2803	1,39,740	13.4.98
८	यथोपरि –	02798A	6,04,908	4.5.98
			43,42,360	

लेनदारी देय :- नगर परिषद नालागढ़ ने हाउसिंग अरबन डेवलपमेंट दिल्ली ~~कार्पोरेशन~~, से मुबलिग 3,15,000 रु० ऋण 98.3 के अंतिम ऋण के लिए थे और दिनांक 31-3-98 को मुबलिग 2,0,4,000 रु० ऋण के देय थे।

प्रोविडेंट फंड :- नगर परिषद नालागढ़ का प्रोविडेंट फंड का खाता दी जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० नालागढ़ खाता नं० 1 में था और दिनांक 31-3-98 को उसमें कुल 8,45,243-99 रु० बकाया थे।

निवेश : प्रोविडेंट फंड में से दिनांक 31.3.98 को मुबलिग एक लाख रु० के किसान विकास पत्र में निवेश कर गए थे

निवेश की तिथि	नाम	निवेश राशि	परिपक्वता की तिथि
22.2.94	डाकघर नालागढ़ किसान विकास पत्र नं० 974128 से 974137 प्रत्येक 10,000 रु० कुल 1,00,000/-		22.9.99

पैंशन फंड :- नगर परिषद नालागढ़ का दी जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० नालागढ़ में पैंशन फंड का खाता था पैंशन फंड खाता 4 में दिनांक 31-3-98 को मुबलिग 6,90,192.. रु० बकाया थे।

4 अंकेक्षण शुल्क :- नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 4/90 से 3/98 तक लेखों का अंकेक्षण करने का अंकेक्षण शुल्क मुबलिग 15,500.00 रु० बनता है, जिसका विवरण का इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधिसूचना संख्या यू०एल०बी० ऑडिट-178 दिनांक 14-12-99 द्वारा उपरोक्त राशि को सरकारी कोष में "0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं,-60- अन्य सेवाएं 110- सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क (हि०प्र०)(यू०एल०बी०) के अन्तर्गत जमा करवाने हेतु अनुरोध किया गया था। अतः इस राशि को उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत शीघ्र ही जमा करवा कर मूल कोष चालान पुष्टि करने व तत्पश्चात लौटाए जाने हेतु शीघ्र इस निदेशालय को भेजा जाये।

5. क) सरकारी अनुदान :- अवधि 31 मार्च 1990 से पूर्व जो अनुदान की राशि प्राप्त की गई थी उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है।

i) सरकारी अनुदान के क्रम संख्या 1 वर्ष 1980-81, 1 और 2 वर्ष 1984-85, 2 वर्ष 1988-89 मु० 1167.00, 578.00, 5185 और 3626 शेष थे अतः अनुबन्धों के अनुसार अनुपयुक्त शेष राशि को शीघ्र ही सरकार को वापिस किया जाए। अन्यथा इनका उपयोग सरकार से पूर्व कार्योत्तर स्वयं समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए।

ii) वर्ष 1989-90 में क्र०सं० 5 पर मु० 24500/- रु० "गुगामाड़ी के नजदीक एक दुकान के निर्माण हेतु प्राप्त किये गये परन्तु यह दुकान उक्त स्थान के बदले हस्पताल के नजदीक निर्मित की गई और स्थान बदलने हेतु सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाया जाए तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

3) अनुदान स्वीकृति पत्रों में दिए गए अनुबन्धों के अनुसार अनुदान सहायता राशि प्राप्त होने से उस वर्ष के भीतर कार्य शुरू किया जाएगा तथा उस के दो वर्ष के भीतर कार्य सम्पूर्ण पूरा किया जाएगा। यदि इस समय अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो इन का उपयोग सरकार

से पूर्वकार्योत्तर एवम् सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए अनुपयुक्त शेष राशि शीघ्र सरकार को वापिस की जाए। इसी प्रकार वर्ष 1997-98 में प्राप्त की गई अनुदान राशि का उपयोग भी निर्धारित समय के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र ही सरकार को भेजे जाएं।

वर्ष 1991-92 में क्रम संख्या 3 पर मु० 1825.00 रु० (लंबितकार्य) वर्ष 1992-93 में क्रम संख्या 5 पर मु० 30,000/- रु० कार्य आरम्भ नहीं किया वर्ष 1993-94 में क्रम संख्या 11 पर मु० 40,000/- और 13 पर मु० 1,00,000 रु० कार्य आरम्भ नहीं किया वर्ष 1995-96 में क्रम संख्या 11 पर मु० 36200/- रु० और 18 पर मु० 5,00,000 रु० कार्य आरम्भ नहीं किया वर्ष 1996-97 में क्रम संख्या 1 पर मु० 41,000.00 रु० 2 पर मु० 40333.00 रु० 10 पर मु० 49,700 रु० 11 पर मु० 34090.00 रु० और 13 पर मु० 57275.00 रु० कार्य आरम्भ नहीं किया।

अतः नगर परिषद का ध्यान उपरोक्त की ओर आकृष्ट किया जाता है कि अनुदान की राशियों का उपयोग सरकार से पूर्वकार्योत्तर एवम् सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए तथा अनुपयुक्त राशि शीघ्र सरकार को वापिस की जाए।

ग) इसी प्रकार परिषद द्वारा जो अनुदान राशि अवधि 1.4.90 से 31.3.98 तक नगर में शहरी आयोजना विभाग, उपायुक्त सोलन से तथा नेहरू रोजगार योजना, नौरंग योजना, अन्तोदया योजना, अर्बन बेसिक सर्विसिज फार पूअर (निर्मल) योजना, के अन्तर्गत निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश, शिमला से प्राप्त की गई उस का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) में दर्शाया गया है। अतः अनुदान राशि का उपयोग अनुदान स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए और अनुपयुक्त शेष राशि सम्बन्धित विभाग को शीघ्र वापिस

की उप तरह आवंटित प्रमाण पत्र की प्रति को आवंटित विभाग को भेजे जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(iii) परिशिष्ट "ग" के परीक्षित गए अनुदानों में से निम्न ऐसी मदें हैं, जिनमें से प्राप्त राशि की शेष बची हुई धनराशि/वसूली नियमानुसार सरकारी खजाने में जमा नहीं करायी गयी है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही और पूर्ण विवरण लेखापरीक्षा को आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

क्र.सं.	शेष बची हुई राशि (Unspent Balance)
	वर्ष 1990-91
2	3172=00
	वर्ष 1991-92
1	736=00
	वर्ष 1992-93
1	733=00
4	45=00
	वर्ष 1993-94
2	276=00
	1994-95
3	4431=00
4	1371=00
6	6311=00
	वर्ष (1995-96)
2	8445=00
3	1160=00
6	382=00

वर्ष 1996-97

क्र.सं.	शेष बची हुई राशि (unspent Balance)
1	6258=00

वर्ष 1997-98

2	7747=00
4	6016=07
10	5070.00

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त हुई राशि का उपयोग एक वर्ष के भीतर किया जाना अपेक्षित है परन्तु वर्ष 1995-96 में क्र.सं. 3 तथा वर्ष 1996-97 में भी क्र.सं. 3 पर दर्शाए गए कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किए गए हैं और न ही इन कार्यों को निर्धारित अवधि के पश्चात पूर्ण करने हेतु सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर पूर्ण करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा वर्ष 1997-98 में प्राप्त हुई अनुदान राशियों को भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई अवधि के भीतर व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) परिशिष्ट "घ" अनुसार नगर परिषद नालागढ़ को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत जो अनुदान और उपदान प्राप्त हुए थे इस अनुदान और उपदान में से बिना खर्च राशि कार्य पूर्ण होने पर भी अभी सरकार को वापिस नहीं की है और अभी कुछ कार्यों की अनुदान और उपदान की राशियां बिना उपयोग किए पड़ी हैं और कार्य अभी आरम्भ भी नहीं किए गए थे। अतः अनुदान और उपदान राशि का उपयोग अनुदान स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए अन्यथा सरकार से पूर्वाकलित खर्च समय की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए जिसका विवरण परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है।

iii) नगर परिषद नालागढ़ को NORAD के अन्तर्गत जो अनुदान प्राप्त हुआ उसका विवरण परिशिष्ट "च" में दर्शाया गया था। इस अनुदान से अव्यय राशि जो कार्य पूर्ण होने पर अभी सरकार को वापिस नहीं की थी और कुछ अनुदान राशि बिना उपयोग किए पड़ी है। अतः इन अनुदान राशि का उपयोग स्वीकृत पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए अन्यथा सरकार से पूर्वाकलित खर्च समय की बढ़ौतरी हेतु स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

iv) नगर परिषद नालागढ़ को उपायुक्त सोलन से दिनांक 5-5-93 को मुबलिग 80000/- रु० अन्त्योदय के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे परन्तु यह राशि अभी तक खर्च नहीं की गई थी अतः इस राशि को सरकार से पूर्वाकलित खर्च समय बढ़ौतरी हेतु स्वीकृति प्राप्त करने उपरांत ही उपयोग किया जाए अन्यथा इस राशि को सरकार के आदेशानुसार सरकारी खजाने में जमा करवाया जाये। इसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "छ" पर है।

(1) नगर परिषद नालागढ़ को नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत जो अनुदान और उपदान प्राप्त हुए थे इस अनुदान और उपदान में से बिना व्यय राशि कार्य पूरा होने पर भी अभी सरकार को वापस नहीं की है। और अभी कुछ कार्यों की अनुदान और उपदान की राशियां बिना उपयोग किए पड़ी हैं और कार्य अभी आरम्भ भी नहीं किए गए थे। अतः अनुदान और उपादान राशि का उपयोग अनुदान स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए अन्यथा सरकार से पूर्वस्वीकृति एवम समय की बढ़ोतरी प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाए जिसका विवरण परिशिष्ट "ड" में दिया गया है।

(2) नगर परिषद नालागढ़ को NORAD के अंतर्गत जो अनुदान प्राप्त हुआ उसका विवरण परिशिष्ट "ढ" में दर्शाया गया था। इस अनुदान से अवशेष राशि जो कार्य पूरा होने पर अभी सरकार को वापिस नहीं की थी और कुछ अनुदान राशि बिना उपयोग किए पड़ी है। अतः इन अनुदान राशि का उपयोग स्वीकृत पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए अन्यथा सरकार से पूर्वस्वीकृति एवम समय की बढ़ोतरी हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उपयोग किया जाए।

(3) नगर परिषद नालागढ़ को स्वास्थ्य योजना से दिनांक 5-5-93 को मु० 80,000/- का संयोग दान के अंतर्गत प्राप्त हुए थे परन्तु यह राशि अभी तक व्यय नहीं की गई थी अतः इस राशि को सरकार से पूर्वस्वीकृति एवम समय बढ़ोतरी प्राप्त करने उपरांत ही उपयोग किया जाए अन्यथा इस राशि को सरकार के आदेशानुसार सरकारी खजाने में जमा करवाया जाए। इस का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ण" पर है।

v) नगर परिषद् नालागढ़ को निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा "अर्बन बेसिक सर्विसज फार पुअर" के अंतर्गत अनुदान की राशियां प्राप्त की गई थी जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ज" में दिया गया है। राशि मु० 4,77,223.00 रु० दिनांक 25-[illegible] को और राशि मु० 477,223.00 रु० दिनांक 15-11-97 को प्राप्त किए थे परन्तु अनुदान की राशियां अभी तक व्यय नहीं की गई थी। अतः अनुदान राशि को स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर व्यय किया जाए अन्यथा राशि सरकार को वापिस की जानी सुनिश्चित की जाए।

(vi) नगर परिषद् नालागढ़ को अवधि 4/90 से 3/98 तक जो अनुदान राशि पूंजी सम्पत्ति के एवज में सरकार से प्राप्त हुई थी उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "त" में दर्शाया गया है। परन्तु परिषद् द्वारा अनुदान स्वीकृति पत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस राशि से सम्बन्धित आय तथा व्यय के लेखों का अलग से रख रखाव नहीं किया गया था फलस्वरूप इस राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि की सही जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी अतः व्यय की गई राशि का अवधि 31 मार्च 98 तक पूर्ण लेखा जोखा तैयार किया जाए तथा जांच हेतु अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(vii) नगर परिषद् नालागढ़ को अवधि मार्च 98 तक नगर परिषद् के प्रधान, उप प्रधान व मैम्बरों के मान देय के लिए जो अनुदान प्राप्त हुआ था उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "थ" में दर्शाया गया है।

को [illegible]

५) नगर परिषद नालागढ़ को निदेशक, शहरी वि० हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा 'अर्बन बेसिक सर्विसज फार पुअर' के अंतर्गत अनुदान की राशियां प्राप्त की थी जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ण' में दिया गया है। राशी मु० 4,77,223.00 रु० दिनांक 94 को और राशी मु० 4,77,223.00 रु० दिनांक 15-11-97 को प्राप्त किए थे परन्तु अनुदान की राशियां अभी तक व्यय नहीं की गई थी। अत: अनुदान राशि स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर व्यय किया जाए अन्यथा से राशी सरकार को वापिस की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ध) नगर परिषद नालागढ़ को अवधि 4/90 से 3/98 तक जो अनुदान राशि पूंजी समायें के रूप में सरकार से प्राप्त हुई थी उस का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'त' में दर्शाया गया है। परन्तु परिषद द्वारा अनुदान स्वीकृति पत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस राशि से सम्बन्धित आय तथा व्यय के लेखों को अलग से रख रखाव नहीं किया गया था फलस्वरूप इस राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि की सही जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी अत: व्यय की गई राशि का अवधि 3/मार्च 98 तक ~~व्यय की गई राशि का~~ पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाए तथा जांच हेतु अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

५) नगर परिषद नालागढ़ को अवधि मार्च 98 तक नगर परिषद के प्रधान, उपप्रधान व मैम्बरों के मान देय के लिए जो अनुदान प्राप्त हुआ था उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'थ' में दर्शाया गया है।

शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव में परिवर्तित करना।

नगर परिषद नालागढ़ को शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव में परिवर्तित करने के लिए सरकार के पत्र संख्या यू० एल० बी० - एच० - एफ० - (1) 1/89 - III दिनांक 10.11.94 द्वारा मुबलिग 2,73,600.00 रु० और पत्र संख्या सम० यू० एल० बी० - एच० एफ० - 1/89-4 दिनांक 17.10.95 द्वारा मुबलिग 1,28,700.00 रु० कुल 4,02,300.00 रु० अनुदान के रूप में प्राप्त हुए थे। नगर परिषद ने 31.3.98 तक इस अनुदान राशी में से मुबलिग 1,40,700.00 रु० व्यय किए थे और नगर परिषद के पास मुबलिग 2,61,600/- रु० दिनांक 31.3.98 को शेष थे। अतः शेष राशी को सरकार के निर्देशानुसार व्यय किया जाए अन्यथा राशी को सरकार अप्रयुक्त राशी मु० 261,600/- रु० को सरकारी खजाने में जमा करवाई जाए। सरकार से प्राप्त अनुदान राशी और व्ययों का विवरण परिशिष्ट 'ट' अंकेक्षण अवधि 4/90 से 3/98 के साथ संलग्न है।

असंशोधित वेतनमान – अधिक अदायगी

वाउचर नं० 17 दिनांक 3/98 रू० 73678.00

क) मुबलिग 73678.00 रू० का भुगतान नगर परिषद् के कर्मचारियों को असंशोधित वेतनमानों की बकाया राशि अवधि 1.1.96 से 31.1.98 तक के भुगतान किए गए थे। असंशोधित वेतनमानों के बकाया बिलों की जाँच पड़ताल करते पाया गया कि मुबलिग 2819.00 रू० निम्नलिखित कर्मचारियों को अधिक दिए गए थे जिसका विवरण लघु आपत्ति विवरणिका अवधि 4/90 से 3/98 की मद क्र० 1 में दर्शाया गया है। यह लघु आपत्ति विवरणिका नगर परिषद गोहाना को पहले ही भेजी जा चुकी है। अत: इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल कर के नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाए तथा तदानुसार इस निदेशालय को भी सूचित किया जाए।

		रू०
1) श्री [illegible]	सफाई सेवक	1234.00
2) श्री [illegible]	सफाई सेवक	937.00
3) श्री वेद प्रकाश	व० लिपिक	514.00
4) श्री देव प्रकाश	स० सु०प०	134.00
	जोड़	2819.00

ख) लीव इनकैशमेंट की अधिक अदायगी

वाउचर नं० 24 दिनांक 11/95 रू० 45445.00

वाउचर नं० 51 दिनांक 1/96 रू० 3161.00

i) मुबलिग 48606.00 रू० का भुगतान श्री राम फल चौहान कनिष्ठ अभियन्ता जो परिषद सेवा से दिनांक 31.10.95 को सेवानिवृत्त हुए थे को 331 दिन (अर्जित अवकाश) के अवकाश वेतन (लीव इनकैशमेंट) का किया गया। कर्मचारी के अवकाश लेखे की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 31.10.95 को उन के अवकाश लेखे में केवल 232 दिन (अर्जित अवकाश) शेष थे तथा उन्हें केवल 45,445.00 रू० ही देय थे जिन्हें ... किया गया है। अत: इस प्रकार मुबलिग 3161.00 रू० की अधिक अदायगी की जिम्मेवारी निश्चित की जाए तथा वसूली की जाए तथा तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया...

31-10-95 को मूल वेतन 2490.00 रु
31-10-95 को डी० ए० 136% 3386.00 रु
5876.00

देय राशि $\frac{5876 \times 232}{30}$ = 45441.00 रु

अदायगी 47607.00 रु — देय राशि 45441.00 रु अधिक 2167 रु

(ग) वाउचर नं० 34 दिनांक 4/96 रु० 32688.00

मुबलिग 32688.00 रु० का भुगतान श्री गोविन्द प्रसाद चुंगी मुहर्रिर को जो परिषद सेवा से दिनांक 31-3-96 को सेवा निवृत्त हुए थे को 240 दिन (अर्जित अवकाश) के अवकाश वेतन का भुगतान किया गया था। श्री गोविन्द प्रसाद को मुबलिग 31744.00 रु० देय थे जिसका विवरण निम्न दिया गया है परन्तु उस को मु० 32688.00 रु० भुगतान किया गया। इस प्रकार मु० 944.00 रु का अधिक भुगतान किया गया था जो कि गलत गणना के कारण किया गया। अतः मु० 944.00 रु० जो अधिक अदा किए गए थे के शीघ्र वसूली की जाए। और अनुपालन। से आगामी ऑडिट पर अवगत किया जाए।

31-3-96 को मूल वेतन 1600.00 रु
31-3-96 को डी० ए० 148% 2368.00 रु
3968.00 रु०

देय राशि $\frac{3968 \times 240}{30}$ = 31744.00 रु०
अदायगी की गई राशि = 32688.00 रु०
अधिक अदायगी राशि = 944.00 रु०

(घ) वाउचर नं० 46 दिनांक 7/97 रु० 23520.00

मुबलिग 23520.00 रु० का भुगतान श्रीमति कौशल्या देवी स्वीपर मेहतर जो परिषद सेवा से दिनांक 30-4-96 को सेवा निवृत्त हुई थी को 240 दिन (अर्जित अवकाश) के अवकाश वेतन का भुगतान किया गया था। श्रीमति कौशल्या देवी को मुबलिग 22616.00 रु० देय थे जिसका विवरण निम्न दिया गया है। परन्तु उस को गलत गणना के कारण मु० 23520.00 रु० की अदायगी की गई थी इस प्रकार

श्री [illegible] देवी को कु० 904.00 रु० की अधिक अदायगी की गई थी जिसकी अब शीघ्र वसूली कीजिए।

30.4.96 को मूल वेतन 1140.00 रु
30.4.96 को डी०ए० 148% 1687.00 रु
2827.00

देय राशि $\frac{2827.00 \times 240}{30}$ = 22616.00 रु
अदायगी राशि = 23520.00 रु
अधिक अदायगी = 904.00 रु

वाउचर नं० 13 दिनांक 10/96 राशि 2723.00

मुबलिग 2723.00 रु का भुगतान श्री मोहिन्द्र प्रसाद चुंगी मुहर्रर जो परिषद सेवा से दिनांक 31.3.96 को सेवा निवृत हुए थे की बाबत पैंशन मास सितम्बर, 96 और मंहगाई भत्ते की किश्त की बकाया राशि मास जनवरी 96 से अगस्त 96 की अदायगी की गई थी। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि श्री मोहिन्द्र प्रसाद को मुबलिग 2453.00 रु का भुगतान देय था। इस प्रकार कु० 270.00 रु की अधिक अदायगी की गई थी जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। गणना करते समय मंहगाई भत्ते की किश्त मास जनवरी 96 से अदा कर दी गई थी जबकि वह 31.3.96 को परिषद सेवा से निवृत हो चुका था और 31.3.96 तक मंहगाई भत्ते की किश्त उसे पहले ही वेतन के साथ अदा कर दी गई थी इस प्रकार मंहगाई भत्ते की किश्त मास अप्रैल 96 से देय थी। अतः 1.1.96 से 31.3.96 तक मंहगाई भत्ते की अधिक अदायगी की गई थी जिसे अब वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

पैंशन 747.00 रु मास 9/96
मंहगाई भत्ता 148% 1106.00 रु
आई०आर० 10% 75.00 रु
आई०आर० 75.00 रु

महंगाई भत्ते की किश्त पैंशन पर 747.00 रु
मास 5/96 से 8/96 देय 1106.00 रु 148%
पहले देय 1016.00 136%
अन्तर 90.00 रु

5/96 से 8/96 दर 90.00 रु. प्रति मास से देय 450.00 रु

अदायगी की
1/96 से 8/96 दर 90.00 प्रति मास से देय 720.00 रु
अधिक अदायगी 270.00 रु

पैंशन देय 2003.00 रु
महंगाई भत्ता देय 450.00 रु
कुल योग देय 2453.00 रु

अदायगी की गई
2003.00 रु
720.00 रु
2723.00 रु

अधिक अदायगी रु 2723.00 (-) रु 2453.00
= 270.00 रु.

वाउचर नं. 69 दिनांक 3/94 राशि 315.00

श्री पी० एन० भनोट सीधा सलाहकार परिषद, नालागढ़ को बाबत यात्रा करने नालागढ़ से सोलन और वापिसी दिनांक 3.3.94 और 17.3.94 दर 80/- रु० प्रति दिन के हिसाब से 160.00 रु० और 35.00 रु० लॉजिंग चार्ज के कुल 195.00 रु० देय थे परन्तु गलत गणना के कारण श्री पी० एन० भनोट सीधा सलाहकार को मुबलिग 315.00 रु० का भुगतान कर दिया गया था इस प्रकार इनको 120/- रु० की अधिक अदायगी की गई थी। अत: राशि मु० 120/- रु० को आप मूल कार के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

दुकानों / स्टालों / प्लाटों से किराए की वसूली

क.) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि शहर में नगर परिषद क्षेत्र में स्थित दुकानों / स्टालों / प्लाटों की विभिन्न दुकानदारों / फर्मों के आवंटित की [illegible] से अवधि 31 मार्च 1998 को मुबलिग 1,68,498.40 रू० बावत किराए के रूप में वसूल करना शेष है जिनका विवरण निम्न दिया गया है। किराया वसूल करने की प्रक्रिया संतोषजनक नहीं थी। अतः बकाया पड़े किराये की राशि को वसूल करने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर परिषद नजीबाबाद शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और किराया की वसूली की जाए और तदानुसार इस कार्यालय को सूचित करें।

नाम दुकानदार / फर्म	दिनांक 31.3.98 को बकाया राशि वसूली योग्य
सब्जी	रु
आत्मा राम जैन	79.00
अजीत पाल जैन	435.00
आनन्द पाल पुत्र चंचल सिंह	19,684.00
कमल चंद पुत्र प्रेम दयाल	848.00
अजीत पाल जैन	430.00
ज्योति प्रसाद पुत्र राम लाल	1712.00
श्री मोती [illegible] देवी	192.00
दी नजीबाबाद तहसील को-ओपरेटिव [illegible]	14,887.56
[illegible] पुत्र मुंशी राम	63.00
[illegible] सिंह [illegible] सिंह	1359.84
[illegible] लाल पुत्र [illegible]	4632.00
गोविन्द सिंह पुत्र [illegible] सिंह	375.00
[illegible] पाल जैन	60.00
[illegible]	60.00
योग	[illegible]

पिछला शेष	44,809.40
हुआन चंद कोड	10,000.00
हिमाचल पथ परिवहन निगम (1)	900.00
हिमाचल पथ परिवहन निगम (2)	900.00
नत्थू खां पुत्र प्रेम	1,008.00
सलीम मख्तर पुत्र गुलाम हैदर	3,456.00
जोतम सिंह	13,580.00
जोगिन्द्र सिंह	18,770.00
हरविन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह	1838.00
अमृत सिंह पुत्र वीर सिंह	63.00
जगन्नाथ पुत्र सीता राम	3624.00
सरबजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह	44104.00
रविन्द्र कुमार पुत्र शंकर दास	1741.00
बाबू खां करीम बख्श	23875.00
कृष्णा चंद पुत्र सुखरूगी	23,875.00
भुवनेश्वर पुत्र तिलक राम	23875.00
प्रवीण कुमार पुत्र ब्रह्मानंद	23,875.00
धीरज कुमार पुत्र सोहन लाल	23,875.00
हरविलास पुत्र मधु राम	23,875.00
प्रीतम सिंह पुत्र गोविंद सिंह	15,120.00
वीर सिंह पुत्र सदा राम	15,120.00
मनजीत सिंह पुत्र धर्म सिंह	15,120.00
गुरदयाल सिंह पुत्र गंगा सिंह	15,120.00
सुरेन्द्र सिंह पुत्र लेख राम	15,120.00
रमेश पुत्र इस्माईल	15,120.00
मोहम्मद पुत्र श्री राम	15,120.00
महेन्द्र सिंह पुत्र तुलसा	15,120.00
मंगत राम पुत्र पिशौरी लाल	15,120.00
गुरदेव सिंह पुत्र लाल सिंह	15,120.00
योग	4,39,243.40

G.O.

	पिछला जोड़	4,39,24340
हरभजन सिंह पुत्र प्रकाश चंद		15,120.00
प्यारा सिंह पुत्र बचन सिंह		15,120.00
सुरजन सिंह पुत्र तुलिया		3,730.00
सुरिन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह		8,550.00
मोहन सिंह पुत्र घुड्डु राम		29,400.00
श्रीमति सोमा देवी पत्नी दाता राम		29,400.00
जैमल सिंह पुत्र मक्खन सिंह		29,400.00
खुशी राम पुत्र युसफ		29,400.00
बाबू राम पुत्र रिडु राम		29,400.00
सेवन्द्र नाथ पुत्र सिद्धेया		17,700.00
जतिन्द्र कुमार पुत्र जुगल किशोर		32,000.00
संजीव कुमार पुत्र दीवान चंद		28,400.00
अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश		33,600.00
केहर चंद पुत्र बाबू राम		33,600.00
देविन्द्र कुमार पुत्र हरभजन सिंह		29,400.00
इन्द्र पाल पुत्र लाल सिंह		29,400.00
प्रेम सिंह पुत्र घुड्डु राम		29,400.00
पंकज कुमार पुत्र शिवा नाथ		30,400.00
पंकज शर्मा पुत्र बलदेव प्रसाद		39,400.00
सोलिश्वर देव पुत्र पृथ्वी राज		2035.00
चमन लाल पुत्र भाग मल		11,000.00
राकेश कुमार पुत्र उजागर सिंह		15,450.00
	कुल जोड़	9,68,49840

ख) विविध - ठेका पर दी जाने वाली दुकानात

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा ठेका पर दी जाने वाली दुकानों। स्टालों की बकाया किराया की वसूली 31 मार्च 1998 को मुबलिग 49,658.00 रुपये जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। किराया की वसूली सन्तोषजनक नहीं थी अतः बकाया किराया की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं और किराया की वसूली शीघ्र की जाए।

नाम दुकानदार। फर्म	31.3.98 को वसूली योग्य राशि
सब्जी	रु०
ओम चंद पुत्र मंगू राम	3600.00
सुभाष चंद	4358.00
जगन्नाथ पुत्र दुनिया राम	22,350.00
अनिल कुमार पुत्र गुरदास	10,500.00
राम चंद पुत्र प्रेम चंद	5,225.00
अशोक कुमार पुत्र चेतन राम	1900.00
कुलभूषण कुमार	1725.00
योग	49,658.00

ग) चुंगी कर के बकाया :

चुंगी कर के 31 मार्च 1998 को मु० 959.24 रु० बकाया थे जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है इस की शीघ्र वसूली की जाए। और इन व्यापारियों को इस नियम की अनुपालना कराई जाए।

विभाग का नाम	यो० जो वसूली योग्य रही
	रु०
महाप्रबन्धक अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई सं० उपमंडल नालागढ़	109.51
इत्यादि	149.50
अधिशाषी अभियन्ता एच० पी० डब्ल्यू० डी० नालागढ़	707.23
योग	959.24

3\. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 160 के अन्तर्गत किए गए चालानों से कम वसूली

(क) नगर परिषद नालागढ़ द्वारा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 160 का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों से जुर्माने की राशि की कम वसूली की गई थी। अधिनियम 1994 की धारा 160 के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति से जुर्माने की राशि न्यूनतम मु० 25/- रु० और अधिकतम 200/- रु० थी परन्तु अंकेक्षण करते समय पाया गया कि दोषी व्यक्तियों से जुर्माने की राशि मु० 170.00 रु० कम वसूल की गई थी जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अत: इस राशि की शीघ्र वसूली कर के सिटिंग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	नाम	कितने का जुर्माना	जो जुर्माना वसूल किया	रसीद नं० दिनांक	कम वसूली
		रु०	रु०		रु०
1	श्री पम्मी पुत्र श्री कालु	25.00	20.00	19/157 4.4.95	5.00
2	" शकील पुत्र श्री शरीफ	25.00	20.00	17/157 4.4.95	5.00
3	" बॉबी पुत्र बलदेव	25.00	20.00	56/156 10.4.95	5.00
4	" [illegible] पुत्र [illegible]	25.00	20.00	32/159 27.5.95	5.00
5	" केवल पुत्र साधु राम	25.00	20.00	34/159 27.5.95	5.00
6	" संतकुमार पुत्र [illegible]	25.00	20.00	35/159 25.5.95	5.00
7	" [illegible] पुत्र नन्दु राम	25.00	20.00	45/158 1.6.95	5.00
8	" सुनील कुमार	25.00	20.00	60/159 9.6.95	5.00
9	" हरिरूप पुत्र गोपाल	25.00	20.00	71/159 15.6.95	5.00
					45.00

			पिछला योग	45.00
10. गफ्फू पुत्र फोलाल	25.00	10.00	76/159 17.6.55	15.00
11. शैलेन्द्र पुत्र नरेन्द्र	25.00	20.00	78/159 17.6.55	5.00
12. राम भरत पुत्र मोतीराम	25.00	20.00	79/159 17.6.55	5.00
13. श्रीमती डोमा पत्नी पुरखु	25.00	20.00	8/165 1.7.55	5.00
14. श्री रतिन्द्र पुत्र जोधसिंह	25.00	20.00	20/174 3.11.55	5.00
15. सुरजीत	25.00	20.00	21/174 3.11.55	5.00
16. बाकी पुत्र बलदेव	25.00	20.00	22/174 3.11.55	5.00
17. रजाक मुहम्मद	25.00	20.00	23/174 3.11.55	5.00
18. ताज मुहम्मद	25.00	20.00	24/174 6.11.55	5.00
19. बशीर मुहम्मद	25.00	20.00	27/174 6.11.55	5.00
20. [illegible] पुत्र परमानन्द	25.00	20.00	28/174 8.11.55	5.00
21. काला पुत्र मोदे	25.00	10.00	40/187 17.4.56	15.00
22. लला पुत्र रामचन्द	25.00	10.00	42/187 17.4.56	15.00
23. शेरसिंह पुत्र उत्तमलाल	25.00	10.00	41/187 17.4.56	15.00
24. कालूराम पुत्र [illegible]	25.00	15.00	41/195 24.7.56	10.00
25. हिरानन्द पुत्र सधीर	25.00	20.00	5/200 5.5.56	5.00
			योग	170.00

ग) भवन निर्माण शुल्क : भवन निर्माण के प्रार्थना पत्रों की जाँच करते समय पाया गया कि भवन निर्माण शुल्क के गलत गणना के कारण मु० 174.00 रु० कम वसूल किया गया था जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अतः कम वसूल किए गए शुल्क को सम्बन्धित व्यक्ति से अति शीघ्र वसूल किया जाए अथवा इस राशि की भरपाई सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से की जाए और इस की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

नाम	अनुमान लागत	राशि देय	राशि जो वसूल की	रसीद नं० दिनांक	कम वसूली	टिप्पणी
	रु०	रु०	रु०		रु०	
[illegible] देवी पत्नी [illegible] प्रकाश	1,10,760	277.00	250.00	13/8 10.7.90	27.00	[illegible] प्रतिहस्ताक्षर
[illegible] पत्नी [illegible] पाल	41,400	104.00	72.00	43/24 1.10.90	32.00	"
[illegible] चन्द पुत्र [illegible] पाल	1,00,440	251.00	165.00	83/181 2.3.96	86.00	"
[illegible] पत्नी [illegible]	2,60,250	651.00	625.00	33/87 23.12.92	26.00	"
[illegible] पुत्र [illegible]	6,29,200	1573.00	1572.00	15/1036 9.6.92	1.00	"
[illegible] पुत्र [illegible]	1,04,120	262	260.00	23/1050 16.9.92	2.00	"
				योग	174.00	

मुतफर्का जात्रो :- टौबी कम जमा करना

मुतफर्का जात्रो की आय की प्रतीत पड़ताल करने पर पाया गया कि मुबलिग 30.00 रु0 की आय जो कि वसूल की गई थी उसको नगर कोषागार निधि में कम जमा करवाया गया था जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अतः उपरोक्त मुबलिग 30.00 रु0 को सम्बन्धित टौबी कर्मचारी से वसूल कर के नगर कोषागार निधि में जमा करवाया जाए और इस की सूचना इस निदेशालय को दे दी जाए।

रसीद नम्बर	दिनांक	टौबी की वसूली	टौबी की जमा की	कम जमा टौबी
		रु	रु	रु
71-72/15	7.6.97	25.00	15.00	10.00
96 से 99/15	21.6.97	20.00	15.00	5.00
12 से 14/16	28.6.97	20.00	15.00	5.00
30 से 32/16	5.7.97	20.00	15.00	5.00
86 से 92/16	28.7.97	25.00	20.00	5.00
			योग	30.00

घ) सेठ मैट शुल्क धारा 135 के अन्तर्गत

मैसर्ज बनवारीलाल एंड सन्स नारनौल से मुबलिग 20/- रु0 की रसीद न0 1/154 दिनांक 7.3.95 को वसूल किए गये परन्तु इस राशि का इन्द्राज नगर कोषागार की रोकड़ बही में नहीं पाया गया। अतः इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर के नगर कोषागार निधि में जमा करवाया जाए और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

तहबाजारी

क) केस पार्किंग केस पार्किंग की आय की जाँच पड़ताल करते समय पाया गया कि मुबलिग [illegible] रु0 की आय जो कि वसूल की गई थी को नगर परिषद निधि में [illegible] करवाया गया था

-36-

पशु वधशाला :- राशि कम जमा करना

पशु वधशाला की आय की जाँच पड़ताल करते समय पाया गया कि मुबलिग 30.00 रु0 की आय जो कि वसूल की गई थी उसको नगर परिषद निधि में कम जमा करवाया गया था जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अतः इस राशि मुबलिग 30.00 रु0 को सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल कर के नगरपरिषद निधि में जमा करवाया जाए और इस की सूचना इस निदेशालय को दे दी जाए

रसीद नं0	दिनांक	राशि जो वसूल की	राशि जो जमा की	कम जमा राशि
		रु0	रु0	रु0
71-72/15	7-6-97	25.00	15.00	10.00
96से98/15	21-6-97	20.00	15.00	5.00
12से14/16	28-6-97	20.00	15.00	5.00
20से22/16	2-7-97	20.00	15.00	5.00
88से92/16	28-7-97	25.00	20.00	5.00
			जोड़	30.00

लाईसेंस शुल्क धारा 155 के अंतर्गत

मैसर्ज़ [illegible] लाल रूपचंद मंडी नं0 गोलाबाड़ से मुबलिग 20/- रु0 रसीद नं0 24601/154 दिनांक 7-3-95 को वसूल किये गये परन्तु इस राशि का इन्द्राज नगर परिषद की रोकड़ बही में नहीं पाया गया। अतः इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाए और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

९. तहबाजारी

क) बस पार्किंग : बस पार्किंग की आय की जाँच पड़ताल करते समय पाया गया कि मुबलिग 49 रु० की आय जो कि वसूल की गई थी को नगर परिषद निधि में कम जमा करवाया गया था जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है अत: इस राशि को सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाए और इस की सूचना इस निदेशालय को दी जाए।

रसीद नं०		दिनांक	राशि जो वसूल की गई	राशि जो जमा करवाई	राशि जो कम जमा करवाई
			रु०	रु०	रु०
153-200 / 268	1-102 / 269	26 5/94	600.00	596.00	4.00
56-200 / 367	1-44 / 368	27 5/94	745.00	730.00	15.00
68-200 / 387	1-18 / 388	24 10/94	755.00	745.00	10.00
86-200 / 93	1-55 / 94	13 7/95	850.00	830.00	20.00
				योग	49.00

ख) बस पार्किंग की कम वसूली : बस पार्किंग की आय की जाँच पड़ताल करते समय पाया गया कि मुबलिग 425 रु० बस पार्किंग शुल्क के कम वसूल किए थे जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। अत: इस कम वसूली की सम्बन्धित कर्मचारियों से भरपाई की जाए अन्यथा इस कम वसूली को नियमित करवाया जाए :-

कुल बसें	मिस बसें	बकाया बसें	राशि देय	राशि जमा की	राशि कम वसूली	दर प्रति बस पार्किंग
			रु०	रु०	रु०	दर प्रति बस पार्किंग रु० 2/-
135	20	115	230.00	210.00	20.00	
135	6	129	258	256	2.00	"
135	11	124	248	246	2.00	"
					योग 24.00	50

पिछला जोड़ 24.00

135	6	129	258.00	248.00	10.00	"
148	21	127	508.00	468.00	40.00	दर @ रु4/- प्रति बस
148	27	121	484.00	480.00	4.00	"
148	25	123	492.00	488.00	4.00	"
203	16	187	935.00	930.00	5.00	दर @ रु5/- प्रति बस
203	16	187	935.00	885.00	50.00	"
203	46	157	785.00	765.00	20.00	"
203	22	181	905.00	855.00	50.00	"
203	11	192	960.00	910.00	50.00	"
203	12	191	955.00	935.00	20.00	"
236	30	206	2060	2000.00	60.00	दर @ रु10/- प्रति बस
111	8	103	206	196.00	10.00	दर @ 2 रु प्रति बस
111	4	107	214	202.00	12.00	"
111	—	111	222	208.00	14.00	"
111	12	99	198	192.00	6.00	"
111	6	105	210	200.00	10.00	"
111	9	102	204	200.00	4.00	"
111	5	106	212	208.00	4.00	"
111	13	98	196	192.00	4.00	"
111	9	102	204	200.00	4.00	"
111	5	106	212	208.00	4.00	"
111	5	106	212.00	208.00	4.00	"
111	17	94	188.00	184.00	4.00	"
111	15	96	192.00	188.00	4.00	"
111	10	101	202.00	198.00	4.00	"

योग 495.00 रु.

6. अग्रिम राशी : क) निम्न लिखित राशी का भुगतान नगर परिषद के निम्न कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम रूप में किया गया था परन्तु उन के समायोजन लेखे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे जो कि सन्तोषजनक नहीं था। अतः सम्बन्धित कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियों के समायोजन लेखे अब शीघ्र ही प्राप्त करके जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अग्रिम दी गई राशी को एक-मुश्त रूप ब्याज सहित दोषी कर्मचारियों से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में सूचित किया जाए।

वाउचर क्र०	दिनांक	राशी	विवरण
32	15.2.91	4507.0	श्री शक्ति स्वरूप मल्होत्रा सचिव बाबत बिजली का सामान खरीदने
52	7/96	500.0	श्री दिनेश कुमार लिपिक बाबत स्वर्ण कोट हेतु
45	10/96	100.0	— यथोपरि —
30	8/96	1000.0	श्री बलजीत सिंह वर्क सुपरवाईजर बाबत मरम्मत ट्रक इत्यादि / ट्रैक्टर
28	10/96	250.0	— यथोपरि —
40	1/97	650.0	— यथोपरि —
35	3/97	1000.0	— यथोपरि —
66	3/97	600.0	— यथोपरि —
30	1/97	4572.0	श्री बलजीत सिंह वर्क सुपरवाईजर बाबत खरीद ईंटें
65	3/97	800.0	श्री बलजीत सिंह बाबत रेत रायल्टी
75	3/97	6000.0	श्री बलजीत सिंह बाबत खरीद ईंटें
72	3/97	4572.0	" बाबत ईंटें
17	9/97	5720.0	" बाबत खरीद ईंटें

79	9/97	4419.00	श्री बलजीत सिंह बाबत सीट हेटे
23	10/97	4573.00	— अरोपर्ति —
49	10/97	4573.00	— अरोपर्ति —
40	2/98	2000.00	श्री आत्मे स्वरूप मलहोत्रा बाबत मरम्मत ट्रक 7192
43	2/98	1620.00	— अरोपर्ति —
		47354.00	

ख) वाउचर नं० 44 दिनांक 5/96 राशि 4500.00

मु० 4500.00 रु० का भुगतान श्री बलजीत सिंह टेक्निकल सुपरवाईजर को पत्थर क्रय करने हेतु बाबत अग्रिम के रूप में किया गया था। जिसमें से मु० 4200.00 रु० के वाउचर प्रस्तुत किए गए थे और एक वाउचर नं० 6 जो 300/- रु० का था उस पर राशि वसूल करने वाले के हस्ताक्षर नहीं थे अतः राशि प्राप्त करने वाले की रसीद दिखाई जाए अन्यथा मु० 300/- रु० फंड में जमा करवाए जाए इसकी अनुपालना कागज लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की जाए।

ग) वाउचर नं० 48 दिनांक 12/91 राशि 10,000.00 रु०
वाउचर नं० 45 दिनांक 2/91 राशि 7000.00 रु०
वाउचर नं० 39 दिनांक 1/93 राशि 3000.00 रु०

मु० 20,000.00 रु० का भुगतान श्री प्रम फल दोहान जे० ई० को हेतु अग्रिम रूप में किया गया था। जिसमें से दिनांक 18.1.93 तक मु० 17612.82 रु० का ही समायोजन किया गया था और शेष राशि मु० 2387.18 रु० का समायोजन दिनांक 23.3.92 को किया गया था। इस प्रकार मु० 2387.18 रु० का दिनांक 18.1.93 से 23.3.92 तक लाभार्थी द्वारा दुरुपयोग किया गया था। यह संतोषजनक नहीं था अतः भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

39	7/97	4419.00	श्री बलजीत सिंह बाबत खरीद ईटे
23	10/97	4573.00	—— यथोपरि ——
49	10/97	4573.00	—— यथोपरि ——
40	2/98	2000.00	श्री शान्ति स्वरूप मलहोत्रा बाबत मरम्मत ट्रक 7192
43	2/98	1620.00	—— यथोपरि ——

59) वाउचर नं० 44 दिनांक 5/96 राशि 4500.00

मु० 4500.00 रु० का भुगतान श्री बलजीत सिंह दैनिक भोगी सुपरवाईजर को पत्थर क्रय करने हेतु बाबत अग्रिम के रूप में किया गया था। जिसमें से मु० 4200.00 के वोचर प्रस्तुत किए गए थे और सब वोचर नं० 6 जो 300/- रु० का था उस पर राशि वसूल करने वाले के हस्ताक्षर नहीं थे अतः राशि प्राप्त करने वाले की रसीद आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए अन्यथा मु० 300/- रु० परिषद् निधि में जमा करवाई जाए इसकी अनुपालना अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

60) वाउचर नं० 40 दिनांक 12/91 राशि 10000.0 रु०
वाउचर नं० 45 दिनांक 12/91 राशि 7000.0 रु०
वाउचर नं० 39 दिनांक 1/92 राशि 3000.0 रु०

मु० 20,000.00 रु० का भुगतान श्री राम फल चौहान जे०ई० को ईंटे क्रय करने हेतू अग्रिम रूप में किया गया था। जिसमें से दिनांक 18.1.92 तक मु० 17612.82 रु० का ही क्रय किया गया था और शेष राशि मु० 2387.18 रु० का समायोजन दिनांक 23-3-92 को किया गया था इस प्रकार मु० 2387.18 रु० का अवधि 18.1.92 से 23.3.92 तक लगभग 2 माह का दुरुपयोग किया गया था। यह सन्तोषजनक नहीं था अतः भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रतिपूर्ति ...

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे

क) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को कुछ अस्वीकार्य/दवाइयों के मूल्य की प्रतिपूर्ति की गई थी इस प्रकार कुल राशि 516.50 रु की अधिक अदायगी की गई थी। जिसे अब अविलम्ब सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल कर के नगर परिषद की निधि में जमा करवाया जाए।

वाउचर नं०	दिनांक	राशि	दावेदार का नाम	अस्वीकार्य दवाई का नाम	दवाई का मूल्य
		रु०			रु०
34	1/99	29.61	श्री हेमराज	कैलाडरल	14.00
43	3/98	2909.00	श्री खेमचंद	प्रोटीनेक्स	87.00
			श्री विजय कुमार	टुथपेस्ट	19.00
			श्री विजय कुमार	प्रोटीनेक्स	87.00
			श्री दीपक चंद	रूमयाफ जैलि (स्वर्णामृत)	270.00
35	3/97	364.00	श्री हेमराज	विटामिन 'बी'	11.00
54	3/98	6145.00	श्री दीपक चंद	कैस्टोप्राइम 30 ग्रा०	28.50
				योग	516.50

ख) वाउचर नं० 54 दिनांक 3/98 द्वारा रु० 600.00 का भुगतान श्री दीपक चंद व० लिपिक को कु० नीलम का टी3 टी4 टी.एस.एच. टैस्ट' जमल क्लीनीकल लैबोरेट्री नालागढ़ द्वारा करने के बाद किए गए थे। यह टैस्ट प्राइवेट लैबोरेट्री से करवाया गया था इस टैस्ट के लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकार्य थी अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि इस टैस्ट के लागत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक न

की गई हो यदि अधिक अदायगी की गई थी तो उस की वसूली की जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

इसी प्रकार वाउचर नं० 1 दिनांक 1/17 द्वारा मुब्लिग 400/- रु० का भुगतान श्री गोविन्द सिंह मार्फत सेवक को बावत कु० सुमन का यू० एम० जी टैस्ट अजन्ता नर्सिंग होम नालागढ़ द्वारा करने के अदा किए गए थे। यह टैस्ट भी प्राइवेट नर्सिंग होम से करवाया गया था और इस टैस्ट के क्षति की प्रतिपूर्ति भी गलत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर स्वीकार्य थी। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि इस टैस्ट के क्षति की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक न की गई हो यदि अधिक अदायगी की गई हो तो उस की वसूली की जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

च) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रजिस्टर का रख रखाव सन्तोषजनक नहीं था। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का रजिस्टर मैडीकल अटैंडेंस नियम 1944 के अनुसार बनाया जाए और इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

ख) लाग बुक पृष्ठ ११ के अनुसार ट्रक कुच आई ए 7192 को दिनांक 11.7.96 को नालागढ़ से गोपड के लिए जी० आई० पाईप 2 इंच (तो वहि का 4 और 10 के पाली की

-43-

डी० सी० एफ० टेम्पला ट्रक एच० आई० यू० 7192

लाग बुक

डी० सी० एफ० टेम्पला ट्रक कुच आई ए 7192 की लाग बुक की जाँच पड़ताल करते समय निम्न अनियमतायें पाई गई थी। इन अनियमतताओं का निपटारा शीघ्र ही किया जाए तथा कार्यकारी अधिकारी नालागढ़ इन आपत्तियों का समाधान करवा कर इस निदेशालय को तदानुसार सूचित करें।

क) हाई स्पीड डीजल के स्टाक रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जो डीजल स्टाक रजिस्टर से जारी किया गया था उसका इन्द्राज ट्रक एच० आई ए 7192 की लाग बुक में नहीं पाया गया था जिसका विवरण निम्न दिखा जा रहा है और न ही इस डीजल का निपटारा दर्शाया गया था अतः इस डीजल का निपटारा दिखाया जाए अन्यथा इस डीजल का मूल्य दोषी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

स्टाक रजिस्टर न०/पृष्ठ	दिनांक	कितना डीजल जारी किया	डीजल का मूल्य	टिप्पणी
			रु	
2 पृष्ठ 17	4.6.93	35 लीटर	215-25	दर 6.15 रु प्रति लीटर
2 पृष्ठ 19	5.1.94	20 "	123.00	दर 6.15 रु प्रति लीटर
2 पृष्ठ 61	16.2.98	25 "	253.25	दर 10.13 रु प्रति लीटर
2 पृष्ठ 61	20.2.98	25 "	253.25	"
2 पृष्ठ 61	16.3.98	30 "	302.40	दर 10.08 रु प्रति लीटर
2 पृष्ठ 61	17.3.98	30 "	302.40	"
2 पृष्ठ 61	21.3.98	30 "	302.40	"

ख) लाग बुक पृष्ठ 19 के अनुसार ट्रक नम्बर एच.पी. 7192 को दिनांक 11.7.92 को नालागढ़ से गोयड़ के लिए जी० आई० पाईप नाला 2 इंच जो वार्ड न० 4 और 10 में पानी की सप्लाई जाने के लिए भेजा गया था। परन्तु लाग बुक की पड़ताल करते समय पाया कि उसके नोट दिया गया था कि जी० आई० पाईप नाला 2 इंच वाला उपलब्ध नहीं है इस प्रकार ट्रक द्वारा 50 कि० मी० का सफर (गोयड़ जाना और नालागढ़ वापिसी आना।) (मीटर रीडिंग के अनुसार 51335 से 51385) व्यर्थ ही किया गया था अतः 50 कि० मी० जो ट्रक व्यर्थ ही चलाया गया था उसका उत्तरदायित्व निश्चित किया जाए और दोषी अधिकारी/कर्मचारी से 50 कि० मी० की भरपाई 6.08 रू० (मासिक रिटन) प्रति कि० मी० से मुबलिग 304.00 रू० की की जाए और तदानुसार सूचित किया जाए।

ग) दिनांक 22.4.93 को ट्रक 7192 द्वारा जोगों खड्ड से 400 पत्थर (एक चक्कर) लाए गए और लाग बुक में नालागढ़ से जोगों खड्ड और वापिसी की दूरी 36 कि० मी० दिखाई गई थी।

परन्तु दिनांक 7.3.93 को ट्रक 7192 जोगों खड्ड से 400 पत्थर (एक चक्कर) लाया था और लाग बुक में नालागढ़ से जोगों खड्ड और वापिसी की दूरी 66 कि० मी० (मीटर० 24531 से 24597) दिखाई गई थी जो गलत प्रतीत होती है और इस प्रकार 30 कि० मी० की अधिक दूरी दिखाई गई थी जिसको न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा 30 कि० मी० जो अधिक दूरी दिखाई गई उसकी भरपाई दर 5.56 रू० प्रति कि० मी० (मासिक रिटन) से मुबलिग 166.80 रू० की वसूली की जाए।

इसी प्रकार दिनांक 19.4.93 को ट्रक 7192 जोगों खड्ड से 400 पत्थर (एक चक्कर) लाया था तथा दूरी 68 कि०मी० दिखाई गई थी इस प्रकार 30 कि० मी० दूरी अधिक दिखाई गई थी उसकी भरपाई दर 5.56 रू० प्रति कि० मी० से मु० 172.90 रू० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से की जाए और राशि नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाए और तदानुसार सूचित किया जाए।

लाग बुक टैंकर एच आई यू 7712

हाई स्पीड डीजल के स्टाक रजिस्टर की जांच में पाया गया कि जो डीजल स्टाक रजिस्टर से जारी किया गया था उसका इन्द्राज टैंकर एच आई यू 7712 की लाग बुक में नहीं पाया गया था जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। और न ही इस डीजल का निपटारा दर्शाया गया। अत: इस डीजल का निपटारा दिखाया जाए अन्यथा इस डीजल का मूल्य दोषी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

स्टाक रजिस्टर न० पृष्ठ	दिनांक	जितना डीजल जारी किया	डीजल का मूल्य रु०	टिप्पणी
2 पृष्ठ 19	16.2.94	20 लीटर	123.20	दर 6.16 रु० प्रति लीटर
2 पृष्ठ 40	2.7.94	25 "	154.00	"
2 पृष्ठ 43	27.5.95	20 "	139.60	दर 6.98 रु० प्रति लीटर

(क) मेन्टीनेंस लॉग बुक ——

(5) नगर परिषद नालागढ़ द्वारा ट्रक तथा ट्रैक्टर की मरम्मत पर खर्च किया जाता था परन्तु इस खर्चे को इन्द्राज सम्बन्धित मेन्टीनेंस लॉग बुकों में नहीं किया जाता था जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिए जा रहे हैं। यह संतोषजनक नहीं था अत: इस खर्चे का इन्द्राज सम्बन्धित मेन्टीनेंस लॉग बुकों में किया जाए और आगे से लॉग बुकों में दिखाया जाए। और इसे नियमित करवाया जाए तथा उनका इन्द्राज भी किया जाए।

वाउचर क्रम	मास	राशि	विवरण
41	3/93	3011.00	अदायगी कैम्पर नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी ट्रक की इन्श्योरेंस अवधि 28.3.93 से 27.3.94
43	3/94	270.00	मै० सैनी मोटो जनरल स्टोर नालागढ़ को मरम्मत ट्रक 7192
23	11/93	462.00	अदायगी मै० सन्दल वैल्डिंग वर्कस बाबत मरम्मत ट्रैक्टर 7192
42	11/93	815.00	अदायगी मै० किशाल इलैक्ट्रीक वर्कस नालागढ़ बाबत मरम्मत ट्रैक्टर
43	11/93	100.00	अदायगी मै० नवजीत मोटो वर्कस नालागढ़ बाबत मरम्मत ट्रक
44	11/93	3550.00	अदायगी मै० एस० के० कोल्डफ्र मनीमाजरा बाबत मरम्मत ट्रक 7192
45	11/93	1183.00	—— यथोपरि ——
61	3/94	170.00	अदायगी मै० जोगल कोल्ड नालागढ़ बाबत मरम्मत ट्रक
32	3/94	1775.00	अदायगी मै० यमुना व्हीकल लि० जोधपुर बाबत मरम्मत ट्रैक्टर 7192
31	4/94	1350.00	अदायगी मै० शिवा ट्रेडिंग नालागढ़ बाबत सप्लाई टायर व ट्यूब ट्रैक्टर के लिए
46	3/95	150.00	अदायगी मै० देहली मार्केट नालागढ़ बाबत मरम्मत ट्रक 7192
46A	3/95	330.00	अदायगी मै० नवजीत मोटो वर्कस नालागढ़ बाबत मरम्मत ट्रक 7192
49	6/95	365.00	अदायगी मै० देहली मार्केट नालागढ़ बाबत मरम्मत ट्रक 7192

43	6/95	2839.00	अदायगी मैनेजर नेशनल इन्श्योरेन्स लि० फतेहपुर बाबत इन्श्योरेन्स ट्रैक्टर और ट्रक की
48	7/95	190.00	अदायगी मै० प्रहलाद इलेक्ट्रिक वर्कस नवाबगंज बाबत मरम्मत ट्रैक्टर 7192
14	12/95	124.00	अदायगी मै० प्रहलाद इलेक्ट्रिक, वर्कस नवाबगंज बाबत मरम्मत ट्रक 7192
57	12/95	7309.00	अदायगी मै० बलविन्द्र ट्रैक्टर्स वर्कशाप नवाबगंज बाबत मरम्मत ट्रैक्टर
51	12/95	792.00	—— उपरोक्त ——
20	3/96	712.00	अदायगी मै० जी० एस० एण्ड को० नवाबगंज बाबत मरम्मत ट्रैक्टर 7792
66	3/96	1140.00	अदायगी मैनेजर यू०पी० स्टेट लि० सी० नवाबगंज बाबत मरम्मत ट्रक
28	5/96	150.00	अदायगी मै० सुरेन्द्र आटो वर्कस नवाबगंज बाबत मरम्मत ट्रक 7192
33	5/96	780.00	अदायगी मै० हिमाचल इलेक्ट्रीकल वर्कस नवाबगंज बाबत मरम्मत (बिजली के सामान)
36	7/96	2836.00	अदायगी मैनेजर ओरियन्टल इन्श्योरेन्स लि० नवाबगंज बाबत इन्श्योरेन्स ट्रक और ट्रैक्टर
41	7/96	909.00	अदायगी मै० हंसराज नवाबगंज को बाबत मरम्मत ट्रैक्टर 7792
46	10/96	160.00	अदायगी ओमप्रकाश सिंह बाबत मरम्मत ट्रक 7192
43	12/95	36871.00	अदायगी मै० मेहता ऑटोमोबाइल्स प्रा० लिमि० बरेली - 2 बाबत मरम्मत के ट्रक 7192
29	3/98	7618.00	अदायगी मै० एस० के० मोटर्स ट्रांसपोर्ट नगर फतेहपुर बाबत मरम्मत ट्रक 7192
20	3/92	3576.00	अदायगी मैनेजर नेशनल इन्श्योरेन्स कं० लि० फतेहपुर बाबत इन्श्योरेन्स ट्रक 7192

13. ✓ दैनिक भोगी श्रमिकों को अधिक अदायगी

दैनिक भोगी श्रमिकों को 6 दिन लगातार उपस्थित रहने/काम करने के बाद 7वें दिन सवेतन अवकाश देय है। टैस्ट अवधि में जमा खर्च के लेखा परीक्षा की भूल/गलती के कारण निम्नलिखित दैनिक भोगी श्रमिकों को 5½ दिन उपस्थित रहने और आधा दिन अनुपस्थित रहने के बाद भी 7वें दिन सवेतन अवकाश दिया गया जो अधिनियम में स्वीकार्य नहीं है अतः नगर परिषद यह सुनिश्चित करे कि यह अदायगी क्यों की गई थी। इस प्रकार परिषद निधि से मुबलिग 1545.15 रु० का अस्वीकार्य भुगतान किया गया जिस की अब वसूली की जाए अथवा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से इस की भरपाई की जाए और इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

माह	राशि	श्रमिक का नाम	दिनांक जिस दिन आधा दिन अनुपस्थित रहा	दिनांक जिस दिन सवेतन अवकाश दिया	मस्ट्रोल न०	अधिक अदायगी
	रु०	में की				रु०
8/93	2902.00	रामदास मिस्त्री	12.7.93 ½	18.7.93	998	50.00
		तुलसी राम "	12.7.93 ½	18.7.93	998	50.00
		कृष्ण बेलदार	12.7.93 ½	18.7.93	998	22.00
		चरना "	12.7.93 ½	18.7.93	998	22.00
		हुकम चंद "	12.7.93 ½	18.7.93	998	22.00
		श्री राम "	12.7.93 ½	18.7.93	998	22.00
8/93	3795.00	मोहम्मद "	12.7.93 ½	18.7.93	999	22.00
		[illegible] "	12.7.93 ½	18.7.93	999	22.00
		श्याम "	12.7.93 ½	18.7.93	999	22.00
		[illegible] "	12.7.93 ½	18.7.93	999	22.00
		मनजीत "	12.7.93 ½	18.7.93	999	22.00
		[illegible] "	12.7.93 ½	18.7.93	999	22.00
11/93	11707	तुलसी राम मिस्त्री	20.10.93 ½	24.10.93	1027	50.00
		मोहम्मद बेलदार	22.10.93 ½	26.10.93	1027	22.00
					जोड़	[illegible]

पिछला जोड़ 392.00

		मालजा बेलदार	22.10.93 P/2	24.10.93	1027	22.00
		कुलवंत "	12.10.93 P/2	17.10.93	1027	22.00
		मोहन "	20.10.93 P/2	24.10.93	1027	22.00
3/95	6383	सुरेन्द्र "	9.3.95 P/2	12.3.95	1193	26.00
		मालजा "	9.3.95 P/2	12.3.95	1193	26.00
7/95	6658	मोहन लाल मिस्त्री	23.6.95 P/2	25.6.95	1230	50.00
		हुकम चन्द बेलदार	23.6.95 P/2	25.6.95	1230	26.00
		मोहम्मद "	23.6.95 P/2	25.6.95	1230	26.00
		कुलवंत "	23.6.95 P/2	25.6.95	1230	26.00
		उत्तम "	23.6.95 P/2	25.6.95	1230	26.00
		श्री राम "	23.6.95 P/2	25.6.95	1230	26.00
		श्री राम "	16.6.95 P/2	18.6.95	1230	26.00
7/95	761.00	गोपाल "	23.6.95 P/2	25.6.95	1225	26.00
3/96	10947	कृपाल "	8.2.96 P/2	11.2.96	1366	45.75
4/96	5559	हुकम चन्द "	8.4.96 P/2	14.4.96	1319	45.75
6/96	9963	मोहन "	5.6.96 P/2	8.6.96	1338	45.75
		कृपाल "	5.6.96 P/2	9.6.96	1338	45.75
7/96	12670	कमलजीत "	28.6.96 P/2	30.6.96	1340	45.75
		श्री राम "	28.6.96 P/2	30.6.96	1340	45.75
10/96	1844	कमल देव ड्राईवर	25.9.96 P/2	29.9.96	1367	62.50
3/93	1133	सुरेन्द्र बेलदार	5.2.93 P/2	7.2.93	953	22.00
5/93	10579	मालजा "	23.4.93 P/2	25.4.93	967	22.00
		कमलजीत "	23.4.93 P/2	25.4.93	967	22.00
		हुकम "	23.4.93 P/2	25.4.93	967	22.00

योग 1167.00

पिछला जोड़ 1167.00

/94	2413	प्रतीता बेलदार	5.9.94 P/2	11.9.94	1131	24.00
/94	660	प्रवीया "	5.9.94 P/2	19.9.94	1132	24.00
/94	1191	बेली राम ~~प्रतीप~~ प्रतीप	19.9.94 P/2	24.9.94	1136	37.75
		श्री बबली "	19.9.94 P/2	24.9.94	1136	37.75
/95	1795	श्री बलबीर बेलदार	6.2.95 P/2	12.2.95	1181	26.00
/95	3402	" बेलबीर "	11.2.95 P/2	12.2.95	1187	
/97	11698	" कुलवंत "	4.3.97 P/2	9.3.97	1407	45.75
/97	11647	" मोहम्मद "	11.3.97 P/2	16.3.97	1408	45.75
		" राम लाल "	14.3.97 P/2	16.3.97	1408	45.75
/97	9969	" हुकम चंद "	22.5.97 P/2	25.5.97	1423	45.75
		" गोलना "	8.5.97 P/2	11.5.97	1423	45.75

योग 1545.25

[illegible]

२७) वाउचर नं० 57 माह 7/96 राशि 25108.00 रु०

माह 7/96 के वाउचर संख्या 57 द्वारा मु० 25108.00 रु० की निकासी नगर परिषद ने अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्त जो 1.1.96 से देय थी के बकाया दावे अवधि 1.1.96 से 30.6.96 के लिए की गई थी।

नगर परिषद ने अवधि 1.1.96 से 30.6.96 के मंहगाई भत्ते किश्त के बकाया राशि के भी डाकघर नाला रोड से इन्दिरा विकास पत्र खरीद कर के कर्मचारियों को जारी कर दिए और इन्दिरा विकास पत्र प्राप्त करने की रसीद प्राप्त कर ली जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है इस प्रकार सरकार के आदेशों की अवहेलना की गई। अतः इस पैरा में भी वही अनियमितता आपत्तियाँ वांछित हैं जो कि पैरा 'क' में है और इस पर भी समान कार्यवाही की आवश्यकता है।

इन्दिरा विकास पत्र की राशि	नकद राशि	कुल राशि
रु० 22800	रु० 2308	रु० 25108

२८) वाउचर नं० 33 माह 9/97 राशि 30,338.00

माह 9/97 के वाउचर संख्या 33 द्वारा मुबलिग 30,338.00 रु० की निकासी नगर परिषद ने अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्त जो माह 1/97 से देय थी के बकाया दावे अवधि 1.1.97 से 31.8.97 के लिए की गई थी।

नगर परिषद ने अवधि 1.1.97 से 31.8.97 के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की किश्त के बकाया राशि के भी डाकघर नाला से इन्दिरा विकास पत्र खरीद कर के अपने कर्मचारियों को जारी किए जब कि यह बकाया राशि जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० खाते में जमा करना चाहिए थी परन्तु सरकार के आदेशों की अवहेलना की। इन्दिरा विकास पत्र जो जारी किए [illegible] अतः इस पैरा में भी वही अनियमितता आपत्तियाँ वांछित हैं जो कि पैरा 'क' में है अतः इस पर भी समान कार्यवाही की आवश्यकता है।

इन्दिरा विकास पत्र की राशि	नकद राशि	कुल राशि
रु० 29200	रु० 1138	रु० 30338

-53-

कि०मी०एन

अन्तरिम राहत को सी०पी०एफ० खातों में जमा न करना

घ) वाउचर नं० 111 मास 3/96 राशि 41038 रु० से

मास 3/96 के वाउचर संख्या 111 द्वारा मुबलिग 41038 रु० की निकासी नगर परिषद ने अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत (आई० आर०) मास 1.4.95 से मूल वेतन के 10 की सदी देय के बकाया होते अवधि 1.4.95 से 29.2.96 के लिए की गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन। (सी)। बी(7)-15/93- दिनांक 14.3.96 द्वारा अन्तरिम राहत की किस्त दिनांक 1.4.95 से मूल वेतन के 10 की सदी की जारी की और पत्र के पैरा 3 में यह निर्देश दिए कि अवधि 1.4.95 से 29.2.96 तक की अन्तरिम राहत की किस्त की बकाया राशि को कर्मचारी के जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० खाते में जमा किया जाएगा। और मास 3/96 से अन्तरिम राहत की किस्त का नगद भुगतान किया जाएगा। नगर परिषद ने अपने कर्मचारियों के अवधि 1.4.95 से 29.2.96 तक अन्तरिम राहत के बकाया राशि की निकासी कर के सरकार के आदेशानुसार कर्मचारी के जी०पी०एफ० एवं सी०पी०एफ० खाते में जमा न करके न राशि के इस राशि से इन्दिरा विकास पत्र खरीद कर लिए थे जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है और इन इन्दिरा विकास पत्रों को कर्मचारियों को ही जारी कर दिया गया। इस बकाया राशि के इन्दिरा विकास पत्र खरीद कर कर्मचारियों को जारी करने का कोई औचित्य/स्पष्टीकरण नहीं दिया, और इस प्रकार नगर परिषद ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की। निदेशालय का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से इस बारे स्पष्टीकरण लिया जाए और उपयुक्त कार्यवाही की जाए और भविष्य में सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

इन्दिरा विकास पत्र जो खरीद किए	नगद राशि	कुल राशि
रु०	रु०	रु०
29995	11043	41038

निर्माण कार्य -54-

1) वाउचर नं० 41 माह 11/97 राशि 62,882 रु

मुबलिग 62,882 रु का भुगतान श्री जय सिंह केशव ठेकेदार को पहले व अंतिम बिल बाबत स्पेशल मुरम्मत सड़क मैन गेट से लेकर श्री गुरदयाल सिंह के घर तक आर० डी० 0 से आर० डी० 200 तक का निर्माण कार्य करने के अदा किए गए थे। श्री जय सिंह ठेकेदार को यह कार्य नगर परिषद के पत्र संख्या एम०सी०/एन०एल०जी०/87-516 दिनांक 1-6-97 द्वारा मानक दर अनुसूची 1987 के दरों से 149.95% प्रतिशत अधिकतर अवार्ड किया गया था। इस अदायगी में निम्न अनियमितताएं पाई गई

i) ठेकेदार को मद नं० 21.17 के अंतर्गत मुबलिग 345.00 रु की अधिक अदायगी की गई थी जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। इस की वसूली ठेकेदार से की जाए अन्यथा दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

माप बुक 32 पृष्ठ-7 मद नं० 21.17 :-

प्रीपेरिंग सरफेसिस बाई ब्रेसिंग विद वाटर फरमिंग कार टिकुलिंग कैक्ड मद इत्यादि

कुल मात्रा जो कार्यान्वयन की गई = 765.75 व०मी०

ब्लैक टाप सरफेसिज 545.45 "

वाटर बाउंड मैकाडम सरफेसिज 220.30 "

राशि जो इस मात्रा पर देय थी :-

ब्लैक टाप सरफेसिज 545.45 व०मी दर 6.55 प्रति 10 व०मी

= 357.26 रु या 357.00 रु

वाटर बाउंड मैकाडम सरफेसिज 220.30 व०मी दर 10.80 प्रति 10 व०मी

= 237.92 रु या 238.00 रु

जोड़ 357 रु + 238 रु = 595 रु

जमा ठेकेदार का प्रीमियम 149.95% = 892.00 रु

कुल देय राशि = 595.00 (+) 892.00 रु
= 1487.00 रु

राशि जो कम मात्रा पर गलती से अधिक अदा की गई क्यों कि प्राक्कलन गलत दरें लगा कर की गई थी

बोल्डर पर फिनिशिंग = 545.45 व मी० दर 1080 रु प्रति 10 व० मी०
= 589.00 रु०

बोल्डर बाउंड मैकाडम सरफेसिंग : 220.30 व० मी दर 6550 रु प्रति 10 व० मी
= 144.29 रु या 144.00

योग 589.00 रु + 144.00 रु = 733.00 रु

जमा ठेकेदार का प्रीमियम 149.95% 733 पर = 1099.00 रु

कुल राशि जो भुगतान की 733.00 + 1099.00 रु
= 1832.00 रु

कुल राशि जो देय थी = 1487.00 रु
अदायगी अधिक = 345.00 रु

(i) तारकोल के 18 ड्रम ठेकेदार को जारी किए गए थे परन्तु ठेकेदार से खाली ड्रमों की वसूली का इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में नहीं दिखाया गया और न ही खाली ड्रमों की कटौती वसूली की गई थी। अतः इस की अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।

* तारकोल का 12 ड्रम (गल स्टील ड्रम × 18) की कुल राशि अधिकारी से वसूल करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

2) वाउचर नं० 42 माह 9/97 राशि 45583.00

कुल राशि 45,583.00 रु० का भुगतान श्री जय सिंह कटारिया ठेकेदार को पहले चलत बिल बाबत "स्पेशल मरम्मत सड़क मेन गेट से लेकर श्री गुरदयाल सिंह के घर तक आर डी 301 से आर डी 400 तक का निर्माण कार्य करने के अदा किए गए थे। श्री जय सिंह ठेकेदार को यह कार्य नगर परिषद के पत्र संख्या क्रम० सी०। इन। एल/जी० 87-517 दिनांक 9.6.97 द्वारा मानक दर अनुसूची 1982

-56-

के दरों से 154.95% प्रीमियम - अधिक दर (कलावेह) आफ्कि किया गया था इस अदायगी में निम्न अनियमितताएं पाई गई

i) माप पुस्तिका न० 32 पृष्ठ 11 पर

मद न० 91.13 : सिमंटीग कोट विद ब्रोकन आर क्रश्ड स्टोन एग्रीगेट इनक्लूडिंग सांर्टिंग एंड स्प्रेडिंग टु टैम्पलेट एंड कनसोलिडेशन विद पावर रोड रोलर 62 से 40 एम.एम. साईज

कुल मात्रा जो कार्यान्वयन रिकार्ड गई गलत जोड़ (गणना) के कारण — 17.25 मी³

परन्तु कुल मात्रा जो वास्तव में कार्यान्वयन की गई — 16.80 मी³

अधिक मात्रा — 0.45 मी³

इस प्रकार 0.45 क्यूबिक मीटर की दर 152.00 रु० प्रति क्यूबिक मीटर से ठेकेदार को 170 रु० की अधिक अदायगी की गई जिसका ब्यौरा निम्न दिखाया जा रहा है। इस राशि की वसूली कर के पीड़ित निधि में जमा करवाया जाए।

0.45 क्यूबिक मीटर दर 152.00 रु० = 68.00 रु०

+ जमा ठेकेदार का प्रीमियम 154.95% रु० 102.00
रु० 68.00 रु०

कुल अधिक देय राशि = 170.00 रु०

ii) माप पुस्तिका न० 32 पृष्ठ 11

मद न०. 91.20 :- सरफेस ड्रेसिंग वन कोट विद बिचुमन यूजिंग 18 कि०ग्रा० आफ बिचुमन आर 90 कि०ग्रा० आफ कट बैक पर 10 व०मी० इत्यादि.

इस मद पर गलत गणना के कारण कुल 175.00 रु० की अधिक अदायगी की गई थी जिसका विवरण निम्नदिया जा रहा है। अतः इस राशि को ठेकेदार से अथवा दोषी कर्मचारी से वसूल कर के पीड़ित निधि में जमा करवाया जाए।

क्योंकि कुल मात्रा जो गलत गणना के कारण कार्यान्वयन दिखाई गई — 173.50 व०मी०

जबकि जो अदा की गई थी

मात्रा 173.50 व०मी० दर 154.95 प्रति 10 व०मी०

= 2672.82 व०म 2673.00 रु०

+ जमा ठेकेदार का प्रीमियम 154.95%
2673.00 पर = 4008.00 रु०

कुल राशि जो अदा की गई थी = 2673.00 रु + 4008.00 रु
= 6681.00 रु

जो राशि देय थी

ठीक मात्रा जो कार्यान्वयन की गई : 168 घ०मी०

मात्रा 168.00 घ०मी० दर 1549.5 रु प्रति 10 घ०मी०
= 2603.00 रु

(+) जमा ठेकेदार का प्रीमियम 149.95% रु 2603.00 = 3903.00 रु

कुल देय राशि = 3903.00 रु + 2603.00 रु
= 6506.00

जो राशि अधिक अदा की गई = 6681.00 (-) 6506.00
अधिक अदायगी = 175.00 रु.

(iii) कार्य हेतु तारकोल के 19 ड्रम ठेकेदार को जारी किए गए थे परन्तु ठेकेदार से खाली ड्रमों की वसूली का इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में नहीं दिखाया गया था न ही खाली ड्रमों के मूल्य की वसूली की गई थी। अतः खाली ड्रमों का ~~मूल्य दर 70/- रु प्रति ड्रम की दर से वसूल किए जाएं जिसकी अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।~~ इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रु 1330/- (70/- प्रति ड्रम) को दोषी अधिकारी से (मूल तारकोल परिषद नियम) के अन्तर्गत वसूल किया जाए।

3) वाउचर नं० 37 मास 12/97 राशि 16686.00

मुबलिग 16686.00 रु का भुगतान मैसर्ज कोमल फंड सप्लाई नीलोखेड़ी को बाबत "नगरपालिका के लिए लोहे की रील सप्लाई करने हेतु" अदा किए गए थे। इस अदायगी में निम्न अनियमितताएं पाई गई थी।

1. नगर परिषद के रिकार्ड में तीन फर्मों की निविदाएं थीं

फर्म कुमार ... - न०3 8.10 x 0.60

दुकान नं० 2 ... 3 9 x ...

1) मैसर्स विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस नवलगढ़ दर 80/- रु0 प्रति व0मी0

2) मैसर्स न्यू विश्वकर्मा फर्नीचर स्टोर दलोवाल दर 83/- रु0 प्रति व0 मी0

3) मैसर्स कोमल वुड [illegible] नवलगढ़ दर 75.00 रु0 प्रति व0 मी0

ग्रिलों का प्रयोग [illegible] किया गया।

माप पुस्तिका नं0 31 पृष्ठ 50

एक दुकान पिसोर रोड पर पहली मंजिल

फोलवर्किंग फार्म वर्क विद सीमेन्टी माफ स्टील शीट सो फेस्ड शिव टु फेयर फिनिशिंग

दुकान	4.15 x 3.15	= 13.07	व0 मी0
बरामदा एवं बीम	2x3x1.80x0.30 =	3.24	"
छत	2.70x1.50 =	4.05	"
प्रोजेक्शन	2.70x0.50 =	1.35	"
शेष प्रोजेक्शन	4.38x0.50	2.19	"
योग		23.90	"

माप पुस्तक नं0 31 पृष्ठ 57 ; 3 नं0 दुकाने पिसोर रोड दक्षिण की

स्टील शटरिंग की मद

बीम बरामदा	6x3x2.85x0.30	= 20.79	व0 मी0
लम्बी साईड	6x3x1.50x0.30	= 8.10	"
पैरापेट साईड	2x3x2.0x0.30	= 3.60	"
बरामदा फर्श	5 x 4.07 x 1.50	= 30.52	"
वेल्डेड पैरापेट	2.80 x 2.00	5.60	"
बरामदा	22.50x0.60	13.50	"
योग		82.11	"

माप पुस्तक नं0 31 पृष्ठ 61 3 नं0 दुकाने पिसोर रोड

स्टील शटरिंग की मद (एक दुकान)

दुकान नं0 4	4.15x3.15	= 13.07	व0मी0
प्रोजेक्शन	4.15 x0.60	= 2.49	"
प्रो0 दुकान नं0 2 और 3	8.76 x0.60	= 5.26	"
दुकान नं0 2 और 3	2x4.15 x3.15	= 26.15	"

माप पुस्तक 31 पृष्ठ 63 : रेनैवेसन दुकान श्री मथुरालाल स्टील शटरींग की गई.

दुकान 2.90 x 3 = 8.70 व० मी०
प्रोजेक्सन 2.90 x 0.60 = 1.74 "
योग 10.44 "

कुल स्टील शटरींग प्रयोग में लाई गई :

13.90 वर्ग मीटर
92.11 "
46.97 "
10.44 "

कुल योग 163.42

मैसर्स कोमल चंद मत्त को दर 75.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से 163.42 वर्ग मीटर स्टील शटरिंग की देय राशि रु० 163.42 x 75 = 12256.50 रु० य = 12257.00 रु०

साधारणतः शटरींग बांधने/फीक्स करने के बाद ही उसकी पैमाइस की जाती है और उसी के अनुसार उसकी अदायगी की जाती है। परन्तु सप्लायर को अनावश्यक/अनुचित लाभ देने के लिए शटरींग की पैमाइस बिना बांधने/फिक्स करने के बगैर ही जो स्टील की प्लेटें शटरींग के लिए सप्लाई की थी उसी के आधार पर कर दी जो न तो न्यायसंगत थी और न ही न्यायोचित थी जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। इस प्रकार फर्म/सप्लायर को 222.48 व० मी० शटरींग की रु० 16686.00 रु० की भुगतान कर दिया जब कि वास्तव में स्टील शटरींग 163.42 व० मी० ही प्रयोग की गई। इस प्रकार 59.06 व० मी० शटरींग (222.48 व० मी० (–) 163.42 व० मी०) जो कहीं प्रयोग नहीं की उसकी 75.00 रु० प्रति व० मी० की दर से मुबलिग 4429.50 रु० की अदायगी कर दी जो न ही न्यायसंगत थी और न ही अंकेक्षण में स्वीकार्य अत:

अप्रयोग शटरींग

मुबलिग 4429.00 रु० की जो अधिक अदायगी सरकार को की गई उसकी वसूली फर्म/सप्लायर अन्यथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से कार्यवाई करवा के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

विवरण:- स्टील प्लेटें जो शटरिंग के लिए सप्लाई की थी

135 नग 1.20 x 0.60 = 97.20 व०मी०

39 नग 1.20 x 0.30 = 14.04 व०मी०

योग 111.24 व०मी०

इसी शटरिंग 111.24 व०मी० का बिल दोबार

अवधि 1-10-97 से 21-10-97 और 22-10-97 से 13-11-97 तक प्रयोग की को चार्ज किया गया

अत: कुल शटरिंग प्रयोग की गई 111.24 व०मी 1-10-97 से 21-10-97

111.24 व० मी 22-10-97 से 13-11-97

कुल 222.48 व०मी

जो अदायगी की गई 222.48 व०मी दर 75.00 रु० प्रति व०मी० से

कुल रु० 16686.00 रु०

देय राशि 12257.00 रु०

अधिक देय 4429.00 रु०

(4) वाउचर न० 39 मास 6/97 राशि 18461.00 रु०

मुबलिग 18461.00 रु० का भुगतान श्री जय सिंह कश्यप ठेकेदार को पहले चलत बिल बाबत निर्माण कार्य करने, फलश लैट्रीन बलाक, सुरेन्द्र सिंह मार्ग नालागढ़ के अदा किए थे। श्री कश्यप ठेकेदार को यह कार्य परिषद नालागढ़ के पत्र संख्या 1131 कम० श्री वर्कस दिनांक 26-7-94 द्वारा मानक दर अनुसूची 1987 की दरों से 71 फीसदी अधिक कार्यादेश न०: से 16

और मद नं० 17 से 45 दर 30 की सदी अधिक मानक दर अनुसूची 1979 के दरों पर आंकित किया गया था। निर्माण कार्य पूरा करने का निश्चित समय 2 मास था। इस भुगतान में निम्न अनियमताएं पाई गई।

i) निर्माण कार्य का ठेका/करारनामा/अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

ii) निर्माण कार्य का आरम्भ 1.4.95 को हुआ और इस को पूरा करने का निश्चित समय 2 मास था यानि 31.5.95 तक, परन्तु यह कार्य अभी 31.3.98 तक भी पूरा नहीं हुआ जब कि इस निर्माण कार्य को सब जज फर्स्ट क्लास नालागढ़ द्वारा 2.8.96 को स्थगन आदेश दिया गया था।

अतः मु० 18461.00 रु० का जो व्यय इस निर्माण कार्य पर अभी तक हुआ है वह अपव्यय है क्योंकि अभी तक फ्लश/सैप्टीक ब्लाक का काम अधूरा है जिसको न्यायोचित ठहराया जाए।

iii) नगर परिषद नालागढ़ के प्रस्ताव नं० 7 दिनांक 20.8.96 द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया कि ठेकेदार को जो कार्य हो चुका है उसका भुगतान कर दिया जाए। अतः कनिष्ठ अभियंता द्वारा इस निर्माण कार्य की रिकार्ड पैमाइश माप पुस्तक 30 पृष्ठ 60 से 64 पर दिनांक 19.5.97 को [illegible] की गई परन्तु यह सुनिश्चित करें कि [illegible] के नीचे जो फ्लश सैप्टीक के ब्लाक/सैपटीक टैंक के लिए खुदाई का कार्य व नींव भरने का कार्य किया गया था इस की पैमाइश लगभग तीन वर्ष उपरान्त दिनांक 19.5.97 को कैसे की गई जो कि न्यायसंगत और न्यायोचित प्रतीत नहीं होती अतः इस की पुष्टि की जाए और जो भुगतान किया गया उसका सत्यापन अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) से करवा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

iv) मद नं० 14.39 की :- प्रोवाइडिंग एंड फिक्सीग कास्ट आयरन पाईप 100 एम एम व्यास मात्रा 13.20 मीटर

13.20 मीटर कास्ट आयरन पाईप 100 एम एम व्यास की अदायगी मानक दर अनुसूची 1979 की दरों के अनुसार मद नं० 14 की दर 30.70 रु० प्रति मीटर जमा 250 प्रतिशत प्रीमीयम ठेकेदार को देय था परन्तु 13.20 मीटर पाईप की अदायगी गलती के कारण मानक दर अनुसूची 1981 की मद 14 की दर 79.40 रु० प्रति मीटर जमा 250 फी सदी ठेकेदार का प्रीमीयम के अनुसार भुगतान कर दिया जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है।
इस प्रकार ठेकेदार को मुबलिग 2250/- रु० का अधिक भुगतान कर दिया जिसकी वसूली ठेकेदार से कर के परिषद् निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

भुगतान जो किया गया

मात्रा 13.20 मीटर दर 79.40 रु० प्रति मीटर

= = 1048.08

जमा 250% ठेके प्रीमीयम = 2620.20

योग 3668.28

भुगतान जो देय था

मात्रा 13.20 मीटर दर 30.70 रु० प्रति मीटर

= 405.24

जमा 250% ठेके प्रीमीयम = 1013.10

योग 1418.34

अधिक भुगतान = 3668.28 रु० (-) 1418.34 रु०

= 2249.94 रु० या 2250.00 रु०

= 2250/- रु०

अधिक भुगतान = 5668 - -

7) मद नं० 14.39 की : प्रोवाइडिंग एंड फिक्सींग कास्ट आयरन पाईप 100 एम एम व्यास
मात्रा 13.20 मीटर

13.20 मीटर कास्ट आयरन पाईप 100 एम एम डाय की अदायगी मानक दर अनुसूची 1979 की दरों के अनुसार मद नं० 14 की दर 30.70 रू० प्रतिमीटर जमा 250 प्रतिशत प्रीमियम ठेकेदार को देय था 250 की सदी ठेकेदार का प्रीमियम परन्तु 13.20 मीटर पाईप की अदायगी गलती के कारण मानक दर अनुसूची 1987 की मद 14 की दर 79.40 रू० प्रति मीटर ~~के दर से~~ जमा 250 की सदी ठेकेदार का प्रीमियम के अनुसार ...न कर दिया जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। इस प्रकार ठेकेदार को मुबलिग 2250 = रू० का अधिक भुगतान कर दिया जिसकी वसूली ठेकेदार से कर के पीएफ निधि - में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

भुगतान जो किया गया

मात्रा 13.20 मीटर दर 79.40 रू० प्रति मीटर
= 1048.08
जमा 250% ठे० प्रीमियम = 2620.20
योग 3668.28

भुगतान जो देय था

मात्रा 13.20 मीटर दर 30.70 रू० प्रति मीटर
= 405.24
जमा 250% ठे० प्रीमियम = 1013.10
योग 1418.34

अधिक भुगतान = 3668.28 रू० (-) 1418.34 रू०
= 2249.94 रू० = 2250.00 रू०

वाउचर नं० 25 माह 5/93 राशि 4704.00 रु०

म०रोल नं० 97, अवधि 1.4.93 से 10.4.93

बाबत निर्माण दुकानें चित्तौड़ गेट

माह 5/93 के वाउचर नं० 25 द्वारा कुल राशि 4704.00 रु० की निकासी नगर परिषद ने म०रोल पर [illegible] ठेका श्रमिकों को भुगतान करने के लिए [illegible] की थी इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई ।

1) मानक दर अनुसूची 1987 की मद नं० 8.1 और 8.4 के

अंतर्गत " फर्मा कि बैड सीढ़ियां आफ स्टील सो पम्प इन गौल ए फेयर फिनिश"

इस कार्य की लेबर रेट 14.45 रु० प्रति मीटर था परन्तु गलती से रेट 24.55 रु० प्रति वर्ग मीटर से लेकर द्वारा किये गये कार्य की गणना की गई थी जिसके कारण से कार्य तो लेबर रेट पर किया गया था परन्तु गणना अधिक की गई थी जिससे म०रोल द्वारा कुल 1,95.00 रु० का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है अतः इस की वसूली सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से की जाए और इस बारे में निदेशालय को सूचित किया जाए।

(i) स्टील की अलमीरों की पैमाइश 5.072 वर्ग मीटर

माप पुस्तिका नं० 25 पृष्ठ 66 पर

लेबर रेट गलत गणना के कारण 24.55 रु० प्रति वर्ग मीटर से 5.072 वर्ग मीटर से कुल राशि = 1270/- रु०

परन्तु ठीक लेबर रेट रु० 14.45 प्रति वर्ग मीटर से 5.072 वर्ग मीटर की देय राशि = 741.00 रु०

देय राशि = 741.00 रु०

भुगतान की गई राशि = 1270.00 रु०

अधिक भुगतान की गई राशि = 529.00 रु०

(ii) माप पुस्तिका नं० 25 पृष्ठ 66, 67

लेबर द्वारा किया गया कुल कार्य = 2608.00 रु०

 बिक्री 2608.00

जमा लेबर दर में बढोतरी 90% = 2347.00
लेबर द्वारा किया गया कुल कार्य = 4955.00
मा० डेट द्वारा अदायगी = 4704.00
बचत = 251.00

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया गया उसका विवरण निम्न है।

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य = 2608.00 रु
परन्तु लेबर द्वारा काम कार्य किया पेट = (-) 523.00 रु
क्र० LU ऊपर
शेष कार्य = 2085.00 रु
कमी 15% (10% ठेकेदार का लाभ + 5% ऊपरले खर्च) = (-) 313.00 रु
शेष कार्य = 1772.00 रु

जमा लेबर दर में बढोतरी 83.33% रु 2085 पर = 1737.00 रु
(लेबर रेट 12.00 रु से बढाकर 22.00 रु प्रति दिन किया)
कुल कार्य किये = 3509.00 रु

परन्तु मा० डेट द्वारा लेबर को भुगतान = 4704.00 रु
लेबर द्वारा किया गया कुल कार्य = 3509.00 रु
अतः बिना कार्य / अधिक भुगतान = 1195.00 रु

दर 4.00 —

(6) वाउचर नं० 54 माह 7/92 राशि 6600 रु० तथा (पोट कटौती)
वाउचर नं० 38 माह 7/92 राशि 3389 रु०)

मुकदिमा 9982 रु० का भुगतान वाउचर नं० 54 और 38 द्वारा श्री [illegible] ठेकेदार [illegible] को लागत [illegible] के [illegible] की मुरम्मत के पहले और अंतिम बिल [illegible] किया गया इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई थीं।

i) क्रम संख्या 2 [illegible] [illegible] काम [illegible] [illegible] (दो कोट) का रिकार्ड और :

माप पुस्तिका नं० 32 पृष्ठ 14 पर [illegible] रिकार्ड और
335.15 वर्ग मीटर

परन्तु इस मात्रा में दरवाजे, खिड़कियों और रोशनदान की मात्रा (कटौती) कम किया गया प्रतीत नहीं होता है जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है जिस कारण से ठेकेदार [illegible] को मुकदिमा 31.54 रु० की अधिक अदायगी की गई थी जिसको [illegible] [illegible] [illegible] 31.54 की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

	कटौती		
खिड़कियां	12 x 1.20 x 1.20	= 17.28 वर्ग मीटर	
दरवाजे	6 x 0.90 x 2.10	= 11.34	"
रोशनदान	1 x 2.10 x 1.30	= 2.52	"
	योग	31.14 वर्ग मीटर	

[illegible] 1.00 रु० [illegible] मीटर

ii) की अधिक अदायगी की गई जिसका विवरण निम्न है अतः [illegible] मुकदिमा 192.50 रु० की वसूली ठेकेदार से करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

कटौती
खिड़कियां 2 x 1.20 x 1.20 = 11.20 वर्ग मीटर
[illegible] 6.10 रु० [illegible] वर्ग मीटर = 77.00 रु०
जमा 150 % ठेकेदार का प्रीमियम (+) 115.50 रु०
योग = 192.50 रु०

[illegible]

मुकाबिल 1985.00 रु० का भुगतान वाउचर न० 54 और 38 द्वारा श्री रविन्द्र सिंह ठेकेदार महेन्द्रगढ़ को बाबत मरम्मत पोलिटेक्निक के कार्यालय के भवन की मुरम्मत के पहले और अंतिम बिल के रूप में किया गया इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई थी।

i) क्रम संख्या 9 : फिनिशिंग विद ड्राई डिस्टेंपर आफ अप्रूव्ड ब्रांड एंड मेन्युफैक्चर (दो कोट) का निकालिंग जॉब :

माप पुस्तिका न० 32 पृष्ठ 14 पर कुल मात्रा रिकार्ड की

= 335.15 वर्ग मीटर

परन्तु इस मात्रा से दरवाजे, खिड़कियों और गेट की मात्रा (डेडक्शन) कम किया गया प्रतीत नहीं होता है जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है जिस कारण से ठेकेदार रविन्द्र सिंह को मुकाबिल 31.40 रु० की अधिक अदायगी की गई थी जिसको यथोचित स्तर पर स्पष्ट किया जाए अथवा ठेकेदार से 31.40 की वसूली करके राजकीय निधि में जमा करवाया जाए।

	संख्या		
खिड़कियां	12 x 1.20 x 1.20	= 17.28	वर्गमी०
दरवाजे	6 x 0.90 x 2.10	= 11.34	"
गेट	1 x 2.10 x 1.20	= 2.52	"
	जोड़	31.14	वर्ग मीटर

दर 5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर है

अधिक अदायगी = 31.14 वर्गमीटर @ 5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर

= 124.56 रु०

जमा ठेकेदार का प्रीमियम 150% : 186.84

जोड़ : 311.40

ii) क्रम संख्या 2 : फिनिशिंग वाल विद वाटर प्रूफिंग सीमेंट पेंट आफ अप्रूव्ड ब्रांड एंड मेन्युफैक्चर आफ निकालिंग जॉब

माप पुस्तिका न० [illegible] पृष्ठ [illegible] पर कुल मात्रा रिकार्ड की

= 170.68 वर्गमीटर

परन्तु इस मात्रा से दरवाजे खिड़कियों की मात्रा (डेडक्शन) कम की गई प्रतीत नहीं होता है। जिस कारण ठेकेदार

वाउचर नं० 35 माह 6/90 राशि 3391.00 रु

श्री राम लोक ठेकेदार को वाउचर नं० 35 माह 6/90 द्वारा भुगतान 3391.00 रु बाबत प्रथम एवं अन्तिम बिल निर्माण गली वार्ड नं० 5 नजदीक ऊबला कुआं का भुगतान किया गया इसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई।

1) श्री राम लोक ठेकेदार को यह निर्माण काम हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की दरों से 10 प्रतिशत ऊपर दिया गया।

माप पुस्तिका 23 पृष्ठ 11 से 13

(i) मद संख्या 1.12 "प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग सीमेंट कन्करीट 1:3:6 स्टोन एग्रीगेट 40 एम एम इन फाउन्डेशन एण्ड प्लिन्थ

टिप्पणी कालम 6 के अनुसार "रिड्यूस्ड दी रेट बाई रु० 13.65 पर क्यूबिक मीटर इन केस वाटर बोर्न एग्रीगेट इज यूज्ड"

परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा वाटर बोरन एग्रीगेट प्रयोग करने के कारण बढ़ी रेट से 13.65 रु प्रति घनमीटर की दर से दरों को कम नहीं किया गया जिस कारण से ठेकेदार को कुल मिला 187.00 रु की अधिक अदायगी की गई थी जिसका विवरण निम्न है इसकी वसूली ठेकेदार से कर के परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

विवरण माप पुस्तिका नं० 23 पृष्ठ 11 से 13

कुल मात्रा 12.45 m^3

राशि जो अदा की गई दर 418.00 रु प्रति घन मीटर

= 12.45 × 418 = 5204.10 रु

राशि जो दरों में 13.65 रु कम करके देय थी 418 (−) 13.65 = 404.35

= 12.45 m^3 × 404.35 रु = 5034.15 रु

अदा की गई राशि = 5204.10 रु

देय राशि = 5034.15 रु

अधिक राशि = 169.95 रु

जमा ठेकेदार का प्रीमियम 10% = 17.00 रु

कुल अधिक भुगतान राशि 186.95 रु या 187.00 रु

(ii) मानक स्पेसिफिकेशन, ऊपर लिखित दर 60 सीमेंट के बैग

ठेकेदार को जारी किए गए थे परन्तु सीमेंट के खाली थैलो की ठेकेदार से वापिसी नहीं किया गई और न ही खाली थैलो की वसूली दिखाई गई अत: 90 की रुदी खाली थैलो की वसूली दर एक रु० प्रति बैग की दर से 54 खाली थैलो की 54/- रु० वसूल किए जाए और [illegible] अंकेक्षण में दिखाए जाए।

(1) इसी प्रकार वाउचर नं० 16 दिनांक 6/90 द्वारा मूल्य 7455 रु० श्री [illegible] ठेकेदार को बावत प्रथम व अंतिम बिल कार्ड नं० 11 में [illegible] के निर्माण हेतु अदा किए गए थे। यह निर्माण कार्य ठेकेदार को मानक दर अनुसूची 1987 से 11 प्रतिशत अधिक पर दिया गया था। इस अदायगी में भी ठेकेदार को अदायगी करते समय [illegible] रेट से वाटर बोरन सेनीटेशन उपयोग करने के कारण 313.65 रु० प्रति घन मीटर की राशि कम नहीं की गई जिस कारण से कुल 358 रु० की अधिक अदायगी की गई जिस की अब वसूली की जाए विवरण निम्न है।

विवरण माप पुस्तिका नं० 93 पृष्ठ 7 से 10

मद नं० 9.12 प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 स्टोन ऐग्रीगेट 40 एम एम इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ

कुल मात्रा : 23.629 m³

ठेकेदार को जो अदायगी की गई 23.629 m³ दर 418.00 रु० m³ = 9876.92 रु०

जो देय राशि 418.00 - 13.65 = 404.35 रु० प्रति घन मीटर

23.629 × 404.35 रु० = 9554.39 रु०

अदा की गई राशि : 9876.92 रु०
देय राशि = 9554.39 रु०
अधिक देय राशि : 322.53 रु०
जमा 11% ठेकेदार की प्रीमियम : 35.47 रु०
कुल अधिक अदायगी 358.00 रु०

ठेकेदार को 132 सीमेंट के बैग जारी किए गए थे परन्तु 90% सीमेंट के खाली थैलो की वापिसी नहीं दिखाई गई अत: 110 सीमेंट के खाली थैलो की वसूली 1 रु० प्रति बैग से मुबलग 110/- रु० ठेकेदार से वसूल कर के सरकारी खजाने में जमा करवाए जाए और [illegible] से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

[illegible]

(9)

माह 6/96 के वाउचर नं० 25 द्वारा मुबलिग एक लाख

अनुदान राशि - निर्माण कार्य

निदेशक एवं सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या एल० एस जी - ए (10)-1/96-III दिनांक 18.12.96 द्वारा मुबलिग 48533 रु० अनुदान राशि बाबत "निर्माण तीन नम्बर दुकानात हस्पताल रोड पहली मंजिल पर" दिनांक 27-1-97 को नगर परिषद् द्वारा प्राप्त की गई थी।

नगर परिषद् द्वारा तीन दुकानों का निर्माण पिंजौर रोड पर किया गया जब कि अनुदान राशि हस्पताल रोड पर पहली मंजिल पर तीन दुकानो के निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी। अतः निर्माण का स्थल बदलने के लिए सक्षम-प्राधिकारी के स्वीकृति आदेश अंकेक्षण को नही दिखाए गए अतः अगर यह स्वीकृति प्राप्त नही की गई है तो अब स्वीकृति प्राप्त करके अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।

ii) निर्माण कार्यों के रजिस्टर नं० 4 पृष्ठ 6 के अनुसार पिंजौर रोड पर तीन दुकानो के निर्माण कार्य पर लगभग 120,151.00 रु० का व्यय दिखाया गया है जबकि इसका प्राक्कलन 50000 रु० का था और कुल व्यय 1,20,151.00 रु० का दिखाया गया है इसलिए उसका संशोधित प्राक्कलन बनाया जाए और इसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।

iii) मुबलिग 71618/- (120151/- (-) 48533/-) रु० का व्यय जो नगर परिषद् फंड से दुकानो के निर्माण हेतु किया गया परन्तु इस की स्वीकृति नगरपरिषद् से प्राप्त नही की गई जिसे अब प्राप्त करके अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(9) वाउचर नं० 35 माह 6/96 राशि रू० 1,00,000.00

माह 6/96 के वाउचर नं० 35 द्वारा कुलिंग कुल लागत सहायक अभियंता लो०नि०वि० (भवन एवं सेतु) लालघाट के कार्यालय में बावत रोड़ी बिछाने (प्रीमिक्स कारपेट) नगर परिषद के क्षेत्र में जमा करवाए गए थे परन्तु वास्तविक प्राप्त कर्ता की रसीद लगी हुई प्रपत्र पर प्राप्त नहीं की गई थी जिसे अब प्राप्त कर के अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

इसके अतिरिक्त नगर परिषद क्षेत्र में रोड़ी बिछाने (प्रीमिक्स कारपेट) का समापन प्रमाण पत्र भी अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया था जिसे अब प्राप्त कर के अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

वाउचर नं० 35 माह 7/96 राशि 5671.00

(10) मस्टरोल नं० 1341 अवधि 1.6.96 से 15.6.96

बावत निर्माण बाउंड्री वाल वेस्ट साईड हस्पताल लालघाट एवं फैंसिंग

माप पुस्तिका नं० 30 पृष्ठ 37-39 पर

मद नं० 19.24 क्रम संख्या 1 मानक दर अनुसूची 1987

एरक्टिंग एंड फिक्सिंग गैलवेनाइज्ड स्टील बारबेड वायर फार फैंसिंग

62.50 x 6 = 375 मीटर
82.50 x 2 = 165.80 मी
540.80 मीटर

कुल मात्रा 540.80 मीटर

परन्तु माप पुस्तिका 30 के पृष्ठ 39 पर बारबेड वायर जो फैंसिंग के लिए 540.80 मीटर प्रयोग की गई उसकी कन्जम्पशन (उपयोग) ही नहीं दर्शाई गई अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि 540.80 मीटर बारबेड वायर जो हस्पताल की फैंसिंग के लिए उपयोग की गई थी कहां से उपयोग की गई।

निर्माण कार्य — विभागीय निर्माण / मरम्मत कार्य

नगर परिषद ने कुछ निर्माण / मरम्मत कार्य दैनिक भोगी श्रमिकों को मस्टरोल पर नियुक्त कर के विभाग द्वारा करवाए थे। जिन में निम्न अनियमितताएं पाई गईं।

i) हिमाचल प्रदेश शेड्यूल्ड 1995 भाग-I भवन एवं मार्गों की अवतरणिका के जनरल नियम (11) के अनुसार लेबर रेट में 10 फीसदी ठेकेदार का लाभ और 5 फीसदी ऊपरी खर्च का प्रावधान है। यदि निर्माण / मरम्मत कार्य विभाग द्वारा करवाया जाता है तो लेबर रेट से 15 फीसदी (10 फीसदी ठेकेदार का लाभ + 5 फीसदी ऊपरी खर्चे) रेट कार्य की गणना करते समय कम किए जाते हैं। परन्तु टैस्ट ऑडिट में पाया गया कि नगर परिषद ने जो निर्माण / मरम्मत कार्य दैनिक भोगी श्रमिकों को मस्टरोल पर नियुक्त कर के स्वयं करवाए गए थे तो श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य की गणना करते समय लेबर रेट से 15 फीसदी रेट कम नहीं किए गए थे जिस कारण निर्माण / मरम्मत कार्य पर व्यय अधिक दिखाया गया था और श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य को [illegible] मजदूरी का भुगतान अधिक किया जाता था जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिए जा रहे हैं।

ii) इस के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि दैनिक भोगी श्रमिकों की दिहाड़ी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित दर। [illegible] से [illegible] की उपस्थिति नगर परिषद द्वारा गलत गणना / निर्धारित करने के कारण दैनिक भोगी श्रमिकों को विभाग द्वारा जो कार्य करवाया गया उस को अधिक भुगतान किया जाता था जिसके उदाहरण भी निम्नलिखित दिए जा रहे हैं।

iii) [illegible] लेबर रेट से 15 फीसदी (10 फीसदी + 5 फीसदी) रेट कम न करने के कारण और दैनिक भोगी श्रमिकों को मजदूरी के निर्धारित [illegible]। उपरोक्त तीन [illegible] मजदूरी / भुगतान मजदूरों को रु० 7430.10 का [illegible] किया गया है। इस राशि रु० 7430/- की [illegible] दोषी अधिकारियों से वसूल करके इस निरीक्षण को भी सूचित करें।

(i) वाउचर न० 19 माह 3/91 राशि 1710.00 रु

मस्टरोल न० 741 अवधि 1-2-91 से 15-2-91

बाबत [illegible] में पक्की [illegible] के निर्माण हेतु

माप पुस्तिका न० 22 पृष्ठ 79 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	557.34 रु
मैन डेज	780.00 रु.
लेबर दर में बढ़ोतरी 100%	557.34 रु
लेबर द्वारा किया गया कार्य कुल	1894.68 रु.
मस्टरोल द्वारा किया गया भुगतान	1710.00
बचत	184.68

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	557.34 रु.
घटी 15% (10% ठेकेदार का लाभ + 5% उपरि खर्चे)	(-) 83.60 रु
शेष	473.74 रु
जमा लेबर दर में बढ़ोतरी (अक्टूबर 90 से 67% की दर से 557.34 रु० पर)	(+) 373.42 रु
जमा मैन डेज	780.00 रु
कुल वास्तविक कार्य जो लेबर द्वारा किया	1627.16 रु
परन्तु मस्टरोल 741 द्वारा लेबर को भुगतान	1710.00 रु.
लेबर द्वारा वास्तविक जो कार्य किया	1627.00 रु
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	83.00 रु

(ii) वाउचर न० 20 माह 3/91 राशि 2960.00

मस्टरोल न० 742 अवधि 5.2.91 से 28.2.91

बाबत डालने आर.सी.सी. स्लैब दीवार पर नजदीक ...

माप पुस्तिका न० 22 पृष्ठ 20-21 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	1640.95 रु
जमा लेबर दर में 100 की दर से बढ़ोतरी	1640.95 रु
लेबर द्वारा कुल कार्य किया	3281.90 रु
मस्टरोल द्वारा किया भुगतान	2960.00 रु
बचत	321.90 रु

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो काम किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य = 1640.95 रु०
कमी 15 की सदी (10 की सदी + 5 की सदी) (-) 246.15 रु०
शेष कार्य : 1394.80 रु०
जमा लेबर दर में बढ़ोत्तरी 67% (+) 1099.40 रु०
(13 रु० से 20 रु० प्रति दिन 67 की सदी 1640.95)
लेबर द्वारा वास्तव में जो कुल कार्य किया = 2494.20 रु०

परन्तु मस्टरोल क्र० 748 द्वारा लेबर को भुगतान = 2960.00 रु०
लेबर द्वारा वास्तव में जो काम किया = 2494.00 रु०
अत: कम कार्य / अधिक भुगतान 466.00 रु०

(ii) वाउचर नं० 17 माह 3/91 राशि 2480.00 रु०
मस्टरोल क्र० 750 अवधि 16.2.91 से 28.2.91
बाबत वार्ड क्र० 7 में पक्की गली के निर्माण हेतु

माप पुस्तिका नं० 22 पृष्ठ 81 पर
लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य = 1331.93 रु०
लेबर दर में 100% बढ़ोत्तरी = 1331.93 रु०
लेबर द्वारा कुल किया गया कार्य = 2663.86 रु०
मस्टरोल द्वारा किया भुगतान = 2480.00 रु०
बचत = 183.86 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य = 1331.93 रु०
कमी 15% (10 की सदी + 5 की सदी) = (-) 198.30 रु०
शेष कार्य = 1133.63 रु०
जमा लेबर दर में बढ़ोत्तरी 67% (1331.93 रु०) (+) 885.70 रु०
(13 रु० से 20 रु० प्रतिदिन 67% 1331.93 रु०)
लेबर द्वारा वास्तव में जो कुल किया कार्य 2009.33 रु०

मस्टरोल क्र० 750 द्वारा लेबर को भुगतान = 2480.00 रु०
लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया 2009.00 रु०
अत: कम कार्य / अधिक भुगतान 471.00 रु०
लेबर को ... [illegible]

(3) वाउचर नं० 15 मास 10/90 राशि 3590.00 रु०
मा० ट्रोल नं० 698 अवधि 1.9.90 से 30.9.90
बावत मरम्मत कोठी वहि नं० 11 में
माप पुस्तिका नं० 91 पृष्ठ 58.59 पर

लेबर द्वारा किया वेटेज/अधिक कार्य	=	1422.92 रु०
लेबर दर में 100% बढ़ोत्तरी	=	1422.92 रु०
लेबर द्वारा कुल कार्य	=	2845.84 रु०
जोड़ा मेन डेज	=	780.00 रु०
लेबर द्वारा कुल कार्य किया	=	3625.84 रु०
मा० ट्रोल द्वारा भुगतान	=	3590.00 रु०
बचत	=	35.84 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया वेटेज/अधिक कार्य	=	1422.92 रु०
कमी 15% (10 की सदी + 5 की सदी)	=(-)	213.45 रु०
शेष कार्य	=	1209.47 रु०
जोड़ा लेबर दर में बढ़ोत्तरी 67% (1209.47 का) (12 रु० से 20 रु० बढ़ोत्तरी प्रतिदिन)	=(+)	953.36 रु०
जोड़ा मेन डेज	=(+)	780.00 रु०
लेबर द्वारा जो वास्तव में कुल कार्य किया	=	2942.83 रु०
	या	2943.00 रु०
मा० ट्रोल नं० 698 द्वारा जो भुगतान किया	=	3590.00 रु०
लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया	=	2943.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	=	647.00 रु०

(4) वाउचर नं० 26 मास 5/91 राशि 3160.00 रु०
मा० ट्रोल नं० 768 अवधि 1.4.91 से 30.4.91
बावत निर्माण गली नं० 6 ना० रूपा० मार्ग(?)
माप पुस्तिका नं० 93 पृष्ठ 58.59 पर

लेबर द्वारा किया वेटेज/अधिक कार्य	=	1274.00 रु०
लेबर दर में बढ़ोत्तरी 100%	=	1274.00 रु०
जोड़ा मेन डेज	=	780.00 रु०
लेबर द्वारा कुल कार्य	=	3328.00 रु०
मा० ट्रोल द्वारा भुगतान		3160.00 रु०
बचत		168.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 1224.00 रु
कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	= (-) 183.60 रु
शेष कार्य	= 1040.40 रु
जमा लेबर दर में बढ़ोतरी 67% (1224.00 रु)	= 820.80 रु
(12 रु प्रतिदिन से 20.00 रु प्रतिदिन)	
जमा मेन डेज	= 880.00 रु
लेबर द्वारा वास्तव में कुल कार्य किया	= 2740.40 रु
मस्टरोल नं. 768 द्वारा लेबर को भुगतान	= 3120.00 रु
लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया	2740.40 रु
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	139.60 रु

प 440.00 रु

ख. वाउचर नं. 37 माह 5/91 राशि 1930.00 रु

मस्टरोल नं. 770 अवधि 8.4.91 से 31.4.91

लेबर निर्माण कार्य में लागू करने हेतु

माप पुस्तिका नं. 23 पृष्ठ 62-63 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 460.60 रु
लेबर दर में बढ़ोतरी 100%	= 460.60 रु
जमा मेन डेज	= 1120.00 रु
लेबर द्वारा कुल किया कार्य	= 2041.20 रु
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	= 1930.00 रु
बचत	= 111.20 रु

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किये उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 460.60 रु
कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	= (-) 69.10 रु
शेष कार्य	= 391.50 रु
जमा लेबर दर में बढ़ोतरी 67 प्रतिशत 460.60 रु	= (+) 308.60 रु
(12 रु प्रतिदिन से 20 रु प्रतिदिन)	
जमा मेन डेज	(+) 1120.00 रु
लेबर द्वारा वास्तव में कुल कार्य किया	= 1820.10 रु
मस्टरोल नं. 770 द्वारा लेबर को भुगतान	= 1930.00 रु
लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया	= 1820.00 रु
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	= 110.00 रु

54) वाउचर क्र. 36 माह 5/91 राशि 640.00 रु

मस्टरोल क्र. 771 अवधि 8.4.91 से 12.4.91

बाबत निर्माण सड़क [illegible] हेतु

माप पुस्तिका 34 पृष्ठ क्र. 39 पर

लेबर द्वारा किया दैनंदिनी आधार कार्य	= 389.75 रु
लेबर दर में बढ़ोतरी 100%	389.75 रु
लेबर द्वारा कुल किया कार्य	= 779.50 रु
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	= 640.00 रु
बचत	139.50 रु

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दैनंदिनी आधार कार्य	= 389.75 रु
कमी 15 प्रतिशत (10% + 5%)	= (-) 58.45 रु
शेष कार्य	= 331.30 रु
जमा लेबर दर में बढ़ोतरी 67% 389.75 आधार (12 रु से 20 रु प्रतिदिन)	= (+) 261.10 रु
लेबर द्वारा वास्तव में कुल कार्य किया	= 592.40 रु
मस्टरोल क्र. 771 द्वारा लेबर को भुगतान	= 640.00 रु
लेबर द्वारा वास्तव में किये कार्य किये	= 592.40 रु
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	= 47.60 रु
	= 48.00 रु

55) वाउचर क्र. 28 माह 5/91 राशि 1700.00 रु

मस्टरोल क्र. 769 अवधि 6.4.91 से 12.4.91

बाबत [illegible] के नजदीक हेतु

माप पुस्तिका 34 पृष्ठ 36-35 पर

लेबर द्वारा किया दैनंदिनी आधार कार्य	= 838.85 रु
लेबर दर में बढ़ोतरी 100%	= 838.85 रु
लेबर द्वारा कुल कार्य	= 1677.70 रु
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	1700.00 रु
कमी	= 22.30 रु

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दैनंदिनी आधार कार्य	838.85 रु
कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	(-) 137.35
शेष कार्य	= 701.50
जमा लेबर दर में बढ़ोतरी 67% आधार 838.85 रु	= 558.35
लेबर द्वारा वास्तव में कुल कार्य किया	= 1259.85 या 1260.00 रु
मस्टरोल क्र. 769 द्वारा लेबर को भुगतान	1700.00 रु
लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किये	= 1260.00 रु
कम कार्य / अधिक भुगतान	= 440.00 रु

(8) वाउचर नं० 11 माह 9/91, राशि 4608

मेन्टोल नं० 779 अवधि 18.9.91 से 31.8.91

बाबत मिस्त्री बेलदार तथा परिवहन किराया

माप पुस्तिका नं० 31 पृष्ठ 71 से 80 पर

	लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 2091.58 रु०
+	लेबर दर में बढ़ोतरी 113%	= 2363.50 रु०
+	मैन डेज	= 763.00 रु०
	लेबर द्वारा कुल कार्य किया	= 5217.08 रु०
	मेन्टोल द्वारा लेबर को भुगतान	= 4608.00 रु०
	बकाया	= 609.08 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

	लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 2091.58 रु०
(-)	कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	= (-) 313.75 रु०
	शेष कार्य	= 1777.83 रु०
	जमा लेबर दर में बढ़ोतरी 83.33% का 2091.58 रु०	= 1742.92 रु०
	(13 रु० से बढ़ोतरी 99 रु० प्रति दिन)	
	लेबर द्वारा वास्तव में जो कुल कार्य किया	= 3520.75 रु०
	जमा मैन डेज	= 763.00 रु०
	लेबर द्वारा वास्तव में जो कुल कार्य किया	= 4283.75 रु०
	मेन्टोल नं० 779 द्वारा लेबर को भुगतान	= 4608.00 रु०
	लेबर द्वारा वास्तव में जो कुल कार्य किया	= 4283.75 रु०
	अतः कम कार्य। अधिक भुगतान	= 325.25 रु०
		या 325.00 रु०

(9) वाउचर नं० 22 माह 9/91 राशि 2551.00

मेन्टोल नं० 800 अवधि 16.9.91 से 31.8.91

बाबत मिस्त्री बेलदार बेलिया तथा परिवहन

माप पुस्तिका नं० 31 पृष्ठ 84 से 83 पर

	लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 1275.19 रु०
+	लेबर दर में बढ़ोतरी 113%	= 1441.06 रु०
	लेबर द्वारा कुल किया गया कार्य	= 2716.25 रु०
	लेबर को मेन्टोल द्वारा भुगतान	= 2551.00 रु०
	बकाया	= 165.25 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

	लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 1275.19 रु०
(-)	कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	191.28 रु०
	शेष कार्य	1083.91

पिछला योग : 1083.91 रु

(घटा) लेखा दर से कटौती 83.33% [illegible] = 1063.62 रु

(निविदा दर से 33.3% कटौती)

ठेके द्वारा वास्तव में कुल कार्य किया 9116.53 रु

[illegible] द्वारा [illegible] को भुगतान 3550.00 रु

ठेके द्वारा वास्तव में कार्य किया - 3116.53 रु

[illegible] भुगतान 1.0 [illegible] रु

[illegible]

[illegible]

[illegible] 3374.00 रु

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ठेके द्वारा किया [illegible] कार्य = 1570.17 रु

घटा लेखा दर से कटौती 11.3% = [illegible] रु

ठेके द्वारा किया [illegible] कुल कार्य [illegible] रु

[illegible] द्वारा लेखक को भुगतान = 3374.00 रु

[illegible] [illegible] रु

परन्तु ठेके द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

ठेके द्वारा किया [illegible] कार्य [illegible] रु

[illegible] (−) [illegible] रु

[illegible] [illegible] रु

[illegible] 83.33% [illegible] = [illegible] रु

([illegible] 33.3 [illegible])

ठेके द्वारा जो वास्तव में कार्य किया [illegible] रु

[illegible] द्वारा लेखक को भुगतान [illegible] रु

ठेके द्वारा जो वास्तव में कार्य किया [illegible] रु

[illegible] भुगतान [illegible] रु

[illegible] रु

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] रु

[illegible] [illegible] रु

[illegible] [illegible]

8ग) वाउचर नं० 10 माह 4/92 राशि 4693.00 रु
मस्टरोल नं० 854 अवधि 13.3.92 से 27.3.92
कार्य निर्माण ढोंगा वार्ड नं० 8
माप पुस्तिका नं० 35 पृष्ठ 2-3 पर

लेबर द्वारा किया देशीय ज्ञात कार्य	=	9636.00 रु
जमा लेबर रेट में कटौती 90%	-	3373.00 रु
कुल कार्य		5008.00 रु
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	-	4693.00 रु
बचत	-	316.00 रु

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया इसका विवरण

लेबर द्वारा किया देशीय ज्ञात कार्य	-	9636.00 रु
कमी 15% (10 फीसदी + 5 फीसदी)	= (-)	395.00 रु
शेष कार्य		9241.00 रु
जमा लेबर रेट में कटौती 83.33% रु० 9636.00	-	3197.00 रु
(15 रु० से कटौती 23 रु०)		
लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया	-	4438.00 रु
मस्टरोल नं० 854 द्वारा लेबर को भुगतान	-	4693.00 रु
लेबर द्वारा वास्तव में किया कार्य	-	4438.00 रु
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	-	255.00 रु

8(घ) वाउचर नं० 17 माह 4/92 राशि 7734.00 रु
मस्टरोल नं० 856 अवधि 1.3.92 से 31.3.92
कार्य निर्माण दुकानों-16 नग
माप पुस्तिका 53 पृष्ठ 93-94 पर

लेबर द्वारा किया देशीय ज्ञात कार्य	=	4535.00 रु
जमा लेबर रेट में कटौती 90%	-	4073.00 रु
कुल कार्य	-	8598.00 रु
		7734.00 रु
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	-	864.00 रु
बचत		

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया इसका विवरण

लेबर द्वारा किया देशीय ज्ञात कार्य	-	4535.00 रु
कमी 15% (10 फीसदी + 5 फीसदी)	(-)	679.00 रु
शेष कार्य	-	3856.00 रु
जमा लेबर रेट में कटौती 83.33% रु० 4535.00	-	3771.00 रु
लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया	-	7617.00 रु
मस्टरोल नं० 856 द्वारा लेबर को भुगतान	-	7734.00 रु
लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया		7617.00 रु
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान		117.00 रु

कुल लेबर द्वारा कार्य किया = 9019.00 रु०
मेस्ट्रोल द्वारा लेबर को भुगतान = 8330.00 रु०
बचत = 689.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण।

लेबर द्वारा किया दर्शाये गये कार्य = 4307.00 रु०
कमी 15% (10की नदी + 5 की नदी) = (-) 646.00 रु०
शेष कार्य = 3661.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढौतरी 83.33%, रु० 4307.00 पर = 3589.00 रु०
(टैंक, दिहाडी 120 से बढा कर 220 की)
जमा मैन डेज = 836.00 रु०
लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया = 8086.00 रु०

मेस्ट्रोल क्र० 850 द्वारा लेबर को भुगतान = 8330.00 रु०
लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया = 8086.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान = 244.00 रु०

(iii) वाउचर नं० 4 माह अगस्त 1478.00 रु०
मेस्ट्रोल नं० 851 अवधि 1.2.92 से 9.2.92
बाबत निमार्ण दुकानात नं० 16

माप पुस्तिका नं० 33 पृष्ठ 93-94 पर
लेबर द्वारा किया दर्शाये गये कार्य = 867.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढौतरी 90% = 780.00 रु०
कुल कार्य = 1647.00 रु०
मेस्ट्रोल द्वारा लेबर को भुगतान = 1478.00 रु०
बचत = 169.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण।

लेबर द्वारा किया दर्शाये गये कार्य = 867.00 रु०
कमी 15% (10की नदी + 5की नदी) = (-) 130.00 रु०
शेष कार्य = 737.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढौतरी 83.33% रु० 867.00 पर = 722.00 रु०
(मैसन, दिहाडी 120 से बढा कर 220 की)
लेबर द्वारा वास्तव में जो कुल कार्य किया = 1459.00 रु०

मेस्ट्रोल नं० 851 द्वारा लेबर को भुगतान = 1478.00 रु०
लेबर द्वारा वास्तव में जो कुल कार्य किया = 1459.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान = 19.00 रु०

लेबर कार्य/भुगतान
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान = 66.00 रु०

XVI) वाउचर नं० 18 माह 7/92 राशि 7678.00 रू.

मस्टरोल नं० 860 अवधि 1.5.92 से 28.5.92

लेबल निर्माण द्वारा बांध नं० 8

माप पुस्तिका नं० 95 पृष्ठ 11 से 16 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	4261.00 रू
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्तरी 90%	(+) 3835.00
कुल कार्य	8096.00
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	7678.00
बचत	418.00

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 4261.00 रू०
कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	= (-) 639.00 रू
शेष कार्य	= 3622.00 रू
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्तरी 83.33% रू 4261 पर (दिहाड़ी 12 रू० से बढ़ाकर 22 रू०)	= 3551.00 रू
लेबर द्वारा वास्तव में कुल कार्य किया	= 7173.00 रू
मस्टरोल 860 द्वारा लेबर को भुगतान	= 7678.00 रू.
लेबर द्वारा वास्तव में जो कुल कार्य किया	= 7173.00 रू.
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	= 505.00 रू

XVII) वाउचर नं० 29 माह 7/92 राशि 1452.00 रू

मस्टरोल नं० 866 अवधि 11.6.92 से 21.6.92

लेबल निर्माण रिटेनिंग वाल फतेजकोट

माप पुस्तिका नं० 95 पृष्ठ 16-17 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 823.00 रू.
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्तरी 90%	= 741.00 रू
कुल कार्य	= 1564.00 रू.
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	= 1452.00 रू
बचत	= 112.00 रू

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 823.00 रू.
कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	= (-) 123.00 रू
शेष कार्य	= 700.00 रू
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्तरी 83.33% रू 823 पर	= 686.00 रू.
लेबर द्वारा कुल कार्य किया	= 1386.00 रू
मस्टरोल नं० 866 द्वारा लेबर को भुगतान	= 1452.00 रू
लेबर द्वारा जो कुल कार्य किया	= 1386.00 रू
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	= 66.00 रू

(xviii) वाउचर नं० 33 माह 7/93 राशि 1976.00 रु०
म० डेल क्र० 883 अवधि 1.6.93 से 30.6.93
बाबत निर्माण नाली वार्ड नं० 8
माप पुस्तिका नं० 35 पृष्ठ 18 से 19 तक

लेबर द्वारा किया दैनिक जमा कार्य	=	1102.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढ़ोतरी 90%	=	992.00 रु०
कुल कार्य	=	2094.00 रु०
म० डेल द्वारा लेबर को भुगतान	=	1976.00 रु०
बचत	=	118.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण-

लेबर द्वारा किया दैनिक जमा कार्य	=	1102.00 रु०
कमी 15% (10% डेडकन + 5% ...)	=	(-) 165.00 रु०
शेष कार्य	=	937.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढ़ोतरी 83.33% of 1102.42	=	918.00 रु०
लेबर द्वारा कुल कार्य किया	=	1855.00 रु०
म० डेल क्र० 883 द्वारा लेबर को भुगतान	=	1976.00 रु०
लेबर द्वारा कुल कार्य किया	=	1855.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान		121.00 रु०

(xix) वाउचर नं० 25 माह 12/92 राशि 3474.00 रु०
म० डेल क्र० 930 अवधि 1.11.92 से 30.11.92
बाबत निर्माण चौकीदार हट
माप पुस्तिका नं० 35 पृष्ठ 29-45 पर

लेबर द्वारा किया दैनिक जमा कार्य	=	1045.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढ़ोतरी 90%	=	941.00 रु०
जमा मैट ईंट	=	1576.00 रु०
कुल कार्य	=	3562.00 रु०
म० डेल द्वारा लेबर को भुगतान	=	3474.00 रु०
बचत	=	88.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दैनिक जमा कार्य	=	1045.00 रु०
कमी 15% (10% ... + 5% ...)	=	(-) 157.00 रु०
शेष कार्य		888.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढ़ोतरी 83.33% of 1045.42	=	871.00 रु०
जमा मैट ईंट	=	1576.00 रु०
लेबर द्वारा कुल किया कार्य	=	3335.00 रु०
म० डेल 930 द्वारा चौकीदार को भुगतान	=	3474.00 रु०
लेबर द्वारा कुल कार्य किया	=	3335.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	=	139.00 रु०

(xx) वाउचर नं० 29 माह 1/93 राशि 3976.00 रु०
मस्टरोल नं० 936 अवधि 13.11.92 से 30.11.92
बाबत निर्माण पुलिया का पक्का आमी में

माप पुस्तिका नं० 36 पृष्ठ 93 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 1985.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढोतरी 90%	= 1786.00 रु०
जमा मेन रेट	= 463.00 रु०
कुल योग	= 4,234.00 रु०
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	= 3976.00 रु०
बचत	258.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 1985.00 रु०
कमी 15% (10% निर्धारित टेस्ट + 5% औसत)	(-) 298.00 रु०
शेष योग	1687.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढोतरी 83.33% की 1985 पर (दिहाड़ी 12 रु० से बढ़ाकर 22 रु०)	= 1654.00 रु०
जमा मेन रेट	= 462.00 रु०
लेबर द्वारा कुल कार्य	= 3803.00 रु०
मस्टरोल नं० 936 द्वारा लेबर को भुगतान	= 3976.00 रु०
लेबर द्वारा कुल किया गया कार्य	= 3803.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	173.00 रु०

(xxi) वाउचर नं० 22 माह 3/93 राशि 4192.00 रु०
मस्टरोल नं० 934 अवधि 1.2.93 से 12.2.93
बाबत सिकन्दरकोट ग्रीलन तालाब

माप पुस्तिका नं० 35 पृष्ठ 54-55 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 3478.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढोतरी 90%	= 1230.00 रु०
कुल योग	= 4708.00 रु०
मस्टरोल द्वारा भुगतान	= 4192.00 रु०
बचत	516.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा जो वास्तव में कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	= 3478.00 रु०
कमी 15% (10% टेस्ट + 5% औसत)	(-) 372.00 रु०
शेष योग	3106.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढोतरी 83.33% की 3478.00 पर	3065.00 रु०
कुल कार्य किया	= 4171.00 रु०
मस्टरोल नं० 934 द्वारा लेबर को भुगतान	4192.00 रु०
लेबर द्वारा कुल किया गया कार्य	4171.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	21.00 रु०

(xxii) कोटेशन नं० 85 और 94 द्वारा 3/93 जारी 12788.00 रु०
मस्टरोल क्र० 155 व 457 दिनांक [illegible] से 28 [illegible]
बाबत [illegible]
मानक पुस्तिका क्र० 25 पृष्ठ 53 और 54 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	=	7101.00 रु०
लेबर रेट में बढ़ोत्तरी 90 %	=	6391.00 रु०
कुल कार्य		13492.00 रु०
मस्टरोलों द्वारा भुगतान		12788.00 रु०
बचत	=	704.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया गया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	=	7101.00 रु०
घटी 15 % (10% ठेकेदार + 5% प्रतिशत)	=	1065.00 रु०
शेष कार्य	=	6036.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्तरी 83.33% का 7101.00 रु० पर	=	5917.00 रु०
(12 रु० से 22.00 रु० दिहाड़ी में बढ़ोत्तरी)		
लेबर द्वारा कुल किया गया कार्य		11,953.00 रु०
मस्टरोलों 155 और 457 द्वारा लेबर को भुगतान	=	12788.00 रु०
लेबर द्वारा कार्य किया कुल	=	11953.00 रु०
अतः अनधिकृत / अधिक भुगतान	=	835.00 रु०

(xxiii) कोटेशन नं० 26 मार्च 5/93 जारी 5600.00 रु०
मस्टरोल क्र० 912 अवधि 14.5.93 से 30.5.93
बाबत [illegible]

मानक पुस्तिका 26 पृष्ठ 51 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	=	3211.00 रु०
लेबर रेट में बढ़ोत्तरी 90 %	=	2890.00 रु०
कुल कार्य	=	6101.00 रु०
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	=	5600.00 रु०
बचत		501.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया गया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	=	3211.00 रु०
घटी 15 % (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	=	482.00 रु०
शेष कार्य		2729.00 रु०
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्तरी 83.33% के 3211 पर	=	2676.00 रु०
लेबर द्वारा किया गया कुल कार्य	=	5405.00 रु०
मस्टरोल क्र० 912 द्वारा लेबर को भुगतान		5600.00 रु०
लेबर द्वारा किया गया कार्य		5405.00 रु०
अतः अनधिकृत / अधिक भुगतान		195.00 रु०

xxiv) वाउचर क्र. 8 माह 8/93 राशि 3795.00 रु.
मस्टरोल क्र. 199 अवधि 1.7.93 से 31.7.93
बाबत [illegible] कार्य [illegible]

माप पुस्तिका क्र. [illegible] पृष्ठ [illegible] पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	=	2158.00 रु.
लेबर रेट में बढ़ोत्री 90 %	=	1942.00 रु.
कुल कार्य	=	4100.00 रु.
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	=	3795.00 रु.
बचत	=	305.00 रु.

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया गया उसका विवरण।

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	=	2158.00 रु.
घटा 15 % (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	= (-)	324.00 रु.
शेष कार्य	=	1834.00 रु.
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्री 83.33% रु. 2158 पर (दिहाड़ी 12 रु. से 22 रु.)	=	1798.00 रु.
लेबर द्वारा किया गया कुल कार्य	=	3632.00 रु.
मस्टरोल क्र. 199 द्वारा लेबर को भुगतान	=	3795.00 रु.
लेबर द्वारा किया गया कार्य	=	3632.00 रु.
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	=	163.00 रु.

xxv) वाउचर क्र. 10 माह 8/93 राशि 788.00 रु.
मस्टरोल क्र. 180 अवधि 1.7.93 से 15.7.93
बाबत [illegible] सेट [illegible]

माप पुस्तिका क्र. 35 पृष्ठ 76 पर

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	=	458.00 रु.
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्री 90 %	=	412.00 रु.
कुल कार्य	=	870.00 रु.
मस्टरोल द्वारा लेबर को भुगतान	=	788.00 रु.
बचत	=	82.00 रु.

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया गया उसका विवरण।

लेबर द्वारा किया दर्शाया गया कार्य	=	458.00 रु.
कमी 15 % (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	=	69.00 रु.
शेष कार्य	=	389.00 रु.
जमा लेबर रेट में बढ़ोत्री 83.33% रु. 458 पर	=	382.00 रु.
कुल कार्य	=	771.00 रु.
मस्टरोल क्र. 180 द्वारा लेबर को भुगतान	=	788.00 रु.
लेबर द्वारा किया गया कार्य	=	771.00 रु.
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	=	17.00 रु.

कुल: कम कार्य / अधिक भुगतान 180.00

xxvi) कार्यादेश क्रमांक 10 माह 9/94 राशि 2150.00

मस्टररोल क्रमांक 1083 अवधि 1.3.94 से 31.3.94

बाबत सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर की बाउंड्री वॉल के पास

माप पुस्तिका क्रमांक 38 पृष्ठ 15 से 17

लेबर द्वारा किया दैनिक उपस्थिति	= 1115.00 रु.
लेबर रेट में बढ़ोतरी 100%	= 1115.00 रु.
कुल राशि	= 2230.00 रु.
मस्टररोल द्वारा भुगतान	= 2150.00 रु.
बचत	80.00 रु.

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दैनिक उपस्थिति कार्य	= 1115.00 रु.
कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	= (-) 167.00 रु.
शेष राशि	= 948.00 रु.
योग लेबर रेट में बढ़ोतरी 100% का 1115 का (सिर्फ 1.5 के ... बढ़ोतरी)	= 1115.00 रु.
कुल राशि	= 1613.00 रु.
मस्टररोल द्वारा लेबर को भुगतान	= 2150.00 रु.
लेबर द्वारा किया उसका कुल कार्य	= 1613.00 रु.
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	537.00 रु.

xxvii) कार्यादेश क्रमांक 93 माह 9/94 राशि रु. 1173.00

मस्टररोल क्रमांक 1130 अवधि 1.8.94 से 31.8.94

बाबत सिविल अस्पताल ... [illegible]

[illegible]

माप पुस्तिका क्रमांक 37 पृष्ठ 84

लेबर द्वारा किया दैनिक उपस्थिति कार्य	= 579.00 रु.
लेबर रेट में बढ़ोतरी 100%	= 579.00 रु.
कुल राशि	1158.00 रु.
मस्टररोल द्वारा भुगतान	1173.00 रु.
कम राशि	15.00 रु.

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दैनिक उपस्थिति कार्य	= 579.00 रु.
कमी 15% (10 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	(-) 87.00 रु.
शेष राशि	= 492.00 रु.
लेबर रेट में बढ़ोतरी 100%	= 579.00 रु.
लेबर द्वारा कुल कार्य	1071.00 रु.
मस्टररोल क्रमांक 1130 द्वारा लेबर को भुगतान	= 1173.00 रु.
लेबर द्वारा किया उसका कुल कार्य	1071.00 रु.
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	101.00

(xxviii) वाउचर नं० 26 माह 6/95 राशि 2330.00 रु०
मस्टरोल नं० 1314 अवधि 1.5.95 से 31.5.95
कार्य निर्माण उ. का दुकानें हाथीतालाब।

माप पुस्तिका नं० 29 पृष्ठ 62-63 पर

लेबर द्वारा किया दिहाड़ी वाला कार्य	=	1052.00 रु०
लेबर रेटों में बढ़ोतरी 116.66%	=	1227.00 रु०
कुल कार्य		2279.00 रु०
जमा मेन डेज		65.00 रु०
कुल कार्य	=	2344.00 रु०
मस्टरोल द्वारा भुगतान	=	2330.00 रु०
अंतर	=	14.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दिहाड़ी वाला कार्य	=	1052 रु०
कमी 15% (10 कमी + 5 कमी)	(-)	158 रु०
शेष कार्य	=	894.00 रु०
जमा लेबर रेटों में बढ़ोतरी 116.66% of 1052	=	1227.00 रु०
जमा मेन डेज	=	65.00 रु०
(दिहाड़ी 12 रु० से बढ़ा कर 26.00 रु०) लेबर द्वारा कुल कार्य किया	=	2186.00 रु०
मस्टरोल नं० 1314 द्वारा लेबर को भुगतान	=	2330.00 रु०
लेबर द्वारा किया गया कुल कार्य	=	2186.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	=	144.00 रु०

(xxix) वाउचर नं० 34 माह 5/93 राशि 550.00 रु०
मस्टरोल नं० 975 अवधि 1.4.93 से 30.4.93
कार्य निर्माण सिविल लाइट, कम्युनिटी सेंटर

माप पुस्तिका नं० 24 पृष्ठ 91 पर

लेबर द्वारा किया दिहाड़ी वाला कार्य	=	316.00 रु०
लेबर रेट में बढ़ोतरी 90%	=	284.00 रु०
कुल कार्य	=	600.00 रु०
मस्टरोल द्वारा भुगतान		550.00 रु०
अंतर	=	50.00 रु०

परन्तु लेबर द्वारा वास्तव में जो कार्य किया उसका विवरण

लेबर द्वारा किया दिहाड़ी वाला कार्य	=	316.00 रु०
कमी 15% (10 कमी + 5 कमी)	(-)	47.00 रु०
शेष कार्य		269.00 रु०
लेबर रेट में बढ़ोतरी 116.66	=	263.00 रु०
(दिहाड़ी 12 रु० से बढ़ा कर 26 रु०) कुल कार्य किया	=	532.00 रु०
मस्टरोल नं० 975 द्वारा लेबर को भुगतान	=	550.00 रु०
लेबर द्वारा किया गया कुल कार्य	=	532.00 रु०
अतः कम कार्य / अधिक भुगतान	=	18.00 रु०

क) यात्रा भत्ता दावे : नगर परिषद के कैश अंकेक्षण में यात्रा भत्ता बिलों की पड़ताल करते पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दावे के अधिक भुगतान किए गए हैं। अतः इन अधिक भुगतानों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

वाउचर नं०	मास	राशि	अधिक भुगतान	विवरण
16	7/92	रु० 30/-	रु० 9.00	श्री म० मन मलहोत्रा द्वारा दिनांक .6.92 को नालागढ़ से चंडीगढ़ और वापिसी की 9.30 पू० दोपहर से 7 पी० एम० तक यात्रा की इस प्रकार मलहोत्रा को 70 प्रतिशत दैनिक भत्ता देय था परन्तु श्री मलहोत्रा को 30/- रु० का भुगतान किया जबकि देय 21.00 रुपया था अतः 9.00 को अधिक भुगतान किया।
17	7/92	30/-	9.00	श्री विजय कुमार व० लिपिक द्वारा दिनांक 24.6.92 को नालागढ़ से चंडीगढ़ और वापिसी की 9.30 पू० एम० से 7 पी० एम० तक यात्रा की इस प्रकार विजय को 70 प्रतिशत दैनिक भत्ता देय था परन्तु श्री विजय कुमार को 30/- रु० का भुगतान किया जब कि 21.00 रु० देय था अतः 9.00 रु० अधिक भुगतान किया
19	7/92	20.00	6.00	श्री हेम राज द्वारा दिनांक 24.5.92 को नालागढ़ से सोलन और वापिसी की 6.00 पू० एम० से 5.30 पी० एम० तक यात्रा की इस प्रकार हेम राज को 70 प्रतिशत दैनिक भत्ता देय था परन्तु श्री हेम राज को पूरा 20/- रु० का भुगतान किया जबकि देय 14.00 रुपया था अतः 6.00 को अधिक भुगतान किया।
37	3/92	15.00	5.00	श्री विजय कुमार द्वारा दिनांक 20.3.92 को नालागढ़ से सोलन और वापिसी की यात्रा की श्री विजय कुमार का मूल वेतन 1890.00 रुपया और दैनिक भत्ता 10/- रु० देय था परन्तु भुगतान 15.00 रु० का किया गया इस प्रकार 5.00 रु० का अधिक भुगतान किया

38	3/97	198.00	17.50	श्री हेमराज द्वारा दिनांक 4.2.97 को नालागढ़ से सोलन और बद्दी की यात्रा की श्री हेमराज का मूल वेतन 1290.00 रुपये अत: दैनिक भत्ता 25.00 रु० देय था परन्तु 30/- रु० का भुगतान किया अत: 5/- रु० का अधिक भुगतान किया। इसी प्रकार दिनांक 10.3.97 को नालागढ़ से सोलन और बद्दी की 9.00 पूर्वाह्न से 8 अपराह्न तक यात्रा की इस प्रकार 70 % की दर से दैनिक भत्ता देय था परन्तु 30/- रु० का भुगतान किया गया परन्तु देय भत्ता 17.50 रुपये अत: 12.50 रु० अधिक भुगतान किया कुल अधिक भुगतान 5.00 + 12.50 = 17.50
57	3/97	134.00	5.00	श्री हेमराज का मूल वेतन 1290/- रुपये श्री हेमराज द्वारा दिनांक 23.3.97 को नालागढ़ से शिमला व बद्दी की यात्रा की दैनिक भत्ता कुल 25.00 रु० देय था जबकि भुगतान 30/- रु० का किया अधिक भुगतान रु० 5/-
28	6/97	107.00	5.00	श्री विजय कुमार का मूल वेतन 1890/- रु० था विजय द्वारा दिनांक 31.5.97 को नालागढ़ से सोलन व बद्दी की यात्रा की दैनिक भत्ता कुल 30 रु० देय था जबकि भुगतान 35.00 रु० का किया अधिक भुगतान 5/- रु०
33	12/97	99.00	5.00	श्री दिनेश कुमार का मूल वेतन 1075.00 रुपये दिनेश द्वारा दिनांक 11.12.97 को नालागढ़ से सोलन और बद्दी की यात्रा की गई दैनिक भत्ता कुल 30.00 रु० देय था जब की भुगतान 35.00 रु० का किया गया अधिक भुगतान 5.00 रु०

11.1.97

(4) वाउचर सं० 58 माह 3/97 राशि 657.00 रु० और

वाउचर सं० 96 माह 6/97 राशि 785.00 रु०

मुताबिक 657.00 रु० और 785.00 रु० का भुगतान श्री भीम सेन ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता अनु० मण्डल धरजायू को अक्तूबर 12/96 से 5/97 तक यात्रा भत्ता दावे [illegible] किया गया। इस अदायगी में निम्न अनियमितताएं पाई गई थी।

1) श्री भीम सेन ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता का मूल वेतन 1850.00 रु० था और इसको दैनिक भत्ता 30% के की दर से दिया गया था परन्तु इसको अदायगी [illegible] की 35.00 रु० की दर से की गई थी इस प्रकार मुताबिक 66.50 रु० का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। अतः मुताबिक 66.50 रु० की वसूली ठाकुर से कर के परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

यात्रा करने की तिथि/समय	विवरण	स्थान/दौरा	दैनिक भत्ता देय 31.00 रु०	दैनिक भत्ता अदायगी 34.50 रु०	अधिक अदायगी रु०
13.12.96 12 दोपहर से 7.30 शाम	धरजायू से सोलंगाड और वापिस	70 प्रतिशत	31.00	34.50	3.50
26.12.96 10 बजे से 8 शाम	—	उपरोक्त 70 प्रतिशत	31.00	34.50	3.50
10.1.97 10 A.M. से 7 सायं	—	उपरोक्त 70 प्रतिशत	31.00	34.50	3.50
11.1.97 [illegible] से 7 सायं	—	उपरोक्त 70 प्रतिशत	31.00	34.50	3.50
8.2.97 11 बजे से 7.30 सायं	—	उपरोक्त 70 प्रतिशत	31.00	34.50	3.50
15.2.97 12 बजे से 8 सायं	—	उपरोक्त 70 प्रतिशत	31.00	34.50	3.50
19.2.97 10 बजे से 8 सायं	—	उपरोक्त 70 प्रतिशत	31.00	34.50	3.50
10.3.97 10 बजे से 7.30 PM	—	उपरोक्त 70 प्रतिशत	31.00	34.50	3.50

17.3.97 10 बजे से 7.30 बजे तक	— सपोर्टर	— 70 कि.मी.	21.00	24.50	3.50
25.3.97 10 बजे सुबह से 8.30 बजे तक	— सपोर्टर —	"	21.00	24.50	3.50
31.3.97 10 बजे सुबह से 9.30 बजे तक	— सपोर्टर —	"	21.00	24.50	3.50
7.4.97 11 बजे सुबह से 9.30 बजे तक	— सपोर्टर —	"	21.00	24.50	3.50
15.4.97 10 बजे सुबह से 9 बजे तक	— सपोर्टर —	"	21.00	24.50	3.50
21.4.97 10 बजे सुबह से 9 बजे तक	— सपोर्टर	"	21.00	24.50	3.50
28.4.97 10 बजे सुबह से 8 बजे तक	— सपोर्टर	"	21.00	24.50	3.50
5.5.97 10.30 बजे सुबह से 8.30 बजे तक	— सपोर्टर	"	21.00	24.50	3.50
12.5.97 10 बजे सुबह से 9 बजे तक	— सपोर्टर	"	21.00	24.50	3.50
19.5.97 10 बजे सुबह से 9 बजे तक	— सपोर्टर —	"	21.00	24.50	3.50
26.5.97 10 बजे सुबह से 9 बजे तक	— सपोर्टर	"	21.00	24.50	3.50
		योग	399	465.50	66.50

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त सचिव (वित्त) की 7/2-88/11 दिनांक 31.6.93 बाबत हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता। दैनिक भत्ता आदि की अदायगी के लिए सड़क द्वारा यात्रा हेतु पात्रता, "श्रेणी IV और V. 'सार्वजनिक परिवहन में एक सीट लेकर या मोटरसाईकल/स्कूटर या पूरी टैक्सी। अपनी कार लेकर सार्वजनिक परिवहन में एक सीट लेकर या मोटर साईकल/स्कूटर से। इन श्रेणियों के कर्मचारी पूरी टैक्सी। अपनी कार में यात्रा करने के हकदार नहीं होंगे।"

श्री भीम सेन ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद परवाणु का मूल वेतन रु० 1350/- था और श्रेणीकरण में वह श्रेणी V में आता है। इस कारण वह स्कूटर द्वारा यात्रा करने का पात्र नहीं था। परन्तु श्री ठाकुर द्वारा परवाणु से नालागढ़ और बद्दी की सभी यात्राएं स्कूटर द्वारा ही की गई थी।

श्री ठाकुर द्वारा जो यात्राएं स्कूटर द्वारा की गई थी उनका विवरण पैरा (i) में दिया गया है।

श्री ठाकुर को परवाणु से नालागढ़ और बद्दी (आने और जाने) के स्कूटर द्वारा 54.00 रु० प्रतियात्रा के अदा किए गए थे (90 कि०मी० दर 0.60 पैसे प्रति कि०मी०) जब कि ठाकुर परिवहन से यात्रा करने का पात्र था और सार्वजनिक परिवहन से परवाणु से नालागढ़ और बद्दी का किराया रु० 34.00 रु० था (रु० 17+17 रु०) और श्री ठाकुर इसी का पात्र था। श्री ठाकुर द्वारा परवाणु से नालागढ़ और बद्दी की 19 यात्राएं की गई थी जिसका विवरण पैरा (i) में दर्शाया गया था इस तरह श्री ठाकुर को परिवहन किराया 34.00 रु० (रु० 17.00+17.00) की दर से कुल 646.00 रु० देय था (34x19)।

जब कि श्री ठाकुर का अभियंता के स्कूटर द्वारा परवाणु से नालागढ़ और वापिसी की 19 यात्राएं की रही और (काको) मुबलिग 1026.00 रु० का भुगतान किया गया (54.00x19) जब कि ठाकुर को 646.00 रु० देय थे इस प्रकार मुबलिग 380/-रु० (1026.00 (-) 646.00) का [illegible] किया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक अदायगी की वसूली श्री ठाकुर से की जाए अथवा इस की भरपाई दोषी अधिकारी/कर्मचारी से कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

iii) वाउचर न० 30 मास 9/97 राशि रु० 234.00

मुबलिग 234.00 रु० का भुगतान श्री बलजीत सिंह दैनिक भोगी वर्क सुपरवाईजर को बाबत यात्रा भत्ता। दैनिक भत्ता के अदा किए गये। इस अदायगी में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1) नगर परिषद नालागढ़ यह सुनिश्चित करे कि श्री बलजीत सिंह दैनिक भोगी वर्क सुपरवाईजर को मुबलिग 100/-रु० दैनिक भत्ता जिसका विवरण निम्न है यह दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता के नियम के अनुसार दिया है, ऐसा न होने पर श्री बलजीत सिंह दैनिक भोगी वर्क सुपरवाईजर से इसकी वसूली की जाए अथवा इस की भरपाई दोषी कर्मचारी से कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

दिनांक [illegible].8.97 यात्रा नालागढ़ से सोलन और वापिसी	25.00
दिनांक [illegible].8.97 यात्रा नालागढ़ से लहौरिया और वापिसी	25.00
दिनांक 26.8.97 यात्रा नालागढ़ से लहौरिया और वापिसी	25.00
दिनांक 30.8.97 यात्रा नालागढ़ से लहौरिया और वापिसी	25.00
जोड़	100.00

इसी प्रकार श्री बलजीत सिंह दैनिक भोगी वर्क सुपरवाईजर को वाउचर नं० 31 मास 3/96 द्वारा मुबलिग 20/- रु० दैनिक भत्ता यात्रा नालागढ़ से चण्डीगढ़ और वापिसी दिनांक 1-2-96 और वाउचर नं० 32 मास 3/96 द्वारा मु० 20/- रु० दैनिक भत्ता यात्रा करने नालागढ़ से सोलन और वापिसी दिनांक 19-1-96 और वाउचर नं० 33 मास 3/96 द्वारा मु० 20 रु० दैनिक भत्ता यात्रा करने नालागढ़ से चण्डीगढ़ और वापिसी दिनांक 25-1-96 के अदा किए गए थे जिसका औचित्य नियमों के अंतर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन राशियों को सम्बन्धित से वसूल करके पालिका निधि में जमा करवाया जाए।

ख) <u>सड़क द्वारा यात्रा हेतु पात्रता</u> : हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के नियम 182 (4) (ख) के अंतर्गत प्रधान / उप प्रधान जो द्वितीय श्रेणी नगर परिषद के होंगे इन्हें यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता द्वितीय श्रेणीकरण के कर्मचारियों के समान देय होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या फिन / सी / बी / 7 / 2 / 88 -।। दिनांक 25-6-93 बाबत हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता आदि की अदायगी के पैरा 9 (i) के अनुसार प्रथम और द्वितीय श्रेणी करण के कर्मचारी सड़क परिवहन के द्वारा पूरी टैक्सी / अपनी कार से यात्रा करने के हकदार नहीं होंगे। टैस्ट अंकेक्षण में पाया कि नगर परिषद ने नगर परिषद के प्रधान / उप-प्रधान को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता अदायगी करते समय इन नियमों की अवहेलना की थी जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिए जा रहे हैं। अतः इस प्रकार जो अधिक अदायगी परिषद निधि से की गई है उसकी वसूली की जाए अथवा सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इसे नियमित किया जाए, और भविष्य में यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता की अदायगी हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमो / निर्देशों के अनुसार ही दी जाए।

वाउचर क्र०	मास	राशि	टिप्पणी
74	3/96	250/-	प्रधान / उपप्रधान नगर परिषद द्वारा दिनांक 9.3.96 को नालागढ़ से शिमला और वापिसी यात्रा टैक्सी द्वारा की गई थी और 250/- रु० की अदायगी श्री टैक्सी यूनियन नालागढ़ को की गई। जब कि बस का किराया 52.00 रु० था और दैनिक भत्ता 40/- रु० देय था अतः कुल देय (52+52+40) रु० 144.00 रु० = 144 अतः देय राशि १४४/- भुगतान किया 250/- रु० अधिक १०६/- रु०.
26	7/96	1000/-	दिनांक 9.7.96 को प्रधान / उपप्रधान द्वारा नालागढ़ से शिमला और वापिसी की यात्रा की गई थी और रु० 1000/- रु० का भुगतान श्री टैक्सी यूनियन नालागढ़ को बतौर टैक्सी चार्ज अदा किए थे। जब नालागढ़ से शिमला का बस का किराया 52/- रु० था और दैनिक भत्ता 40/- रु० इस प्रकार कुल देय 144.00 रु० थे। (52+52+40) अतः प्रधान/उपप्रधान को देय राशि १४४/- रु० भुगतान किया 1000/- रु० का अधिक अदायगी ८५६/- रु० ii) और नगर परिषद का प्रस्ताव नालागढ़ से शिमला यात्रा करने का अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया।
37	5/97	700.00	रु० 700/- रु० का भुगतान श्री मुकेश शर्मा को नगरपरिषद ने टैक्सी चार्जिज का किया था। यह अदायगी दिनांक 10.5.97 को नालागढ़ से चंडीगढ़ और वापिसी की यात्रा के अदा किए थे। यह यात्रा श्री यशपाल शर्मा प्रधान और सचिव लखोत्रा नगर परिषद ने चंडीगढ़ से बिजली का सामान खरीदने हेतु निविदाएं इकट्ठी करने/लाने के लिए की थी और पड़ताल करने पर पाया कि केवल एक निविदा मै० कैसर लैम्प वर्कस सैक्टर 2 डी चंडीगढ़ दि० 10.5.97 की रिकार्ड में थी इस निविदा के साथ "किसी भी फर्म की दरें डी०जी०एस०एण्ड डी० से अनुमोदित नहीं हैं अतः मै० [illegible] की दरें स्वीकार कीजिए" अतः निविदाएं प्राप्त करने के लिए टैक्सी की आवश्यकता नहीं थी इन्हें डाक द्वारा मंगवाना चाहिए था अतः रु० 700/- रु० का दोषी कर्मचारियों से वसूल करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

नगर परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की गर्म वर्दी

क) वाउचर नं० 95 मास 1/93 राशि रु० 8736०

मास 1/93 के वाउचर सं० 95 द्वारा मुबलिग 8736० रु० का भुगतान मै० नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के गर्म वर्दी क्रय करने हेतु 65 मीटर ऊलन सर्ज नीली C चौड़ाई 135 सैमी) दर 134.35 रु० प्रति मीटर से किया गया था। इस अदायगी में निम्नलिखित अनियमततायें पाई गई थी।

1. हिमाचल प्रदेश सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी के नियम 12वीं, 16 के अंतर्गत परिशिष्ट 'बी' के अनुसार महिला/पुरुष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गर्म वर्दी निम्न प्रकार से देय है।

गर्म वर्दी महिला

लेडी हाफ कोट ऊलन खाकी / नीली सर्ज	दो वर्ष में एक	1.83 मीटर (चौड़ाई 135 सैमी)
सलवार	दो वर्ष में एक	टैरीकोट 1.70 मी० (चौड़ाई 137 सैमी)

गर्म वर्दी पुरुष

कटन अप कोट (ऊलन सर्ज खाकी या नीली)	दो वर्ष में एक	1.60 मीटर (चौड़ाई 135 सैमी)
पैन्ट (ऊलन) खाकी या नीली	दो वर्ष में एक	1.35 मीटर (चौड़ाई 135 सैमी)

नगर परिषद में 14 पुरुष और 8 महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे इस प्रकार गर्म वर्दी के लिए 56 मीटर ऊलन सर्ज की आवश्यकता थी जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है (पुरुष कर्मचारी 14 दर 2.95 मीटर प्रति पुरुष = 41.30 मी० + 8 महिला कर्मचारी दर 1.83 मीटर 14.64 मी० = 55.94 मी० या 56 मीटर)

परन्तु परिषद ने 65 मीटर कपड़ा क्रय किया इस प्रकार 9 मीटर गर्म कपड़ा दर 134.35 रु० प्रति मीटर से मुबलिग 1208.95 रु० का अधिक व्यय किया गया।

आवश्यकता से अधिक खरीद को न्यायोचित ठहराया जाए।

7) महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गर्म वर्दी (लेडी हाफकोट पुलओवर/साड़ी/नीली रंग) के लिए 1.83 मीटर गर्म कपड़ा देय है इस प्रकार 8 महिला चतुर्थ कर्मचारियों को कुल 14.64 गर्म कपड़ा (8 x 1.83 प्रति महिला) देय था परन्तु ... महिला कर्मचारियों को भी 2.95 मीटर गर्म कपड़ा प्रति महिला जारी कर दिया था जो नियमानुसार गलत था इस प्रकार 1.12 मीटर प्रति महिला कर्मचारी को गर्म कपड़ा अधिक दिया गया। (1.12 x 8 = 8.96) (8 महिला कर्मचारी दर 1.12 मी० प्रति महिला) अतः इस अधिकता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा 9 मी० ऊलन शर्ट का मूल्य दर 134.25 रु० प्रति मीटर से मु० 1208.25 रु० की भरपाई की जाए। और भविष्य में नगर परिषद के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी के नियमानुसार ही वर्दी जारी की जाए

विवरण

पुरुष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

नाम	दिनांक	गर्म कपड़ा जारी किया
		मी०
श्री देशराज	16.1.92	2.95
कार्तिक	,,	2.95
प्रेम चंद	,,	2.95
फूल चंद	,,	2.95
मोहन लाल	,,	2.95
मिस्त्री लाल	,,	2.95
सतपाल	,,	2.95
महेन्द्र कुमार	,,	2.95
नंद लाल	,,	2.95
मोहिन्द्र लाल	,,	2.95
मोहिन्द्र सिंह	,,	2.95
दुर्गा चंद	,,	2.95
लेखू राम	,,	2.95
किशोरी लाल	,,	2.95
	योग	41.30
रवि चंद	,,	2.95
		41.30

महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

नाम	दिनांक	गर्म कपड़ा जारी किया	गर्म कपड़ा देय	अधिक देय
		मी०	मी०	मी०
श्रीमती अमरो देवी	16.1.92	2.95	1.83	1.12
विमला देवी I		2.95	1.83	1.12
विमला देवी II		2.95	1.83	1.12
कमला		2.95	1.83	1.12
केसर		2.95	1.83	1.12
गंगला		2.95	1.83	1.12
प्रीतो		2.95	1.83	1.12
कौशल्या		2.95	1.83	1.12
योग		23.60	14.64	8.96

20) वाउचर नं० 29 मार्च 1996 राशि रु० 13876.00

इसी प्रकार मार्च 1996 के वाउचर संख्या 29 द्वारा मु० 13876.00 रु० का भुगतान मैसर्स [illegible] शिमला को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ऊनी वर्दी तैयार करने हेतु 74 मीटर ऊलन सर्ज [illegible] दर 174.00 रु० प्रति मीटर से किया गया। इस [illegible] में कुछ [illegible] अनियमितता [illegible] [illegible] ने [illegible] मांग, [illegible] का [illegible] की [illegible] के अनुसार ही किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1. [illegible] में मार्च 1996 में 14 पुरुष और 7 महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। इस प्रकार ऊनी वर्दी के लिए वर्दी नियमानुसार 54.11 मी० या 54.25 मीटर ऊलन सर्ज की आवश्यकता थी (2.95x14 = 41.30 मी० + 1.83x7 12.81 मी० = 54.11 मी० या 54.25 मीटर)

परन्तु परिषद ने 74 मीटर ऊनि कपड़ा खरीदा इस प्रकार 19.75 मीटर कपड़ा दर 174.00 रु० प्रति मीटर की दर से मु० 3436.50 रु० का अधिक भुगतान किया और 19.75 मीटर ऊनि कपड़ा अधिक खरीदा गया। 19.75 मीटर ऊनि कपड़ा आवश्यकता से अधिक खरीदने को [illegible] ठहराया जाए (विवरण नीचे है) अथवा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से इसकी वसूली की जाए और परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

विवरण

पुरुष कर्मचारी नाम	दिनांक	ऊनि कपड़ा की लम्बाई मी०	महिला कर्मचारी नाम	दिनांक	ऊनि कपड़ा जो दिया गया मी०	सही कपड़ा देय मी०	अधिक मी०
श्री [illegible]	3.6.96	2.95	श्रीमती [illegible]	4.6.96	2.95	1.83	1.12
[illegible]	"	2.95	[illegible] देवी I	"	2.95	1.83	1.12
[illegible]	"	2.95	कमला	"	2.95	1.83	1.12
[illegible]	"	2.95	[illegible]	"	2.95	1.83	1.12
[illegible]	"	2.95	[illegible]	"	2.95	1.83	1.12
[illegible]	"	2.95	[illegible]	"	2.95	1.83	1.12
[illegible]	"	2.95	[illegible] देवी	"	2.95	1.83	1.12
[illegible]	"	2.95					
[illegible]	"	2.95					
[illegible]	"	2.95					
[illegible]	"	2.95					
[illegible]	"	2.95					
[illegible]	"	2.91					
[illegible]	"	2.95					
		41.30	योग		20.65	12.81	7.84

(ii) वर्दी के नियमानुसार महिला चतुर्थ श्रेणी को ऊनि वर्दी के (लेडीज हाफ कोट वूलन खाकी। नीली रंग) लिए 1.83 मीटर ऊनि कपड़ा देय है। इस प्रकार 7 महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर 1.83 मीटर प्रति महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से 12.81 मीटर ऊनि कपड़ा देय था परन्तु वर्दी के रजिस्टर की पड़ताल से पाया कि महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी 2.95 मीटर पुरुष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समान ही ऊनि कपड़ा जारी कर दिया जो कि नियमानुसार न तो देय था और न ही ठीक था और अंकेक्षण में भी स्वीकृति नहीं है। इस प्रकार नगर परिषद ने 7 महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20.65 मीटर (7 x 2.95) ऊनि कपड़ा जारी कर दिया जब कि देय कपड़ा 12.81 मीटर था इस प्रकार 7.84 मीटर ऊनि कपड़ा अधिक जारी कर दिया था जिसकी मूल्य 1364.70 रु० बनता है। इस अधिक अदायगी को नियमित ठहराया जाए अन्यथा इस की भरपाई सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाए और परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वर्दी नियमों के अनुसार नियम 20 के अंतर्गत, 'सप्लाई ऑफ लिवरी आर्टीकल्स हैज नाट सब्जेक्ट टु दी कंडीशन दैट दीज कैन नाट बी कलेक्टड एज ए रूल एंड दैट दीज डु नाट बिकम दी परसनल प्रापर्टी आफ दी एम्पलाईज'। श्रीमति कौशल्या देवी सफाई सेविका अधिशाषित (मुअत्तल) के मेरखा दिनांक 30.4.96 को नगर परिषद में सेवानिवृत्त हैं। अंडी/नगर परिषद के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वर्दी के रजिस्टर की जांच पड़ताल करने पाया गया कि श्रीमति कौशल्या देवी सफाई सेविका जो कि दिनांक 30.4.96 को परिषद से सेवा निवृत्त हो चुकी थी इसको उसके बाद दिनांक 6.6.96 को ऊनि वर्दी दिनांक 3.7.96 को हरी वर्दी और 10.10.96 को लिवरी की दूसरी वस्तुएं जारी की गई थी जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारियों के वर्दी के नियमों की अनदेखी कर के परिषद निधि का अपव्यय किया। इस प्रकार रु0 1766/ रु0 का जो अपव्यय किया उसको सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

श्री मोहन लाल देवी सेवा निवृत सफाई निरीक्षक को निम्नलिखित वर्दी दी

i)	गर्म वर्दी हेतु नीली सर्ज ऊलन	2.95 मीटर	4.6.96	कुल्लू	513.30
ii)	सर्दी वर्दी हेतु टैरीकॉट	3.60 "	7.7.96	कुल्लू	377.30
iii)	ऊलन कम्बल	1 नं0	4.6.96	कुल्लू	175.00
iv)	छाता	1 "	4.6.96	कुल्लू	85.00
v)	जुराबें	1 जोड़ा	4.6.96	कुल्लू	18.00
vi)	लौंग बूट (वैली)	"	4.6.96	कुल्लू	144.50
vii)	छाता	1 नं0	10.10.96	कुल्लू	81.00
viii)	जुराबें	1 जोड़ा	10.10.96	कुल्लू	14.00
ix)	लौंग बूट (वैली)	1 जोड़ा	10.10.96	कुल्लू	138.00
	सिलाई गर्म वर्दी एक सैट	-	-	कुल्लू	289.00
	सिलाई सर्दी वर्दी एक सैट			कुल्लू	33.00
x)	दुपट्टा	एक	10.10.96	कुल्लू	50.00
				जोड़	1766.00

(3) नगर परिषद ने 74 मीटर ऊलन नीली सर्ज गर्म वर्दी देने के लिए खरीद की थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गर्म कपड़ा गर्म वर्दी हेतु कुल 54.25 मीटर देय था परन्तु कुल 64.90 मीटर या 65 मीटर (41.30 मी0 + 20.65 मी0 + 2.95 मी0) गर्म कपड़ा स्टाक रजिस्टर पृ0 37 पृष्ठ 85 से जारी किया गया था इस प्रकार कमेटी की स्टाक रजिस्टर में 9 मीटर गर्म कपड़ा ऊलन सर्ज शेष था। इस शेष ऊलन सर्ज नीली का प्रयोग किस अधिकारी द्वारा गर्म वर्दी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए किया जाए अथवा इस गर्म कपड़े का दोषी कर्मचारी से मूल्य वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

ग) वाउचर नं० 37 माह 10/96 राशि 7449.20

माह 10/96 के वाउचर संख्या 37 द्वारा मुबलिग 7449.20 रु का भुगतान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बाबत सिलाई गर्म वर्दी और ठंडी वर्दी के नगद के रूप में किया गया था। इसके निम्न अनियमितताएं पाई गई।

i) महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गर्म वर्दी (कोट-सलवार) के लिए माह 6/96 में केवल बुलन मफलर लोही (2.25मीटर) ही जारी की गई थी उसको सलवार के लिए टैरीकाट का कपड़ा जारी ही नहीं किया गया था। परन्तु सिलाई गर्म वर्दी सैट (हाफ कोट बुलन + सलवार) का भुगतान मुबलिग 209 रु (हाफ कोट की सिलाई 192.50 रु० + सलवार की सिलाई रु016.50) के दर से 7 महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नगद भुगतान कर दिया। सलवार के लिए कपड़ा जारी किए बगैर ही सिलाई का भुगतान करना न तो न्यायसंगत था और न ही न्यायोचित था अतः इस तरह 7 महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मुबलिग 115.50 रु० का सिलाई का गलत भुगतान (दर 16.50 रु प्रति सलवार) कर दिया। जिस की अब वसूली की जाए। अन्यथा संबंधित दोषी कर्मचारी से वसूली की जाए और इस की सूचना इस निदेशालय को दी जाए।

घ) वर्दी का रजिस्टर :- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी के रजिस्टर का रख रखाव सन्तोषजनक नहीं था वर्दी के रजिस्टर में वर्दी जारी करने की तिथि तथा देय तिथि इत्यादि का इन्द्राज नहीं था (देखें वर्दी रजिस्टर पृष्ठ 25 से 35) अतः वर्दी के रजिस्टर को वर्दी के नियमानुसार ही बनाया जाए इस की पालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।

स्टाक रजिस्टर : नगर परिषद के स्टाक रजिस्टरों का अवलोकन करते समय निम्न अनियमितताएं पाई गईं। अतः नगर परिषद द्वारा उन पर शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

i) स्टाक रजिस्टर नं० 26 (निर्माण कार्य) बकाया पृष्ठ 65

निर्माण कार्य के स्टाक रजिस्टर नं० 26 पृष्ठ 65 पर 20 एम.एम. पुन का सरिया दिनांक 1.7.94 को 971.074 कि०ग्रा० बकाया रहा। और इस सरिए को नए स्टाक रजिस्टर नं० 32 (बकाया) में पृष्ठ 83 पर अग्रेषित किया (ब्राउट फारवर्ड) परन्तु गलती से पृष्ठ 83 पर 971.074 कि०ग्रा० सरिए के बजाए 64 कि०ग्रा० सरिया को ही अग्रेषित किया (ब्राउट फारवर्ड) इस प्रकार 907.074 कि० ग्राम सरिया कम अग्रेषित किया (ब्राउट फारवर्ड) जिसका मूल्य 13.00 रु० प्रति किलो ग्राम से मुबलिग 2651.96 रु० या 2652.00 रु० बनते हैं। अतः इस राशि रु० 2652.00 रु० को सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/ अधिकारियों से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए और इस की सूचना इस निदेशालय को दी जाए।

ii) स्टाक रजिस्टर नं० 26 (निर्माण) पृष्ठ 51 बकाया 10 एम.एम. सरिया

निर्माण कार्य के स्टाक रजिस्टर नं० 26 पृष्ठ 51 पर दिनांक 13.6.94 को 10 एम.एम. का सरिया 176 कि०ग्रा० बकाया था और 23.00 कि०ग्रा० सरिया बाबत निर्माण मैन होल्डर रोड गेट पर (नई आबादी) को जारी किया तो बकाया सरिया 153.00 कि० ग्राम शेष होना था परन्तु गलती से स्टाक रजिस्टर में बकाया सरिया 123.00 कि०ग्रा० दर्शाया गया था इस प्रकार 30 कि०ग्रा० अधिक/कम बकाया दर्शाया गया जिसका मूल्य 12.21 रु० प्रति कि०ग्रा० के मुबलिग 366.30 रु० होते हैं। अतः इस राशि रु० 366.30 रु० की अब वसूली की जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(iii) स्टाक रजिस्टर न० 32 पृष्ठ 6 : पत्थर (कट-स्टोन)

निर्माण कार्य के स्टाक रजिस्टर न० 32 पृष्ठ 6 पर दिनांक 29.3.94 को 3200 पत्थर (कट स्टोन) बकाया थे और दिनांक 30.3.94 को 2200 पत्थर (कट स्टोन) चैनल ड्रेनेज नाला फेज-II के निर्माण हेतु जारी किए गए थे तो बकाया 1000 पत्थर अतः दिनांक 6.4.94 को बकाया पत्थर 1000 कट-स्टोन, बकाया शेष को [illegible] पत्थर दर्शाया गया अतः, इस प्रकार 1000 पत्थर (कट-स्टोन) रु. कम स्टाक रजिस्टर में दर्शाए गए जिस का मूल्य 1 रु. प्रति पत्थर (60% प्रति सैकड़ा [illegible] + 40% प्रति सैकड़ा ढुलाई) की दर से मुबलिग 1000/- रु. के बनते हैं अतः 1000/- रु. की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/कर्मचारियों से की जाए और इस निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जाए।

(iv) स्टाक रजिस्टर न० 35 पृष्ठ 51 (बकाया) सीमेंट

निर्माण कार्य के स्टाक रजिस्टर न० 35 पृष्ठ 51 पर दिनांक 17.2.97 को 45 सीमेंट बैग बकाया थे और 20 सीमेंट के बैग निर्माण कार्य "पक्का रास्ता [illegible] करनाल से श्री सेवा सिंह के घर तक" के लिए जारी किए गए थे। तो बकाया सीमेंट बैग 25 होने चाहिए थे परन्तु गलती से बकाया 15 सीमेंट बैग दर्शाए गए थे इस प्रकार स्टाक रजिस्टर में 10 सीमेंट बैग कम दर्शाए गए। अतः दस सीमेंट बैग का मूल्य मुबलिग 1399 रु. दर 139.90 रु. प्रति सीमेंट बैग की दर से सम्बन्धित कर्मचारी/कर्मचारियों से वसूल कर के सरकारी निधि में जमा करवाया जाए और तदानुसार सूचित किया जाए।

10 सामान [illegible]

अन्यथा 10 सीमेंट के बैगों का मूल्य दर 139.90 रु. प्रति बैग की दर से मुबलिग 1399.00 रु. सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर के निधि में जमा करवाया जाए।

स्टाक रजिस्टर नं० 35 पृष्ठ 68 पर दिनांक 19.3.98 को

-103-

5) स्टाक रजिस्टर नं० 32 (निर्माण) पृष्ठ 11 - सरिया 10 किलो

निर्माण कार्य के स्टाक रजिस्टर नं० 32 पृष्ठ 11 पर दिनांक 10.6.97 को 12 एम एम सरिया 35 किलो ग्राम शेष बकाया था और इस सरिया को नए स्टाक रजिस्टर नं० 35 (निर्माण) पृष्ठ 82 पर अग्रेणीत (ब्राउट फारवर्ड) दर्शाया गया था परन्तु स्टाक रजिस्टर नं० 35 के पृष्ठ 82 का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह सरिया 35 कि० ग्रा० पृष्ठ 82 पर (ब्राउट फारवर्ड) "अग्रेणीत" किया ही नहीं था इस प्रकार 35 कि०ग्रा० सरिया स्टाक रजिस्टर में कम लिया गया यह सन्तोषजनक नहीं था। अत: 35 कि०ग्रा० सरिया जिसका मूल्य 509.60 रू० दर 14.56 रू० प्रति कि०ग्रा० बनता है कि वसूली दोषी कर्मचारी / कर्मचारियों से की जाए और इस की वसूली की सूचना इस विभाग को दी जाए।

(ii) स्टाक रजिस्टर नं० 35 (निर्माण) पृष्ठ 50 - सीमेंट

निर्माण कार्यों के रजिस्टर नं० 3 पृष्ठ 84 के अनुसार दाह संस्कार के मैदान में वर्षा शालिका का निर्माण कार्य मास फरवरी, 1997 में पूर्ण किया दर्शाया गया परन्तु स्टाक रजिस्टर नं० 35 पृष्ठ 50 पर दिनांक 7.4.97 को इसी निर्माण हेतु 10 सीमेंट के थैले जारी किए दिखाए गए जो कि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि वर्षा शालिका का कार्य मास फरवरी 97 में ही पूर्ण हो चुका था तो कार्य पूर्ण होने के बाद 10 सीमेंट के थैले जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता अत: 10 सीमेंट के थैले जारी करने को नियमित करवाया जाए अन्यथा 10 सीमेंट के थैलों का मूल्य दर 139.90 रू० प्रति थैला की दर से कुल मु० 1399.00 रू० सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर के निधि में जमा करवाया जाए

vii) स्टाक रजिस्टर नं० 35 निमार्ण पृष्ठ 68

स्टाक रजिस्टर नं० 35 पृष्ठ 68 पर दिनांक 19.3.98 को सीमेंट के 175 खाली थैले श्री मोहन ठेकेदार को बाबत निमार्ण 6 नं० दुकानात स्वार घाट रोड हेतु नगर परिषद द्वारा दिए गए थे परन्तु सीमेंट के खाली थैले देने का कोई औचित्य नहीं दर्शाया गया। अत: 175 खाली थैलों का मूल्य दर एक रुपए प्रति थैले की दर से मुताबिक 175.00 रु० श्री मोहन ठेकेदार से अथवा सम्बन्धित दोषी अधिकारी / कर्मचारी से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए। और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

viii) स्टाक रजिस्टर नं० 37 पृष्ठ नं० 60 और 62

स्टाक रजिस्टर नं० 27 के पृष्ठ नं० 60 पर एक बल्ब ट्यूबलाइट फिटिंग दिनांक 19.5.90 को बकाया थी इसी प्रकार पृष्ठ 62 पर दिनांक 19.5.90 को मरकरी वेपर लैम्प 80 वाट का भी एक बकाया था परन्तु यह दोनों ट्यूब लाइट फिक्चर और मरकरी वेपर लैम्प को नए स्टाक रजिस्टर नं० 33 पर आगे नहीं उठाया गया इसी कारण इन वस्तुओं का निपटान भी नहीं किया गया। अत: एक ट्यूब लाइट फिक्चर का मूल्य 100/- रु० और मरकरी वैपर लैम्प का मूल्य 67.00 रु० सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

स्टाक रजिस्टर तारकोल के खाली ड्रम

निर्माण कार्यों के स्टाक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया कि परिषद ने 105 तारकोल के ड्रम खरीद किए थे और 15.10.97 तक 97 तारकोल के ड्रम विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों को जारी किए थे जिनका विवरण निम्न दिया गया है। ठेकेदारों से तारकोल के खाली ड्रमों की वापिसी का इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में नहीं पाया गया और न ही तारकोल के खाली ड्रमों की कीमत ठेकेदारों से वसूल दिखाई गई। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद ने ठेकेदारों से न तो खाली ड्रमों को ही वापिस लिया और न ही खाली ड्रमों का मूल्य वसूल किया। यह सन्तोषजनक नहीं था इस प्रकार परिषद को हानि हुई अतः अब ठेकेदारों से खाली ड्रमों की वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए। परिषद द्वारा खाली ड्रमों को 70/- रु० प्रति ड्रम की दर से विक्रय किया है। अतः ठेकेदारों से भी 70/- रु० प्रति ड्रम की दर से मुबलिग 6790/- रु० वसूल किए जाएं।

तारकोल ड्रमों की प्राप्ति

दिनांक	प्राप्त संख्या	स्टाक रजिस्टर सं०/ पृष्ठ
29.2.96	15	पृष्ठ 43 स्टाक रजिस्टर 32
15.5.97	70	— यथोपरि
14.10.97	20	पृष्ठ 76 स्टाक रजिस्टर 35
कुल	105	

तारकोल के ड्रमों को जारी करने का विवरण

दिनांक	जारी संख्या	स्टाक रजिस्टर पृष्ठ/ नम्बर	ठेकेदार का नाम
	ड्रम		
29.2.96	6 ड्रम	पृष्ठ 43 स्टाक नं० 12 यथा	मरम्मत फूलगढ़ोड़ी डी० सी रोड

25.6.97 9 ड्रम - यथोपरि - मैटलड रोड डी० डी० ओ ऑफिस से आई० टी० कृषि कालोनि आर० डी० 0 से 128

1.7.97 9 ड्रम - यथोपरि - यथोपरि — आर० डी० 128 से 256

1.7.97 18 ड्रम - यथोपरि - स्पेशल मुरम्मत मैन गेट से गुरद्वारा के द्वार तक आर० डी० 0 से 200

1.7.97 19 ड्रम - यथोपरि - यथोपरि — आर० डी० 201 से 400

1.7.97 12 ड्रम - यथोपरि - स्पेशल मुरम्मत मदन लाल की दुकान से गुरद्वारा आर० डी० 0 से 200

4.7.97 12 ड्रम - यथोपरि - यथोपरि 201 से 410 आर० डी०

15.10.97 18 ड्रम [illegible] टैंकर 35 - यथोपरि — आर० डी० 410 से 580.

योग 97 ड्रम

निविदा प्रपत्र पर आपूर्ति आदेश / टेंडर / वर्क आर्डर जारी न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के म्युनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के नियम 97, 190 और 196 के अंतर्गत नगर परिषद आवश्यक सामग्री / निर्माण कार्यों के लिए सामान्य सामग्री, मुख्य निर्माण कार्यों / छोटे निर्माण कार्यों के लिए टेंडर / निविदाएं ... ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं से आमंत्रित करें।

और इनकी तुलनात्मक विवरणी तैयार कर दें, यहीं प्राप्त दरों के अनुसार कम दरों के प्रतिवेदकों को सामान्य सामग्री की सप्लाई हेतु विहित प्रपत्र जी-33 और निर्माण कार्यों की सामग्री की सप्लाई हेतु विहित प्रपत्र एम. डब्ल्यू-7 पर आपूर्ति आदेश जारी किए जाने हों और मुख्य निर्माण कार्यों के लिए फार्म एम डब्ल्यू और छोटे निर्माण कार्यों के लिए फार्म एम. डब्ल्यू-8 पर ठेकेदारों / फर्मों को निर्माण कार्य करने के आदेश जारी किए जाने हों। परन्तु लेखा अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ ने सामान्य सामग्री / निर्माण कार्यों के लिए सामग्री के आपूर्ति आदेश उपरोक्त विहित प्रपत्रों पर जारी ही नहीं किए थे और मुख्य निर्माण कार्यों व छोटे निर्माण कार्यों के आदेश भी विहित प्रपत्र पर जारी नहीं किए गए थे जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो निर्माण कार्यों के लिए सामान की आपूर्ति की गई थी उसका इन्द्राज भी माप पुस्तिका में नहीं था और न ही संबंधित ठेकेदारों / फर्मों / ... को माप पुस्तिका द्वारा की अदायगी किए जाने से निर्माण कार्यों के लिए सामग्री प्राप्त की ... पुष्टि भी लेखा अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः मामले में उक्त और विशेष ध्यान दिया जाए और जो निर्माण कार्यों

के लिए सामग्री प्राप्त की थी समस्त सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराते कर मामला अपने संज्ञान में दिखाई जाए -

वाउचर नं0	माह	धन	विवरण
53	6/95	9460.00 1720.00	अदायगी श्री जय सिंह कायम सप्लायर बावत बजरी 63 एम एम 2200 सी० एफ टी 10 एम एम 2,00 सी० एफ० टी दर 430 रू० प्रति 100 सी० एफ० टी० (माप पुस्तिका में इन्द्राज नहीं)
41	6/95	3120.00	अदायगी श्री देव कृष्ण बावत मार्बल पत्थर 4800 दर 65 रू० प्रति सैकड़ा
31	6/95	870.00	अदायगी श्री रणजीत सिंह सप्लायर बावत गटका 600 सी० एफ० टी०
33	12/95	1700.00	अदायगी श्री रणजीत सिंह सप्लायर बावत गटका 1000 सी० एफ० टी०
27	3/96	1020.00	— यथोपरि 600 सी० एफ० टी०
23	3/97	2770.00 550.00	अदायगी श्री रणजीत सिंह सप्लायर बावत मार्बल बजरी 1930 सी० एफ० टी०
34	3/94	870.00	अदायगी श्री रणजीत सिंह सप्लायर बावत गटका 600 सी० एफ० टी०
56	7/95	2860.00	अदायगी श्री देव कृष्ण सप्लायर बावत मार्बल पत्थर 4400
41	12/95	2600.00	अदायगी श्री देव कृष्ण सप्लायर बावत मार्बल पत्थर 4000
30	3/95	1820.00	अदायगी श्री देव कृष्ण सप्लायर बावत मार्बल पत्थर 2800
42	3/96	2600.00	अदायगी श्री देव कृष्ण सप्लायर बावत मार्बल पत्थर 4000

23	3/96	1897.00	अदायगी मै० भारत कैमिकल डीलर नालागढ़ बावत सप्लाई और फिनाइल करने व दुनाली के डलर। (कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किया।)
57	7/95	2995.00	अदायगी श्री जय सिंह कश्यप ठेकेदार बावत रोड़ी बिछाने श्री हरी दास के मकान से लेकर श्री मोहन लाल के मकान तक वार्ड नं 1 (कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किया।)
57	7/95	14833.00	अदायगी श्री जय सिंह कश्यप ठेकेदार बावत मरम्मत करने बाजार की सड़क नालागढ़ (कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किया।)
57	7/95	8140.00	अदायगी श्री जय सिंह ठेकेदार बावत रोड़ी बिछाने सड़क पुराना अस्पताल तक (कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किया)
57	7/95	9556.00	अदायगी श्री जय सिंह ठेकेदार बावत रोड़ी बिछाने सड़क जोघों (कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किया।)
31	3/93	35108.00	अदायगी मै० इलैक्ट्रीकल्स इंडस्ट्रीयल इन्डस्ट्रीयल पंचिया चण्डीगढ़ बावत सप्लाई करने जेनरल लाईटिंग इक्विपमेंट्स (कोई वर्क आर्डर जारी नहीं किया)
25	9/94	35518.00	अदायगी श्री जय सिंह कश्यप ठेकेदार बावत रोड़ी बिछाने, सड़क बाज़ार चौक, इन्दिरा मैदान से श्री हरी चन्द के घर तक, रामगढ़ सड़क से शीतला चौक, पार्क रोड, गुरुद्वारा रोड (वर्क आर्डर जारी नहीं।
37	9/94	15400.00	अदायगी श्री मुख्तल ख़ान ठेकेदार बावत निर्माण करने दुकानें (वर्क आर्डर प्रस्तुत नहीं किया)
42	5/96	8510.00	अदायगी मै० [illegible] बावत सप्लाई 11500 ईंटें (वर्क आर्डर प्रस्तुत नहीं किया

44	3/96	4500	अदायगी श्री [illegible] ठेकेदार [illegible] 6000 [illegible]
55	7/96	15000/-	अदायगी श्री जय सिंह ठेकेदार [illegible] 10 [illegible]
17	7/97	5700/-	अदायगी श्री [illegible] ठेकेदार [illegible] 5700
26	12/97	7465.00	अदायगी श्री जय सिंह ठेकेदार बावत आपूर्ति 1100 [illegible] एम०टी० बजरी [illegible] रेत 700 सी० एफ०टी०, बजरी [illegible] [illegible] 300 सी० एफ० टी० (माप पुस्तिका में पैमाइश नहीं)
44	3/98	9900.00	अदायगी श्री जय सिंह ठेकेदार बावत आपूर्ति 3600 [illegible] एफ०टी० बजरी [illegible] (माप पुस्तिका में पैमाइश नहीं)
44	3/98	12040.00	अदायगी श्री जय सिंह ठेकेदार बावत आपूर्ति बजरी 6 [illegible] 3600 सी० एफ० टी० (माप पुस्तिका में पैमाइश नहीं)
44	3/98	7750.00	अदायगी श्री जय सिंह ठेकेदार बावत आपूर्ति [illegible] 3100 सी० एफ० टी० [illegible] (माप पुस्तिका में पैमाइश नहीं)
38	3/98	15465.00	अदायगी मै० भारत [illegible] [illegible] बावत [illegible] [illegible] 4 [illegible] (दुकानें) (माप पुस्तिका में पैमाइश नहीं)
[illegible]	7/96	15575.00	[illegible] 10 दुकानें
41	7/92	34000.00	अदायगी मै० [illegible] [illegible] बावत [illegible] [illegible] दुकानों के [illegible] (कोई [illegible] आर्डर जारी नहीं किया)
24	3/94	46502.00	[illegible] बावत [illegible] की [illegible] 22 दुकानों के [illegible] (कोई टेन्डर / वर्क आर्डर जारी नहीं किया)

अंशदायी भविष्य निधि :

i) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90 के पैरा 16 (i से iv) में यह आपत्ति उठाई गई थी कि परिषद ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 317 के अन्तर्गत लैजर खाता (जनरल कैश एकाउंट) जो फार्म पी० एफ- 3 पर और नियम 227 के अन्तर्गत निवेश रजिस्टर, निकासी रजिस्टर, ब्याज प्राप्ति रजिस्टर जो फार्म पी० एफ-5 पी० एफ-6, पी० एफ-7, पी० एफ-11 और पी० एफ-12 पर तैयार नहीं किए थे और यह अनुरोध किया गया था कि इन रजिस्टरों को शीघ्र तैयार कर के पूरा किए जाएं और अगले अंकेक्षण में इसकी अनुपालना दिखाई जाए। परन्तु खेद है कि परिषद द्वारा अभी तक जो रजिस्टर पैरा 16 में वर्णित थे तैयार नहीं किए यह सन्तोषजनक नहीं था। अतः परिषद इन रजिस्टरों को शीघ्र पूरा कर के इस की अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

ii) निवेश रजिस्टर न बनाने : नगर परिषद ने अंशदायी भविष्य निधि के खाता नं० "दी जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०" सोलन से निम्न राशियों को निकाल कर किसान विकास पत्र डाक घर से खरीदे परन्तु निवेश रजिस्टर पी० एफ-5 बनाया नहीं गया था यह सन्तोषजनक नहीं था। अतः निवेश रजिस्टर शीघ्र तैयार कर के आज तक पूरा किया जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

दिनांक निकासी	राशि जिस के किसान विकास पत्र खरीदे/ निकासी	दिनांक किसान विकास 10,000 के खरीद पत्र नं० की
19.3.91	1,00,000 रु०	19.3.91 088426 से 437 088 529 से 540
25.11.91	1,00,000 रु०	25.11.91 438851 से 862
23.3.94	1,00,000 रु०	23.3.94 974126 से 137

(iii) वाउचर नं० 36 मास 9/91 राशि 6636.00 रु०

मुबलिग 8095.00 रु० की निकासी दिनांक 19.9.91 को परिषद ने अंशदायी भविष्य निधि खाता नं० 1 "दी जौनपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० लालदरवाजा से बावत भुगतान राशि जो परिषद के सेवा निवृत कर्मचारियों को देय थी परन्तु वाउचर नं० 36 मास 9/91 द्वारा मुबलिग 6636.00 रु० का ही भुगतान किया गया था इस प्रकार मुबलिग 1459 रु अभी तक परिषद निधि में ही शेष थे। यह समायोजन उचित नहीं था अत: इस राशि मुबलिग 1459.00 रु० को नगरपरिषद निधि से निकलवा कर के अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा करवाया जाए और इस की अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।

वा० लागू · · ·

इसी दिन दिनांक ...

रोकड़बही :-

1) नगर परिषद द्वारा दिनांक 23.3.94 को स्टेट बैंक आफ पटियाला, नालागढ़ के खाता संख्या 67845 से मुबलिग 10,51,898.00 रु० की चालू राशि की निकासी की गई और इस राशि मु० 10,51898.00 रु० को इसी दिन 23.3.94 को डाकघर नालागढ़ के बचत खाता संख्या 1382566 में जमा करवाया गया परन्तु दिनांक 6.4.94 को लगभग 15 दिन के बाद मुबलिग 9,50,000.00 रु० डाकघर नालागढ़ बचत खाता संख्या 1382566 से निकलवा कर पुनः स्टेट बैंक आफ पटियाला नालागढ़ के खाता संख्या 67845 में जमा करवाए गए। इसी प्रकार एक लाख रुपए भी उसी दिन 6.4.94 को डाकघर नालागढ़ बचत खाता संख्या 1382566 से निकासी करवा कर दी जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोo आपo बैंक लिo नालागढ़ में टीo डीo आरo संख्या 12398 के रूप में 45 दिन के लिए जमा करवा दिए गए।

इस प्रकार मुबलिग 10,50,000/- रु० का जो अनावश्यक लेन देन किया गया उसका औचित्य स्पष्ट किया जाए और जो इस अनावश्यक लेन देन मु० 10,51,898.00 पर परिषद को ब्याज प्राप्ति मार्च मास की लगभग 4383.00 रु० (दर 5%) की जो हानि हुई उस की भरपाई सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से कर के आते शीघ्र परिषद निधि में जमा करवाया जाए और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

(ii) नगर परिषद द्वारा दिनांक 24.3.92 को स्टेट बैंक आफ पटियाला, नालागढ़ के खाता संख्या 67/845 से मुबलिग 1,50,000.00 रु० की निकासी कर के उसी दिन दिनांक 24.3.92 को डाकघर नालागढ़ बचत खाता संख्या 1382566 में जमा करवाए गए इस प्रकार इस अनावश्यक लेन देन के कारण नगर परिषद को मुबलिग 1,50,000.00 रु० की राशि के लेन देन पर 5% की दर से मुबलिग 625/- रु० के लगभग मास मार्च के ब्याज की हानि हुई जो की सन्तोषजनक नहीं था। अतः मु० 625.00 रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाए। अन्यथा इस लेन देन का औचित्य निदेशालय के आधीन स्पष्ट किया जाए।

(iii) नगर परिषद द्वारा दिनांक 13.9.93 को मुबलिग 8,70,000/- रु० की राशि डाकघर नालागढ़ बचत खाता संख्या 1382566 से निकासी कर के दिनांक 15.9.93 को स्टेट बैंक आफ पटियाला, नालागढ़ में अवधि जमा के रूप में एफ० डी० आर० नं० 062625 मुबलिग 8,70,000/- रु० की 45 दिन के लिए जमा करवाई गई। इस प्रकार नगर परिषद को राशि 8,70,000/- रु० पर 14 दिन के ब्याज दर 5% की दर से मुबलिग 1637.00 रु० की ब्याज की हानि हुई जो सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए और इस निदेशालय को भी सूचित किया जाए।

(5) नगर परिषद की दिनांक 27.5.96 की कुल आय 1370.00 रु० रही जिसका विवरण निम्न दिया गया है लेकिन इसके आधी से मुकाबला 1185.00 रु० दिनांक 28.5.96 को नगर परिषद के बैंक खाते में जमा करवाए गए और इस तरह मु० 185.00 रु० कम जमा करवाए गए। इस प्रकार मु० 185.00 रु० जो कम जमा करवाए गए थे वह दिनांक 29.6.96 को लगभग एक मास बाद नगर परिषद के बैंक खाते में जमा करवाए गए यह सन्तोषजनक नहीं कहा जाता। भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

विवरण आय

तहबाजारी	196 200 1 से 172 / 163 164	: 885.00 रु०
[illegible] शुल्क	46-45 / 4	: 10.00 रु०
किराया	14/192	: 185.00 रु०
[illegible]	15/193	: 285.00 रु०
नकल शुल्क	40/190	: 5.00 रु०
	योग	1370.00 रु०

(6) नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों का मास 6/94 का वेतन देय 7/94 और मास 11/94 का देय 12/94 से कर्मचारियों के वेतन से सामूहिक जीवन बीमा योजना की मासिक किश्त की कटौती मु० 660.00 रु० प्रति मास की गई। इन राशियों को नगर परिषद द्वारा चैक संख्या नं० 015781 दिनांक 1.7.94 रु० 660/- और चैक नं० 034462 दिनांक 1.12.94 राशि 660.00 रु० को भारतीय जीवन बीमा निगम शिमला को बाबत मासिक किश्त भेजा गया था। किन्तु यह दोनों चैक लगभग 2 और 1½ वर्ष दिनांक 30.7.96 तक बिना भुनाए रहे जबकि नियमानुसार चैक की वैधता जारी होने की तिथि से केवल 6 मास तक होती है किन्तु यह चैक लगभग 2 वर्ष और 1½ वर्ष तक बिना भुनाए रहे और नगर परिषद

द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो कि सन्तोषजनक नहीं था अतः नगर परिषद ने दिनांक 31.7.96 को इन दोनों चैकों को न भुनाए जाने के कारण परिषद की रोकड़ बही में आय के खाते में इस टिप्पणी, 'न भुनाए जाने के कारण" जमा किए।

अतः नगर परिषद द्वारा जीवन बीमा निगम शिमला कार्यालय से यह सुनिश्चित किया जाए कि ये राशियाँ कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा खाता में जमा हो गई अथवा नहीं और तदानुसार कार्यवाही की जाए।

(vi) सामान्य रोकड़ बही :

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 19 (2) (3) और 5 के तहत सामान्य रोकड़ बही के प्रत्येक इन्द्राज को सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांकित हस्ताक्षरित जाँच व मासिक मिलान किया जाना आवश्यक है। परन्तु लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की नगर परिषद द्वारा पालना नहीं की गई जो कि सन्तोषजनक नहीं था जब कि इस बारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4187 से 3/90 के पैरा 20(जी) में भी इन नियमों की पालना हेतु लिखा गया था अतः भविष्य में इन नियमों की पालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

✓ नगर परिषद के सचिव की नियुक्ति

श्री शिवलाल सचिव नगर पालिका परिषद नालागढ़ की मृत्यु के उपरान्त नगर परिषद नालागढ़ ने अपने प्रस्ताव सं० 4 दिनांक 3.8.88 के द्वारा श्री शक्ति स्वरूप मल्होत्रा लेखाकार नगर परिषद को अस्थाई रूप से दिनांक 1.9.88 से नगर परिषद के सचिव के पद पर वेतनमान 800-1200 रु० जमा 75.00 रु० विशेष वेतन पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया कि यह नियुक्ति हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1968 की धारा 37 के अन्तर्गत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रभावी होगी परन्तु सरकार से यह स्वीकृति श्री मल्होत्रा की अधिवार्षिता सेवा निवृत्ति दिनांक 31.8.95 तक प्राप्त नहीं हुई थी जबकि श्री मल्होत्रा इस पद (सचिव) से सम्बन्धित सभी वेतन, विशेष वेतन व अन्य भत्ते प्राप्त करता रहा जो कि नियमानुसार देय नहीं थे। इसके बारे पहले अंकेक्षण पत्र क्रमांक 4187 से 4190 के पैरा संख्या 15 में भी सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही सचिव पद के वेतन व अन्य भत्ते आहरण करने बारे लिखा गया था।

परन्तु नगर परिषद ने अंकेक्षण की इस आपत्ति पर कोई भी कार्यवाही नहीं की और श्री मल्होत्रा अवधि 1.9.88 से 31.8.95 तक अनियमित रूप से सचिव नगर परिषद के पद पर कार्यरत रहे और वेतन, विशेष वेतन व अन्य भत्ते आहरण करते रहे। श्री शक्ति स्वरूप मल्होत्रा का वेतन मान सचिव पद पर अनियमित रूप से इस प्रकार निर्धारित किया गया।

दिनांक 1.1.86 को वेतनमान 800-1200 का संशोधित वेतनमान 1640-2925 रु० था अतः दिनांक 1.9.88

से श्री उद्धि स्वरूप मलहोत्रा अधिवक्ता (सरकारी) का वेतन मान निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया।

वेतन मान 1640–2925 रु०

दिनांक	वेतन	+	विशेष वेतन
	रु०		रु०
1.9.88	1640.00	+	150.00
1.9.89	1680.00	+	150.00
1.9.90	1720.00	+	150.00
1.9.91	1760.00	+	150.00
1.9.92	1800.00	+	150.00
31.12.92 मास्टर स्केल			
1.1.93	1800.00	+	150.00
1.9.93	1850.00	+	150.00
1.9.94	1900.00	+	150.00
1.9.95	1950.00	+	150.00
1.1.96 से वेतन मान 1640-2925 का संशोधित वेतन मान 5480—8925 रु० में			
1.1.96	6000.00	+	150 रु०
1.9.96	6200.00	+	150.00
1.9.97	6400.00	+	150.00
1.9.98	6600.00	+	150.00
31.8.99	6600.00	+	150.00

इस के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1968 की धारा 37 के अन्तर्गत स्वीकृति आने तक श्री उद्धि स्वरूप मलहोत्रा लेखाकार को निम्न वेतन व भत्ते दिये गये हैं

1.1.86 से वेतन मान 510—940 रु० का संशोधित वेतन मान 1200—2100 रु० को

दिनांक	वेतन	+	विशेष वेतन
	रु०		रु०
1.1.88	1500.00	+	40.00
1.9.88	1500	+	40.00
1.1.89	1530	+	40.00

1.1.90	1560.00	+ 40.00	
1.1.91	1600.00	+ 40.00	
1.1.92	1640.00	+ 40.00	

31.12.92 को कार्यरत स्केल

31.12.92 को	1600	+ 40 पे०पी०	+ 40 वि०वेतन
1.1.93	1650	+ 40 पे०पी०	+ 40 विशेष वेतन
1.1.94	1700	+ 40.00	+ 40.00
1.1.95	1750	+ 40.00	+ 40.00
1.1.96	1800	+ 40.00	+ 40.00

दिनांक 1.1.96 से वेतनमान 1200-2100 का संशोधित वेतन 4020-6200

1.1.96	5640.00
1.1.97	5800.00
1.1.98	6000.00
1.1.99	6200.00
31.8.99	6200.00

इस प्रकार नगर परिषद द्वारा श्री आर० के० मल्होत्रा सचिव (अस्थाई) को लेखा मदों कुल 60,075/- रु० को अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' अंकेक्षण प्रतिवेदन संदर्भ 4190 से 3198 में दर्शाया गया है। नगर परिषद इस प्रकार या तो श्री आर० के० मल्होत्रा लेखाकार की सचिव के पद पर नियुक्ति को सरकार से हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1968 की धारा 37 के अन्तर्गत दिनांक 1.9.88 से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस राशि कुल 60,075.00 रु० की वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

हुडको अर्बन डिवेलपमेंट कार्पोरेशन ऋण

क) नगर परिषद नालागढ़ और हाउसिंग अर्बन डिवेलपमेंट कार्पोरेशन दिल्ली के मध्य शैल्टर आपरेशन स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मकान उपलब्ध करवाने बारे अनुबन्ध पत्र न० एस० डी० एस० आई ओ-279 दिनांक 7.1.94 द्वारा यह समझौता हुआ कि हाउसिंग अर्बन डिवेलपमेंट कार्पोरेशन नगर परिषद नालागढ़ को 10.5 % वार्षिक दर पर 3,15,000.00 रु० बतौर ऋण उपलब्ध करवाए गी।

2. नगर परिषद ने हाउसिंग अर्बन डिवेलपमेंट कार्पोरेशन नई दिल्ली से दिनांक 9.2.94 को पहली किश्त कु० 1,59,000.00 रु० और दिनांक 30.12.94 को दूसरी किश्त कु० 1,56,000.00 रु० कुल 3,15,000.00 रु० की राशि बतौर ऋण प्राप्त की थी। यह राशि 105 परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर को मकान बनाने हेतु दर 3000/- रु० प्रति परिवार की दर से ऋण के रूप में दी जानी थी। नगर परिषद ने 99 परिवारों को मुबलिग 2,97,000.00 रु० की राशि दर 3000/- रु० प्रति परिवार को ऋण के रूप में इस प्रयोजन हेतु वितरित की गई।

सरकार के पत्र संख्या कु० एल० डी० - एफ (11-7) 81 दिनांक 18.4.92 के अनुसार केवल वही परिवार इस ऋण के पात्र थे जिनकी वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 7300 रु० से कम थी। लेखापरीक्षा में पाया कि नगर परिषद ने ऋण वितरित करते समय सरकार के आदेश अनुसार आय प्रमाण पत्र जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए जिस कारण से वास्तविक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मकान बनाने हेतु ऋण की उपलब्धता प्राप्त करवाने बारे मामले की जांच नहीं हो सकी। और यह भी पाया गया कि जिन परिवारों को ऋण दिया गया था उनसे ऋण की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई विशेष माप दंड नहीं अपनाया गया। ऋण की वसूली हाउसिंग अर्बन डिवेलपमेंट कार्पोरेशन के निर्देशों के अनुसार ही माप दंड तय करके की जाए।

नगर परिषद ने आर्थिक रूप से पिछड़े 99 परिवारों को मुबलिग 2,97,000.00 रु० का ऋण वितरित किया था इसमें से 31.3.98 को मुबलिग 1,81,200.00 रु० की ऋण की वसूली की जा चुकी थी और दिनांक 31.3.98 को मुबलिग 1,15,800.00 रु० वसूली योग्य थे जिस का विवरण परिशिष्ट "ख" अंकेक्षण अवधि 4/90 से 3/98 के साथ संलग्न है। इस ऋण की वसूली शीघ्र की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

ग) उपादान की राशि

नगर परिषद नोहर को सरकार से 105 आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों हेतु मकान बनाने के लिए 42000/- रु० दिनांक 2.2.95, 20,000.00 रु० दिनांक 22.5.92, 42,000/- रु० दिनांक 30.12.94 और 1000.00 रु० 24.2.95 को कुल 1,05,000.00 रु० उपादान के रूप में प्राप्त हुए थे। नगर परिषद ने उपादान की इस राशि में से 99 आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 1000/- रु० प्रति परिवार की दर से मुबलिग 99,000.00 रु० उपादान के रूप में वितरित किए इस प्रकार 6000/- रु० नगर परिषद के पास उपादान के शेष है। अत: इस उपादान की राशि रु० 6000.00 रु० को सरकार के निर्देशानुसार उपयोग किया जाए सम्बन्धित इनको सूचित किया जाए।

घ) वाउचर न० 51 मास 6/95 राशि 15,000.00

वाउचर न० 51 मास 6/95 द्वारा मुबलिग 15000.00 रु० मैनेजर हाउसिंग अर्बन डिवेलपमेंट कार्पोरेशन नई दिल्ली को बाबत ऋण की किस्त (मूल और ब्याज) 30.6.95 को समाप्त होने वाली त्रैमासिकी बैंक ड्राफ्ट न० 131041 दिनांक 30.6.95 द्वारा भुगतान किया गया। जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि हाउसिंग अर्बन डिवेलपमेंट कार्पो० नई दिल्ली के पत्र संख्या न० फिन। अकाउंट। इन00/- टैक्स। मैमो। 167 दिनांक 28.6.95 द्वारा इस तिमाही की मांग

कुलयोग 14,556.00 रु० (मूलधन 7000/- रु० + ब्याज 7422/- + अतिरिक्त ब्याज 134.00) रु० की राशि थी। परन्तु नगर परिषद ने इस राशि के भुगतान में गलती से 15000/- रु० की राशि अदा की इस प्रकार कुलयोग 444.00 रु० का अधिक भुगतान किया गया जो कि न्यायोचित नहीं था। अतः इस राशि रु० 444.00 रु० को अगली किश्तों में समायोजित किया करवाया जाए। और इसी प्रकार अगर किसी किश्त का नगर परिषद द्वारा अधिक भुगतान किया गया हो तो उसे भी समायोजित करवाया जाए और इसकी अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए।

नगर परिषद द्वारा ऋण देय :

नगर परिषद लालगढ़ ने हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० दिल्ली से कुलयोग 3,15,000.00 रु० राशि 1992 डौलटर अपग्रेडेशन स्कीम के अन्तर्गत ऋण लिया था और नगर परिषद ने दिनांक 31.3.98 तक कुलयोग 1,11,000.00 रु० की राशि बतौर मूलधन हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० दिल्ली को चुकता कर दी थी। इस प्रकार दिनांक 31.3.98 को नगर परिषद लालगढ़ पर 2,04,000.00 रु० की राशि दायित्व रहा जिसे चुकता करने हेतु उचित कदम उठाए जावें।

दंड स्वरूप ब्याज की अदायगी : नगर परिषद ने हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० दिल्ली से रु० 3,15,000.00 रु० की राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मकान बनाने हेतु ऋण के रूप में ले रखी है। अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० दिल्ली को त्रैमासिक मूल व ब्याज की किश्तें भेजते समय, नियत समय पर भेजने में लापरवाही की व दंड स्वरूप ब्याज का रु० 3330.00 रु० का अधिक भुगतान किया जिसका विवरण परिशिष्ट 'ग' अंकेक्षण नोट पृ० 380 से 388 के साथ संलग्न है। अतः इस दंड स्वरूप ब्याज को आगामी किश्तों में ब्याज देते समय समायोजित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

सेवा पंजिका

i) अनियमित वार्षिक वेतन बढ़ोतरी
श्री फूल चंद सफाई कर्मचारी

नगर परिषद के पत्र संख्या क्रमांक सी० प्रे० दिनांक 23.3.97 द्वारा श्री फूल चंद सफाई कर्मचारी को दिनांक 1.1.97 से वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए गए और इसका वेतनमान 1055+35 पी०डी० से बढ़ाकर 1090+35 पी०डी० कर दी गई। परन्तु सेवा पंजिका और अन्य रिकार्ड की पड़ताल करने पर पाया गया कि श्री फूल चंद सफाई कर्मचारी मास अगस्त 96 में 9 दिन मास सितम्बर 96 में 8 दिन, मास अक्टूबर 96 में 9 दिन और मास नवम्बर 96 में 7 दिन कुल 33 दिन अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा और इन दिनों का नगर परिषद द्वारा अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया और न ही वेतन व अन्य भत्ते की अदायगी श्री फूल चंद सफाई कर्मचारी को की गई इस प्रकार श्री फूल चंद सफाई कर्मचारी की वार्षिक वेतन 33 दिन के बाद यानि दिनांक 1-2-97 से देय थी परन्तु उसे अनियमित रूप से दिनांक 1.1.97 से वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई थी इस प्रकार इसे अधिक अदायगी हुई जिसे अब नगर परिषद द्वारा गणना करके इसकी वसूली की जाए और इसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

ii) इसी प्रकार श्री फूल चंद सफाई सेवक को नगर परिषद के पत्र संख्या क्रमांक सी० प्रे० दिनांक 3.1.98 द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1.1.98 से जारी की गई और इसका वेतनमान 1090+35 पी०डी० से बढ़ा कर 1125+35 पी०डी० कर दिया गया परन्तु रिकार्ड की पड़ताल करने

में पाया गया कि श्री फूल चंद सफाई कर्मचारी माह जून 97 में 13 दिन माह सितम्बर 97 में 7 दिन, माह अक्टूबर 97 में 13 दिन और माह नवम्बर 97 में 7 दिन कुल 38 दिन अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा और इस अवधि के नगर परिषद द्वारा वेतन व अन्य भत्तों का भी उसे भुगतान नहीं किया गया इसी प्रकार उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि 38 दिन के बाद देय थी अतः श्री फूल चंद की वार्षिक वेतन वृद्धि जो 1.3.98 से देय थी जबकि उसे 1.1.98 से ही दी गई अतः इस प्रकार श्री फूल चंद सफाई कर्मचारी को अनियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देने के कारण अधिक भुगतान किया गया। अतः नगर परिषद द्वारा इस की गणना कर के अधिक अदायगी की वसूली की जाए और उसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(4) अनियमित वार्षिक वेतन वृद्धि श्री मति जगिया देवी

नगर परिषद के पत्र संख्या एन.पी./न. शून्य दिनांक 31.1.98 द्वारा श्री मति जगिया देवी सफाई सेविका को दिनांक 1.1.98 से वार्षिक वेतन वृद्धि जारी की गई परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि श्री मति जगिया देवी अवधि 1.11.97 से 30.11.97 तक छुट्टी पर थी परन्तु नगर परिषद द्वारा न तो इसकी छुट्टी की स्वीकृति दिखाई गई और न ही इस अवधि के वेतन व अन्य भत्ते रोक दिए गए। अतः इस प्रकार श्री मति जगिया देवी की वार्षिक वेतन वृद्धि एक मास बाद

यानि मास 1.2.98 से देय थी जब कि श्रीमती उर्मिला देवी को अनियमित ढंग से दिनांक 1.1.98 से वेतनमान 1050+35 रु०पी० से 1135+35 रु०पी० जारी कर दिया गया इस प्रकार श्रीमती उर्मिला देवी को जो अधिक अदायगी की गई उसे नगर परिषद आगणन कर के उस की वसुली श्रीमती उर्मिला देवी से कर के अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

) सेवा पंजिकाओं में छुट्टियों का इन्द्राज :-

अंकेक्षण के समक्ष पाया गया कि नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियों द्वारा जब अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश इत्यादि लिया जाता है तो नगर परिषद द्वारा उसकी छुट्टी की स्वीकृति के कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते और इस कारण से सेवा पंजिका में छुट्टी स्वीकृति का आदेश संख्या अवधि और दिनांक इत्यादि का इन्द्राज नहीं किया जाता जिस कारण से अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश के खातों की सत्यता प्रमाणित नहीं होती। अतः भविष्य में छुट्टियों के स्वीकृति के कार्यालय आदेश जारी किया जाए और इन आदेशों का इन्द्राज सेवा पंजिका में किया जाए ताकि छुट्टियों के खातों की सत्यता जाँची जा सके। इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

स्थापना जाँच रजिस्टर (ई० सी० आर०)

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 179 के अन्तर्गत प्रत्येक नगर परिषद द्वारा स्थापना पड़ताल रजिस्टर फार्म जी-14 पर इस उद्देश्य हेतु बनाया जाना आवश्यक है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को वेतन व अन्य भत्तों का दोबारा भुगतान न हो और जो भी नई नियुक्ति। पद समाप्ति नगर परिषद द्वारा की जाए उसकी इन्द्राज भी इस रजिस्टर में करना आवश्यक है। परन्तु स्थापना जाँच रजिस्टर परिषद द्वारा अभी भी नहीं बनाया गया था जिस कारण से अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद द्वारा जिन कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का बकाया बिलों को भुगतान किया गया उसकी भी अंकेक्षण जाँच नहीं की जा सकी। जब कि इस बारे पहले भी अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/87 से 3/90 के पैरा 18 में आपत्ति दर्ज की गई थी कि स्थापना जाँच रजिस्टर बनाया जाए परन्तु परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह सन्तोषजनक नहीं है। अतः स्थापना जाँच रजिस्टर (ई० सी० आर०) शीघ्र अति शीघ्र तैयार किया जाए और आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

17 गृहकर का लगाना।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 जो मई 30, 1994 से समूचे हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू किया गया है कि धारा 66 के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका गृह कर अधिरोपित करेगी जो निर्माणों और भूमियों पर उनकी द्वारा [illegible] तथा ऐसे निर्माणों और ऐसी भूमियों के वार्षिक मूल्य का कम से कम साढे सात प्रतिशत तथा अधिक से अधिक साढे बारह प्रतिशत जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ ने अभी तक गृह कर नगर-परिषद क्षेत्र में अधिरोपित नहीं किया जो कि सरकार के आदेशों की अवहेलना करना है इसके अतिरिक्त नगर परिषद के राजस्व में भी घाटा है। अतः नगर परिषद शीघ्र अतिशीघ्र सरकार के आदेशों और नगर पालिका अधिनियम 1994 के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र में गृह कर अधिरोपित करें। यह मामला निदेशालय के ध्यान में लाया जाता है कि इस ओर शीघ्र ही कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना आगामी लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

18 [illegible] रजिस्टर (डी० एस० पी०)

वाउचर नं० 26 दिनांक 11/91 द्वारा रु० 55 = रुपये भुगतान मैस [illegible] नालागढ़ को [illegible] करने [illegible] का किया गया था जिसका इन्द्राज डी० एस० पी० रजिस्टर के पृष्ठ 8 पर किया गया था परन्तु देखने पर पाया गया कि रजिस्टर ~~[illegible]~~ था। इसके अतिरिक्त रजिस्टर भी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं था।

19 डी० एस० पी० रजिस्टर का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था जो कि करना [illegible] अनुपालना आगामी अंकेक्षण में [illegible] और सत्यापित करवा कर दिखाया जाए।

दूरभाष सम्बन्धी :- परिषद कार्यालय में 2 टेलीफोनों की सुविधा प्राप्त है जिनके नम्बर 23015 और 23028 है। टेलीफोन नं० 23015 प्रशासक/प्रशासक के आवास पर लगा हुआ है। और टेलीफोन नं० 23028 परिषद के कार्यालय में लगा हुआ है।

(क) वाउचर नं० 54 दिनांक 6/92 राशि 907.00 रु०
वाउचर नं० 27 दिनांक 3/92 राशि 855.00 रु०

परिषद नालागढ़ द्वारा कुल राशि 1762.00 रु० का भुगतान बाबत बिल टेलीफोन नं० 23015 और 23028 के अदा किए गए थे।

दौरान अंकेक्षण में पाया गया कि टेलीफोन नं० 23015 जो कि प्रशासक महोदय नगर परिषद नालागढ़ के आवास पर लगा हुआ था इस टेलीफोन के बिलों की पड़ताल करते समय पाया गया कि कुल 313.00 रु० की कालें जिनका विवरण निम्न है प्रशासक महोदय द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए की गई थी परन्तु इस राशि की भरपाई प्रशासक महोदय द्वारा नहीं की गई थी। रु० कुल 313.00 रु० की वसूली की जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

दिनांक	टेलीफोन		राशि	उद्देश्य
6.1.92	सोलन	3770	10	निजी [illegible]
14.1.92	शिमला	72699	5	"
17.1.92	मंडी	2499	1	"
3.2.92	चंडीगढ़	31077	1	"
25.1.92	मंडी	8137	2	"
27.1.92	रोपड़	2644	1	"
1.2.92	मनाली	5252	2	"
3.2.92	चंडीगढ़	31077	1	"
5.2.92	[illegible]	3306	5	"
7.2.92	[illegible]	8225	2	"
10.2.92	[illegible]	8861	10	"
12.2.92	[illegible]	3770	10	"
20.2.92	शिमला	4708	13	"
6.1.93	लुधियाना	23167	15	"
6.1.93	"	35530	30	"
16.1.93	"	35530	30	"
14.12.92	"	35530	15	"
1.1.93	"	35530	15	"
30.1.93	"	35530	10	"
25.1.93	[illegible]	3694	15	

= योग 313.00

उत्तेजक तथा संकटपूर्ण व्यापार के लाइसेंसों का नवीनीकरण

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 195 के अन्तर्गत नगर परिषद नालागढ़ द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों की जांच करते पाया गया कि लाइसेंस धारकों द्वारा अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत नहीं करवाया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा इन लाइसेंस धारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की गई इसके अतिरिक्त उनसे लाइसेंस नवीनीकरण करते समय कोई विलम्ब शुल्क / जुर्माना इत्यादि भी वसूल नहीं किया गया था। नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 195(4) के अनुसार इस धारा का उल्लंघन करने वाले से जुर्माना वसूल करना चाहिए था। परन्तु वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के कुछ उदाहरण परिशिष्ट "फ" अंकेक्षण अवधि 4/90 से 3/98 के साथ संलग्न हैं जिनसे नगर परिषद ने लाइसेंसों का देर से नवीनीकरण करते समय कोई जुर्माना वसूल नहीं किया गया। अतः नगर परिषद द्वारा इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाए और राशि वसूल कर के परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

ने भाड़े टोकरी भूमि किन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत

वाउचर नं० ३५ मास ३/९८ राशि १३१३ रु०

मस्टरोल नं० १५०२ अवधि ५.२.९८ से २८.२.९८

बाबत दैनिक भोगी ड्राईवर

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ के आदेश दिनांक ५.२.९८ के अनुसार श्री मदन लाल को बिना रोजगार कार्यालय नालागढ़ द्वारा नाम प्रायोजित किए दैनिक दर पर एक मास के लिए ड्राईवर रखा गया था परन्तु देखा गया कि श्री मदन लाल दैनिक भोगी ड्राईवर अभी भी नगर परिषद में दैनिक भोगी ड्राईवर के रूप में काम कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोई भी दैनिक भोगी श्रमिक की नियुक्ति बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के नहीं की जा सकती। अतः श्री मदन लाल दैनिक भोगी ड्राईवर को दैनिक दर पर रखने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाए और अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए अन्यथा श्री मदन लाल को अनियमित रूप से दैनिक भोगी ड्राईवर रखने की जिम्मेवारी निश्चित की जाए।

वाउचर नं० ७ मास ३/९८ राशि ४००/-

मास ३/९८ के वाउचर नं० ७ द्वारा नगर परिषद ने रु० ४००/- रु० की [illegible] बाबत सफाई कर्मचारियों को झाड़ू-टोकरा भत्ता दर ५०/- रु० प्रति मास प्रति सफाई कर्मचारी देने हेतु खर्च की जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई: नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या ३ दिनांक ३०.८.९२ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सफाई कर्मचारियों का झाड़ू-टोकरा भत्ता मास ११/९२ से ३०/- रु० से बढ़ा कर ५०/- रु० मासिक किया जाता। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि नगर परिषद ने झाड़ू टोकरा भत्ता किन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया और झाड़ू-टोकरा खरीद कर नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

विविध :-

33. वाउचर नं० 43 मास 12/95 राशि 36871.58 रु०

(1)

मुबलिग 36,871.58 रु० का भुगतान मैसर्ज मलुजा आटोमोबाईल ट्रक इन्डस्ट्रियल ऐरिया चण्डीगढ़ के बावत बिल नं० 7192 की अदायगी (प्रमाणीकरण) किया गया। इस अदायगी में निम्नलिखित अनियमितायें पाई गईं

(i) बिल का ठीक जोड़ मुबलिग 36471.03 रु० था परन्तु बिल का गलत जोड़ 36,871.53 रु० लगाने/करने के कारण मुबलिग 400.50 रु० का अधिक भुगतान फर्म को किया। अतः इस अधिक अदायगी को मै० मलुजा आटोमोबाईल इन्डस्ट्रियल ऐरिया चण्डीगढ़ से वसूल किया जाए अथवा इसकी कार्यवाही दोषी कर्मचारी/कर्मचारियों से की जाए और इस की सूचना इस निदेशालय को दी जाए।

(ii) मुबलिग 2001.00 रु० फर्म द्वारा "विविध व्यय" के रूप में बिल में चार्ज किए थे परन्तु यह व्यय बिना किसी ब्यौरा के अंकेक्षण में स्वीकार्य नहीं है। अतः इस व्यय का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए अन्यथा राशि फर्म से वसूल किया जाए और [illegible] निधि में जमा किया जाए

(iii) मुबलिग 30323.00 रु० के ट्रक के स्पेयर पार्टस (पुर्जे) खरीदे गए थे। परन्तु पुराने पुर्जे जो ट्रक से नए पुर्जे लगाने के बाद निकाले गए थे उनका इन्द्राज डैड स्टाक रजिस्टर (स्क्रैप) में नहीं दर्शाया गया था जिसके कारण नए पुर्जे बदलने की प्रमाणिकता की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी अतः इस का इन्द्राज डैड स्टाक रजिस्टर में करवा कर सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(iv) मुबलिग 1230.00 रु० बिल में फुटकर कार्य के (भिन्न-भिन्न कार्य के लिए) चार्ज किए थे। परन्तु इसे का बिल में विस्तृत ब्यौरा न होने के कारण इस की जाँच पड़ताल नहीं की जा सकी अतः इस का विस्तृत ब्यौरा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

वाउचर नं० 21 मास 11/93 राशि रू० 1170.0

(2) (क) वाउचर नं० 28 मास 12/93 राशि रू० 1132.0

मुबलिग 1170.0 और 1132.0 रू० का भुगतान श्री बलजीत सिंह दैनिक भोगी वर्क सुपरवाईजर को उसकी मजदूरी के भुगतान हेतु किया गया। इसमें निम्न अनियमतता पाई गई:-

1) सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एच० एफ० डब्ल्यू० बी० एफ (19)-31/76-II दिनांक 24-10-1989 द्वारा यह निर्देश/आदेश दिया गया कि जो दैनिक भोगी पुरुष परिवार नियोजन का ओप्रेशन करवाएगा उस को तीन दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (वैतनिक) देय होगा। श्री बलजीत सिंह दैनिक भोगी वर्क सुपरवाईजर ने दिनांक 27-10-93 को अपना वासक्टोमी ओप्रेशन (परिवार नियोजन) प्राइमरी हैल्थ सैंटर जोगों से करवाया था और वह 3 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश (वैतनिक) का अधिकारी था और उसे तीन दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (वैतनिक) ही देय था परन्तु नगर परिषद नालागढ़ ने श्री बलजीत सिंह दैनिक भोगी वर्क सुपरवाईजर को गलती से दिनांक 27-10-93 से 5-11-93 तक 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश (वैतनिक) का भुगतान किया गया। इस प्रकार श्री सिंह को 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (वैतनिक) का मुबलिग 264.25 रू० दर 37.75 रू० प्रति दिन की दर से अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस अधिक भुगतान मुबलिग 264.25 रू० की वसूली श्री बलजीत सिंह वर्क सुपरवाईजर से अति शीघ्र की जाए और उसको परिषद निधि में जमा करवाया जाए। और इस की सूचना इस निदेशालय को भी दी जाए।

(ख) परिषद द्वारा विभिन्न मदों पर जो बिल जारी हुए [illegible] की जांच की इन में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

1) अंकेक्षण करते पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सामान का क्रय उन फर्मों/सप्लायर से नहीं किया गया था जिन फर्मों/सप्लायर के दर/मूल्य हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दर संविदा के अनुसार निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त न ही इन फर्मों/सप्लायर से कुटेशन प्राप्त की गई। कोटेशन प्रपत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जिसके उदाहरण निम्न दर्शाए गए थे। कुछ क्रय तो बिना निविदाएं आमंत्रित किए ही किया गया जो कि सन्तोषजनक नहीं था। अतः इन खरीदों का स्पष्टीकरण कर के न्यायोचित ठहराया जाए और भविष्य में क्रय नियमों के अनुसार ही किया जाए।

वाउचर क्र0	मास	राशि	ब्यौरा
36	1/91	5702.70	अदायगी मै0 सुधा ट्रेडर्स लि0 सेक्टर 35 चंडीगढ़ बाबत सप्लाई बिजली का सामान
26	4/92	20880.00	अदायगी मै0 प्रेम चंद अनिल कुमार नालागढ़ बाबत सप्लाई सिमेंट 180 बैग
53	4/92	20880.00	अदायगी मै0 प्रेम चंद अनिल कुमार नालागढ़ बाबत सप्लाई सिमेंट 180 बैग दर 116.00 रू0 प्रति बैग। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई की प्रोफार्मा बिल के अनुसार इनका रेट प्रति बैग 117.4 रू0 था। परन्तु सिविल सप्लाई से सीमेंट न क्रय करने का कारण नहीं दर्शाया गया।
[illegible]	7/92	20790.00	अदायगी मै0 जैन सीमेंट कम्पनी नालागढ़ बाबत सप्लाई सीमेंट 180 बैग दर 115.50 रू0 प्रति बैग।
[illegible]	4/94	1350.00	अदायगी मै0 [illegible] टायर नालागढ़ को बाबत सप्लाई करने टायर और ट्यूब
13	4/94	[illegible]	[illegible]

30	5/91	19200.00	अदायगी मै० विक्रम सीमेंट लि० नालागढ़ बाबत सप्लाई करने 200 बैग सीमेंट।
33	9/94	20,340.00	अदायगी मै० नवस्थी सेल्स कारपोरेशन लि० नालागढ़ बाबत सप्लाई करने 180 बैग सीमेंट दर 113.00 रु० प्रति बैग। हिमाचल स्टेट सिविल सप्लाई की प्रोफार्मा इनवाइस के अनुसार इस का रेट प्रति बैग 113.80 रु० था परन्तु सिविल सप्लाई से सीमेंट क्रय न करने कोई औचित्य नहीं दर्शाया गया था।
40	5/96	9220.00	अदायगी मै० देगानेश आयरन स्टोर सैन्ड बाबत सप्लाई पानी की टैंकी।
41	5/96	40013.00	अदायगी मै० हंस राज मलिक एंड सन्स रोपड़ बाबत सप्लाई करने जी० आई० पाइप 2 इंच व्यास 110.18 मीटर 1 इंच " 126.50 " आधा इंच 210.60 " एक मोनो ब्लाक पम्पसेट 7.5 हार्स पावर कलसी (रु० 8800/-)
45	7/96	27940.00	अदायगी मै० कपूर एजुकेशनल कारपोरेशन चंडीगढ़ बाबत सप्लाई करने फिंगर पकि पप्रेल्स
31	3/93	39108.00	अदायगी मै० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स चंडीगढ़ बाबत सप्लाई करने बिल्डिंग पकि ब्लाक्स
40	10/96	3520.00	अदायगी मै० के० मैडिकल, टायर मनीमाजरा बाबत सप्लाई 2 टायर और 2 ट्यूब (ड्रम के)
68	3/97	4126.00	अदायगी मै० चावला साईकिल वर्कस नालागढ़ बाबत सप्लाई करने साईकिलों का सामान
69	3/97	5328.00	
51	7/96	15475.76	अदायगी मै० हंस राज मलिक एंड सन्स रोपड़ बाबत सप्लाई करने जी० आई० पाइप।
25	3/98	7858.00	अदायगी मै० एस.के. मोटर्स मनी माजरा बाबत मरम्मत ट्रक 7192

(3) वाउचर नं० 33 मास 11/93 राशि 14548

मस्ट्रोल नं० 1025 अवधि 1-10-93 से 31-10-93

बाबत निर्माण सामुदायिक भवन गालागढ़

सर्वश्री सुरेश चंद और रमेश चंद पुत्र श्री खजी राम मैस्ट्रोल नं० 1025 अवधि 1-10-93 से 31-10-93 कार्यरत और 10 दिनांक 3-10-93 को अनुपस्थित थे परन्तु गलती से उन्हें दिनांक 3-10-93 हेतु मु० 44.00 रु० का अधिक भुगतान किया गया। अतः सर्वश्री सुरेशचन्द और रमेश चंद से मुबलिग 44/- रु० की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

(4) वाउचर नं० 32 मास 3/94 राशि 17752.00

मुबलिग 17752.00 रु० का भुगतान मै० दी मधुरा मैडीकेट लिमिटेड शिमला बाबत मरम्मत करने ट्रैक्टर एच० आई० ए० 7792 के अदा किए थे। इस अदायगी में निम्न अनियमितताएं पाई गई

i) बिलों की पड़ताल करते पाया गया कि बिलों में 8 फीसदी हैंडलिंग चार्जिज पर 8 फी-सदी सेल्ज टैक्स अदा किया गया जो कि न्याय संगत प्रतीत नहीं होता इस प्रकार मुबलिग 63.34 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। इस अधिक अदायगी को नियमित किया जाए अन्यथा इस की वसूली की जाए।

	जो अदा किया	बिल नं०	जो देय था	
	8998.83	399-400	8998.83	
हैंडलिंग 8% चार्जिज	719.91	63.34	719.91	8 फीसदी हैंडलिंग चार्जिज
जोड़	9718.74	जोड़	9718.74	
			719.91	8 फीसदी सैल्ज टैक्स 8998.83 पर
8% सैल्ज टैक्स	777.50		72.00	10 फीसदी सरचार्ज
सरचार्ज 10%	77.75	कुल जोड़	10510.65	
	10573.99			

अदायगी रु० 10573.99

देय राशि 10510.65

(3) वाउचर नं० 33 माह 11/93 राशि 14540

मस्ट्रोल नं० 1025 अवधि 1-10-93 से 31-10-93

बाबत निर्माण मधुवन भवन कांग्रेस

श्रमिकों सुरेश चंद और रमेश चंद पुत्र श्री ... द्वारा मस्ट्रोल नं० 1025 अवधि 1-10-93 से 31-10-93 [illegible] क्रमांक 9 और 10 [illegible] दिनांक 3-10-93 को अनुपस्थित थे परन्तु गलती से 3-10-93 की

[illegible] 24 रु० का अधिक भुगतान किया

(ग) अत: श्री सुरेश चंद और रमेश चंद से मुबलिग 24/- रु० की वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए [illegible]

और अनुपालना से आगामी [illegible] पर अवगत किया जाए।

(4) वाउचर नं० 32 माह 3/94 राशि 17753/-

मुबलिग 17753/- रुपये का भुगतान मै० दी मथुरा [illegible] लिमिटेड [illegible] बाबत मरम्मत कमरे ट्रक्टर [illegible] सं० 7792 के अदा किए थे। इस अदायगी में [illegible] [illegible] बिलों की पड़ताल करने पाया गया कि बिलों में 8 प्रतिशत हैंडलिंग चार्जिज पर 8 प्रतिशत सैल्स टैक्स अदा किया गया जो कि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता इस प्रकार मुबलिग 63.34 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया जा रहा है। इस अधिक अदायगी को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस की वसूली की जाए।

	जो अदा किया	बिल में	जो देय था	
	8998.83	395 [illegible]	8998.83	
		43.94		
हैंडलिंग 8%	719.91		719.91	8 प्रतिशत हैंडलिंग चार्जिज
जोड़	9718.74		जोड़ 9718.74	8 प्रतिशत सैल्स टैक्स
सैल्स टैक्स 8%	[illegible] 50		719.91	10 प्रतिशत [illegible]
[illegible]	[illegible]		9.44	
जोड़	10573.99		कुल जोड़ 10510.65	

अदायगी की 10573.99
देय राशि 10510.65

अधिक भुगतान 63.34

वाउचर नं० 42 मास 5/96 राशि 8510.00 रु०

मुबलिग 8510.00 रु० का भुगतान मै० धन्ना किक्र वर्कस दमोटा, मोलापाइ वोलते सप्लाई 11510 ईंटें दर 740/- रु० प्रति हजार ईंटें की दर से किया गया था इस अदायगी में निम्न आपत्तियां पाई गई:

1) बिलों की पड़ताल करते पाया गया कि बिल नं० 924 दिनांक 22.5.96 द्वारा 1000 ईंटें नगर परिषद को फर्म द्वारा सप्लाई की गई थी। और इन 1000 ईंटों को नगर परिषद के ट्रक 7192 द्वारा ढोना दिखाया गया था। परन्तु ट्रक 7192 की लाग बुक की पड़ताल करते पाया गया कि दिनांक 22-5-96 को नगर परिषद के ट्रक द्वारा इन ईंटों को नहीं ढोया गया था और इस के अतिरिक्त निर्माण सामग्री के स्टाक रजिस्टर नं० 35 पृष्ठ 12 की पड़ताल करने पर पाया कि इन ईंटों 1000 का पृष्ठ 12 पर इन्द्राज प्राप्ती का नहीं था अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन ईंटों का दुरुपयोग किया अथवा मै० धन्ना किक वर्कर्स दमोटा को 1000 ईंटों की कीमत 740/- रु० का अधिक भुगतान किया गया इस भुगतान को अनियमित ठहराया जाए। अतः नगर परिषद इस की छानबीन कर के दोषी व्यक्तियों से इस की वसूली की जाए और तदानुसार इस विभाग को सूचित किया जाए।

(6) वाउचर न० 40 मास 3/91 राशि 1420.00 रु

नगर परिषद ने मुबलिग 1420/- रु का भुगतान सहायक अभियंता सिंचाई विभाग हिमाचल प्रदेश सब डिविजन, नालागढ़ को बाबत रोड रोलर के किराया के अदा किया। यह रोड रोलर सड़क एस० आई० डी० सी० और उस रोड, गुज्जर कलौनी की मरम्मत के लिए किराया पर लिया था। इस अदायगी में निम्न अनियमितताएं पाई गई थी।

1 उस रोड, गुज्जर कलौनी, नालागढ़ की सड़क की मरम्मत का ठेका श्री राम लोक, ठेकदार को नगर परिषद की पत्रसं० 720 दिनांक 29.10.87 द्वारा दिया गया था। श्री राम लोक, ठेकदार ने उस रोड गुज्जर कलौनी की सड़क की मरम्मत हेतु रोड रोलर का 6 घंटे प्रयोग किया था (माप पुस्तक 21 पृष्ठ 25-26)। श्री राम लोक ठेकदार से 6 घंटे रोड रोलर के दर 142/- रु प्रति घंटे की दर से मुबलिग 852/- रु वसूली योग्य थे। परन्तु ठेकदार राम लोक से मुबलिग 852/- रु० की वसूली अभिलेखों में नहीं दिखाई गई थी। अत: इस राशि रु० 852.00 रु की अगर ठेकदार श्री राम लोक से वसूली नहीं की गई थी तो इसे अब वसूल किया जाए अन्यथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों से वसूल कर के इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

(7) वाउचर नं० 41 मास 5/96 राशि 40013 रू०
और वाउचर नं० 51 मास 7/96 राशि 15479 रू०

माह 5/96 और 7/96 के वाउचर संख्या नं० 41 और 51 द्वारा क्रमशः 40013 रू० और 15479 रू० का भुगतान मैसर्ज हैम्पटन मोलिक्यूल्स एंड सन्स सोलन को जी०आई० पाईप की आपूर्ति हेतु भुगतान किया गया दर्शाया गया है। परन्तु जी०आई०पाईप जिस का विवरण निम्न दिया जा रहा है का निपटारा माप/नाप द्वारा नहीं दर्शाया गया था जिस कारण इस का निपटारा अंकेक्षण में मान्य नहीं था अतः जी० आई०पाईप का निपटारा माप पुस्तिका द्वारा माप/नाप के अनुसार आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

जी० आई०पाईप का डाया	नाप	स्टाक रजिस्टर/पृष्ठ	जारी करने की तिथि
50 एम एम	110.18 मि०	4/28	6.6.96
25 "	126.56 "	4/28	6.6.96
15 "	210.81 "	38/35	6.6.96
50 "	122.00 "	34/35	2.7.96

इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा सामान का क्रय उस फर्म से नहीं किया गया था जिस फर्म के भाव हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दर संविदा के अनुसार निर्धारित किए गए थे परन्तु श्री केन्द्रीय औषध भंडार [illegible] परिषद [illegible] द्वारा तीन फर्मो मै० [illegible] हैम्पटन एंड सन्स सोलन, मै० [illegible] एंड सन्स सोलन और मै० [illegible] मोलिक्यूल्स एंड सन्स सोलन से दिनांक 2.5.96 को [illegible] हेतु लिखित दरें प्राप्त की गई थीं। लिखित दरें प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। और भविष्य में सामान का क्रय नियमों के अनुसार ही किया जाए।

(8) वाउचर न० 45 मास 6/96 राशि 7000-00

मास 6/96 के वाउचर संख्या 45 द्वारा मुबलिग 7000/- रू० की अग्रिम राशि का भुगतान चैक न० 379578 दिनांक 27-6-96 द्वारा मै० स्पोर्टस कपूर स्पोर्टस एजुकेशनल कार्पो० सै०22-18 चन्डीगढ़ को चिल्डरन पार्क हेतु झूले व स्लाईडिंग चुट इत्यादि क्रय करने हेतु किया गया इसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई।

i) परिषद द्वारा सामान का क्रय उस फर्म से नहीं किया गया था जिस फर्म के मूल्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दर अनुबंध के अनुसार निर्धारित किए गये थे परन्तु नगर परिषद की सदस्या श्रीमती उषा ठाकुर द्वारा तीन फर्मों मै० स्पोर्टस कपूर एजुकेशनल कार्पो० सै०22-18 डी-चन्डीगढ़ मै० जामत स्पोर्टस सै०22-15 सी चन्डीगढ़ और मै० अपर इंडिया स्पोर्टस सै०22-17-ई चन्डीगढ़ से भाव और औपचारिकता पूरी करने के लिए अंकेक्षण आपत्ति से बचाव के लिये दिनांक 27-6-96 को दस्ती प्राप्त करने का स्पष्ट किया जाए।

ii) निविदाओं का तुलनात्मक विवरण दिनांक 28-6-96 को तैयार किया गया और नगर परिषद के अधिकारी द्वारा दिनांक 28-6-96 को ही मै० स्पोर्टस कपूर एजुकेशनल कार्पो० सै०22-18-D की दरों का अनुमोदन किया गया परन्तु उपरोक्त फर्म को चैक न० 379578 दिनांक 27-6-96 द्वारा भुगतान किया गया दर्शाया गया है अतः दरों का अनुमोदन से पूर्व भुगतान संदेहप्रद प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

iii) मै० स्पोर्टस कपूर एजुकेशनल कार्पो० सै०22-18 से [illegible]

[illegible] लेने हेतु [illegible] किया [illegible]

[illegible] की [illegible] नगरपालिका [illegible]

[illegible] दिनांक [illegible] 99 [illegible] दिया[illegible]

दी [illegible] "[illegible] दुकान में [illegible] नहीं है" अतः

के बिल क्र० 16264 दिनांक 8.7.96 द्वारा पार्क के लिए सोफेसेट (झूले, स्लाईडिंग व स्टूल इत्यादि) का क्रय किया गया था और इस की अदायगी वाउचर क्र० 49 मास 7/96 द्वारा कैश रु० 13960/- (20960 – 7000/-) का भुगतान किया गया था।

(iv) [illegible] नगर परिषद द्वारा पार्क के लिए खरीद किए गए सामान का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टर में नहीं किया गया था इसे का इन्द्राज हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 239 के अनुसार किया जाए और अंकेक्षण में दिखाया जाए।

7) वाउचर क्र० 51 मास 7/96 राशि 15479.36 रु०

मास 7/96 में वाउचर संख्या 51 के द्वारा राशि रु० 15479.36 रु० का चैक नं० 380008 दिनांक 11.7.96 मैं० हैल्पर मजल ब्लैक एंड मजल रोड के पक्ष में बावत क्रय सामान जी० आई० पाईप व बैंड क्रमशः इनवायस क्र० 1344 दिनांक 11.7.96 के अनुसार बनाया गया था जिसमें निम्न अनियमिततायें पाई गई।

i) [illegible] स्टॉक बुक, स्टॉक रजिस्टर आदि पृ० 7/92 पृष्ठ 99

स्टाक बुक आई० एस० 7/92 की [illegible] बुक की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 11.7.96 को एक [illegible] [illegible] को [illegible] गेज जी० आई० पाईप लेने हेतु [illegible] किया [illegible] द्वारा 50 कि० [illegible] की [illegible] ([illegible] द्वारा [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] पृष्ठ 99 पर दिखाई ही पाई कि "पाईप दुकान में उपलब्ध नहीं है।" अतः

इस प्रकार दिनांक 11.7.96 को जी० आई० पाईप नहीं लाया गया था। ट्रक एम०आई० जे० 7192 को पुनः दिनांक 22.7.96 को नालागढ़ से रोपड़ बाबत जी० आई० पाईप ... लाने हेतु भेजा गया था और वाहन द्वारा जी० आई० पाईप लाया गया। परन्तु दिनांक 11.7.96 को वाहन को व्यर्थ नालागढ़ से रोपड़ और वापिसी चलाया गया था अर्थात लगभग 50 कि० मी० ट्रक व्यर्थ चलाया गया अतः 50 कि० मी० जो ट्रक व्यर्थ चलाया गया इस की निर्धारित दर 6.08 रु० प्रति कि०मी० दर से कुल राशि 304.00 रु० की सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से प्राप्त कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

ii). जी० आई० पाईप परिषद ट्रक द्वारा दिनांक 22.7.96 को फर्म से प्राप्त करके नालागढ़ लाया गया परन्तु चैक नं० 360008 दिनांक 11.7.96 को किस आधार पर जारी किया गया जिसका स्पष्टीकरण किया जाए।

iii). निर्माण कार्य के स्टाक रजिस्टर न० 98 के पृष्ठ 2 पर दिनांक 11.7.96 को 122 मीटर जी० आई० पाईप 2 इंच लगाया का इन्द्राज किया गया का दिखाया था जबकि पाईप वास्तव में दिनांक 22.7.96 को प्राप्त की गई इसको स्पष्टीकरण किया जाए।

ए सी

[illegible]

निम्नलिखित राशी का भुगतान सहायक अभियंता विद्युत विभाग उपमंडल नालागढ़ को बाबत बिजली के बिलों का किया गया था परन्तु विद्युत बिलों की राशी को देरी से जमा करवाने के कारण नगर परिषद को उस पर सरचार्ज देना पड़ा जो कि आपत्तिजनक है। इस प्रकार मुबलिग 40.75 रू० सरचार्ज दिया जो अंकेक्षण में स्वीकार्य नहीं था अत: इस राशी की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाए।

वाउचर क्र०	मास	राशी रू०	राशी नियत समय में देय	राशी नियत समय के बाद देय रू०	अधिक अदायगी व तिथि रू०	टिप्पणी
29	7/90	3044.00	82.00 / 20.7.90	89.50	7.50 / 24.7.90	खाता क्र० सी-388
29	7/90	3044	82 / 20.7.90	89.50	7.50 / 24.7.90	खाता क्र० एच सी 547
29	7/90	3044	43 / 20.7.90	46.75	3.75 / 24.7.90	खाता क्र० एच सी 72
64	7/96	221.00	204 / 20.7.96	221.00	17.00 / 23.7.96	खाता क्र० आर एल सी 65
75	9/96	69.00	64 / 20.9.96	69.00	5.00 / 14.10.96	"
				योग	40.75	

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तहबजारी बस पार्किंग की रसीद बुक नं० 152 जो की दिनांक 25.9.91 को श्री मुहर्रिर को बावत बस पार्किंग तहबजारी वसूली करने के लिए जारी की गई थी। इस रसीद बुक में से 1 से 94 पास प्रयोग हो चुके थे और शेष रसीद बुक गुम हो गई थी जिसकी सूचना दिनांक 27.9.91 को पुलिस स्टेशन नालागढ़ में करवाई गई जो पुलिस स्टेशन में रपट नं० 18 पर दर्ज है। अतः सूचना के अनुसार रसीद बुक दिनांक 31.3.98 तक भी नहीं मिली थी।

इस संबंध में जो आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करके की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण दल को अवगत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

<u>लघु आपत्ति विवरणिका</u>: लघु आपत्ति विवरणिका अवधि 4.90 से 3.98 जिसके 14 पृष्ठ और 22 मदें हैं. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ को पहले ही भेजी जा चुकी है।

निष्कर्ष।– पैरा नं० 6, 15 और 19 पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है। लेखों को सुधारने पूर्ण सुधारने की अति आवश्यकता है।

(नवीन चन्द्र जोशी)
सहायक निदेशक, लो०ले०

16.4.98 से 17.4.98 2 10

अवधि	दिन	सहायक नियंत्रक दर 50/- रु0 कम दिन हेतु 70/- रु0 प्रति दिन	योग
		रु0	रु0
6.1.99 से 8.1.99	3	70.00	210.00
11.1.99 से 13.1.99	3	70.00	210.00
15.1.99 से 16.1.99	2	70.00	140.00
18.1.99	1	70.00	70.00
20.1.99	1	70.00	70.00
21.1.99	1	20.00	20.00
27.1.99 से 30.1.99	4	70.00	280.00
3.2.99 से 6.2.99	4	70.00	280.00
8.2.99 से 12.2.99	5	70.00	350.00
15.2.99 से 20.2.99	6	50.00	300.00
22.2.99 से 27.2.99	6	50.00	300.00
3.3.99 से 6.3.99	4	50.00	200.00
8.3.99 से 11.3.99	4	50.00	200.00
12.3.99	1	70.00	70.00
15.3.99 से 20.3.99	6	70	420.00
22.3.99 से 24.3.99	3	70	210.00
26.3.99 से 27.3.99	2	70	140.00
30.3.99	1	50	50.00
31.3.99	1	70	70.00
5.4.99 से 9.4.99	5	70	350.00
12.4.99	1	50	50.00
16.4.99 से 17.4.99	2	70	140.00
19.4.99 से 21.4.99	3	70	210.00
23.4.99 से 24.4.99	3	50	150.00
26.4.99	1	50	50.00
28.4.99	1	70	70.00
29.4.99	1	20	20.00

पिछला जोड़ 4630.00

		@	
3.5.99 से 7.5.99	5	70	350.00
10.5.99	1	70	70.00
11.5.99	1	90	90.00
17.5.99 से 22.5.99	6	50	300.00
24.5.99 से 29.5.99	6	70	420.00
31.5.99	1	70	70.00
2.6.99 से 3.6.99	2	70	140.00
4.6.99	1	90	90.00
5.6.99	1	70	70.00
7.6.99 से 10.6.99	4	70	280.00
11.6.99	1	50	50.00
14.6.99 से 19.6.99	6	50	300.00
21.6.99 से 26.6.99	6	70	420.00
28.6.99 से 30.6.99	3	70	210.00
2.7.99 से 3.7.99	2	90	180.00
5.7.99 से 9.7.99	5	90	450.00
12.7.99 से 17.7.99	6	90	540.00
19.7.99	1	70	70.00
20.7.99 से 23.7.99	4	90	360.00
24.7.99	1	70	70.00
26.7.99 से 31.7.99	6	90	540.00
3.8.99 से 7.8.99	5	90	450.00
9.8.99 से 13.8.99	5	90	450.00
16.8.99 से 21.8.99	6	70	420.00
23.8.99 से 24.8.99	2	90	180.00
4.10.99 से 8.10.99	5	70	350.00
11.10.99 से 16.10.99	6	90	540.00
18.10.99	1	50	50.00
20.10.99 से 23.10.99	4	90	360.00
25.10.99 से 27.10.99	3	90	270.00
		योग	[illegible]